अक्टूबर 2019

मध्यप्रदेश पंचायिका

पंचायतों की मासिक पत्रिका

संरक्षक
श्री कमलेश्वर पटेल
मंत्री, पंचायत एवं
ग्रामीण विकास

प्रबंध सम्पादक
संदीप यादव

समन्वय
मध्यप्रदेश माध्यम

परामर्श
प्रद्युम्न शर्मा

सम्पादक
रंजना चितले

सहयोग
अनिल गुप्ता

वेबसाइट
आत्माराम शर्मा

आकल्पन
आलोक गुप्ता
विनय शंकर राय

एक प्रति : बीस रुपये
वार्षिक : दो सौ रुपये

सम्पर्क :
मध्यप्रदेश पंचायिका
मध्यप्रदेश माध्यम
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स
भोपाल-462011
फोन : 2764742, 2551330
फैक्स : 0755-4228409
Email : panchayika@gmail.com

कृपया वार्षिक ग्राहक बनने के लिए अपने ड्राफ्ट/मनीआर्डर मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भेजें।

मध्यप्रदेश पंचायिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं, इसके लिए सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है।

इस अंक में...

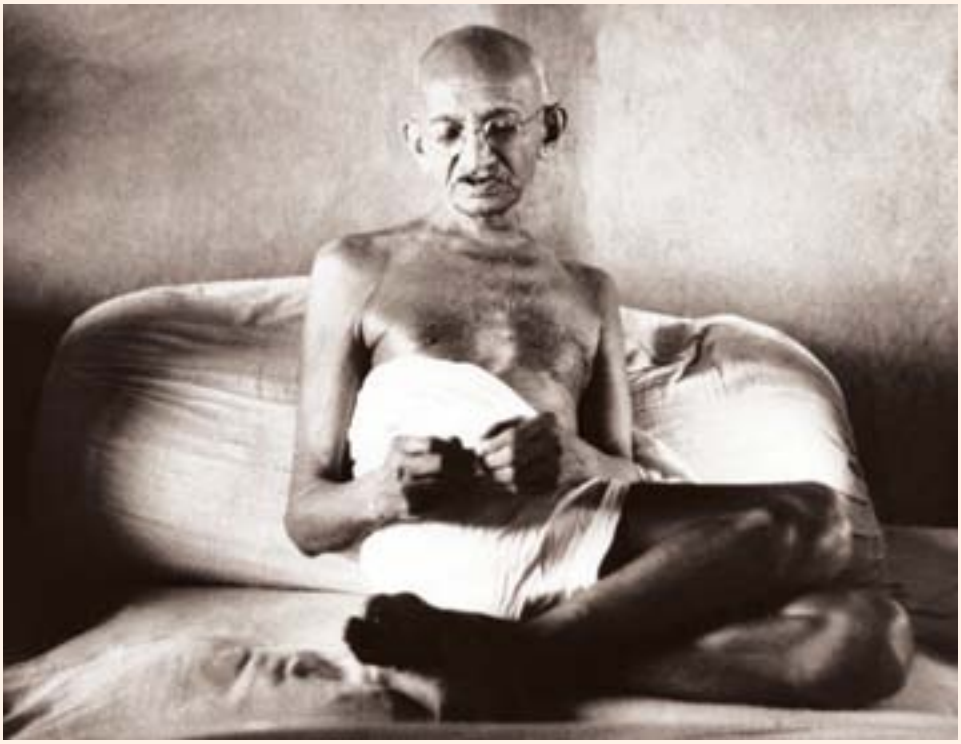

06 ▸ ग्राम स्वराज की मेरी कल्पना : महात्मा गांधी

08 ▸ हर गाँव में पंचायत का राज होगा

10 ▸ ग्रामोद्योग : जीविका का आधारभूत साधन

11 ▸ एकता की प्रतीक खादी

12 ▸ गांधीजी का ग्राम स्वराज और मध्यप्रदेश सरकार का संकल्प

14 ▸ साक्षात्कार : गांधी ने कहा था कि 7 लाख सर्वधर्म के प्रभुत्व से मिलकर बनता है मेरे सपनों का भारत

16 ▸ गांधी का ग्राम स्वराज और पंचायत राज प्रणाली

18 ▸ ग्राम स्वराज की गांधीवादी अवधारणा में पंचायत

20 ▸ गांधी : भारतीय लोक जीवन की अधूरी प्रार्थना

22 ▸ मध्यप्रदेश में गांधीजी की दस यात्राएं

23 ▸ समानता और मानवता के लिए गांधीजी के अनवरत प्रयास

27 ▸ लोकतंत्र की बुनियाद है पंचायत राज

30 ▸ प्रकृति के घर में आदमी

32 ▸ किसान, किसानी और गांव तीनों की उन्नति आवश्यक

34 ▸ गांधीजी के मूल-सिद्धान्तों पर केन्द्रित होंगी ग्रामसभाएँ

35 ▸ महात्मा के जीवन जीने के दस उपदेश

37 ▸ रचनात्मक कार्यक्रम - आदर्श समाज की कल्पना और निर्माण की प्रक्रिया

43 ▸ गांधीजी के स्वराज्य का समचतुर्भुज

44 ▸ प्रकृति रूपी बापू के पांच चिकित्सक

45 ▸ दो अक्टूबर से ग्रामसभाओं के चरणबद्ध आयोजन के निर्देश जारी

47 ▸ सबकी योजना सबका विकास जन-अभियान अंतर्गत ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने के निर्देश जारी

कमल नाथ
मुख्यमंत्री
मध्यप्रदेश

सं.क्र. 205, 30 सितम्बर, 2019

संदेश

अत्यंत हर्ष का विषय है कि मध्यप्रदेश पंचायिका द्वारा महात्मा गांधीजी की 150वीं जयंती पर गांधीजी के विचारों पर केन्द्रित विशेष अंक का प्रकाशन किया जा रहा है।

जिस गति से गाँवों का परिदृश्य प्रतिदिन बदल रहा है महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की सोच और ज्यादा महत्वपूर्ण होते जा रही है। अब डिजिटल पंचायतें हैं। आधुनिक खेती है। संचार के साधन हैं। शहरों और गांवों के बीच संपर्क बढ़ा है।

हम सब गांधीजी को जानते हैं। उनका जीवन समझते हैं। गांधीजी के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। गांधीजी को अपनाने में पीछे न रहें। आज पूरा विश्व गांधी दर्शन से प्रभावित है। हम सब मिलकर गांधी बन जाएं।

मुझे विश्वास है कि इस अंक से आपको गांधीजी के जीवन दर्शन को समझने और अपनाने में मदद मिलेगी।

शुभकामनाओं सहित।

(कमल नाथ)
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

कमलेश्वर पटेल
मंत्री

प्रिय बंधुओ,

जैसा आप जानते हैं महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के कार्यक्रमों की श्रृंखला की शुरुआत हो रही है। यह पूरे साल भर चलेगी। इसमें गांधीजी को फिर से समझने का प्रयास करेंगे। गांधीजी क्या चाहते थे? पंचायतों से उनकी क्या उम्मीदें थीं? गांवों को क्या करना चाहिए? ग्राम सभा को और ज्यादा शक्तिशाली और जवाबदेह कैसे बनाया जा सकता है? सबसे जरूरी है कि गांव को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने के लिये जो गांधीजी सोचते थे उसे हम अपने गांवों में कैसे अपनायें।

हमारे गांवों को गांधीजी ने जितना समझा था उतना किसी नेता ने नहीं समझा। गांधीजी ने भारत का भविष्य देख लिया था और इसलिये कहा था कि भारत गांवों में बसता है। वे गांवों को संपूर्ण आर्थिक इकाई मानते थे। गांव को बाहरी सहायता की जरूरत नहीं है। गांवों में इतनी क्षमता है कि वे आर्थिक समृद्धि की नई ऊंचाइयां तय कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ जी ने गांवों और पंचायतों की शक्ति को पहचानते हुए कुछ नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। गौशालाएं खोलने का अभियान चल रहा है। अब कई संस्थाएं गौशालाएं खोलने के लिये अपनी इच्छा से आगे आ रही हैं। इसके अलावा अभी कुछ गांवों में कुरीतियां समाप्त नहीं हुई हैं। मैं अपेक्षा करता हूं कि इस बार आप ग्राम सभा की बैठकों में संकल्प लें, जितनी कुरीतियां हैं उन्हें समाप्त कर देंगे। जैसा गांधीजी चाहते थे कि हर पंचायत आर्थिक रूप से सक्षम बने और गांवों के संसाधनों का ही उपयोग हो। इस दिशा में भी आप सब विचार करें। विशेष रूप से गांवों के लोगों को किस प्रकार का रोज़गार मिल सकता है और इसका क्या तरीका हो सकता है। यदि छोटे स्तर पर कोई इकाई शुरू करने की संभावना हो तो इस पर भी विचार करें। राज्य सरकार चाहती है कि गांव के लोग अपनी तरक्की का रास्ता खुद चुनें। इससे दो फायदे होंगे। पहला कि गांव के लोग जो सुझाव देंगे उसे वे लागू करने की क्षमता रखते हैं। दूसरा यह कि सरकार की ओर से सुझाये गये तरीकों को बेमन से अपनाने से बच जायेंगे। सरकार पूरी तरह से सहयोग करेगी।

आपसे यही अनुरोध है कि पंचायत राज व्यवस्था महात्मा गांधी का उपहार है। उन्होंने पंचायतों की शक्ति को पहचाना। पंचायतों पर भरोसा किया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम आगे आयें। ग्राम स्वराज के सपने को साकार करें।

(कमलेश्वर पटेल)
मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास
मध्यप्रदेश शासन

संदीप यादव
आयुक्त

प्रिय पाठको,

यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती का वर्ष है। इसे मध्यप्रदेश में समारोहपूर्वक आयोजित करने की आयोजना बनाई गई है। इसी कड़ी में दो अक्टूबर से श्रृंखलाबद्ध ग्रामसभाओं का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभा के लिए 24 विषय, क्षेत्र तथा कार्य भी निर्धारित कर दिये गये हैं। इनकी विस्तृत जानकारी इसी अंक में पंचायत गजट में प्रकाशित की जा रही है।

गांधीजी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही भारत के गांव कैसे हों, गांवों को स्वावलम्बी और आत्मनिर्भर बनाने के लिये कैसी योजना बने, पंचायत राज व्यवस्था का स्वरूप क्या होना चाहिए, पंचायतें किन दायित्वों का निर्वहन करें और इस व्यवस्था को कैसे लागू किया जाये, यह कल्पना मेरे सपनों के भारत में स्पष्ट कर दी है। गांधीजी की ग्राम स्वराज की कल्पना को सार्थक करने के लिए उनकी कृषि नीति, उनकी पंचायत राज व्यवस्था, जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जायेगा। यह प्रयत्न वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों, प्रयासों और योजनाओं के क्रियान्वयन से लक्ष्य प्राप्त करेगा।

गांधीजी का कहना था ''पंचायत राज एक सच्चे लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करने का अहसास दिलाता है।'' उनकी परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए संविधान में संशोधन हुए। 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन के बाद पंचायत राज लोकतंत्र की इकाई के रूप में स्थापित किया गया। देश में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के स्वरूप में त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लागू की गई और गांधीजी के सपनों को आकार देने की दिशा में कदम बढ़ाये गये। मध्यप्रदेश 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को लागू करने में सम्पूर्ण भारतवर्ष में सबसे अग्रणी राज्य है।

पंचायत की व्यवस्था को लेकर गांधीजी ने कहा था पंचायत राज में गणराज्य के सभी गुण होने चाहिए। जिसमें स्वावलम्बन, स्वशासन, आवश्यकतानुसार स्वतंत्रता और विकेन्द्रीकरण तथा निर्णय आम सहमति से जनहित में हो, गांवों में गरीबी और बेरोजगारी निवारण जैसी सभी नीतियां निर्मित करने का दायित्व तथा अधिकार हो। गांव के लोग बेरोजगार न रहें, भूखे न रहें, वस्त्रहीन न रहें। ऐसे सभी दायित्वों की पूर्ति का कार्य पंचायतें करेंगी।

गांधीजी के विचारों के अनुरूप त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के द्वारा ग्राम स्वराज की परिकल्पना को आकार देने का प्रयास किया जा रहा है। गांधीजी की 150वीं जयंती समारोह का भी यही उद्देश्य है कि उनके विचार जन-जन तक पहुँचें और समाज, शासन, प्रशासन मिलकर वास्तविक ग्राम स्वराज को सार्थक कर सकें।

पंचायिका का यह अंक पूर्णतः गांधीजी के ग्राम स्वराज, पंचायती राज, उनकी कल्पना के गांव और उनकी चेतना से ग्रामीण भारत के निर्माण पर केन्द्रित है। उम्मीद है यह अंक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को जानने, समझने और व्यवहार में लाने में उपयोगी साबित होगा।

कृपया पंचायिका को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए अपनी प्रतिक्रिया पत्रों के माध्यम से अवश्य भेजें।

(संदीप यादव)
आयुक्त, पंचायत राज

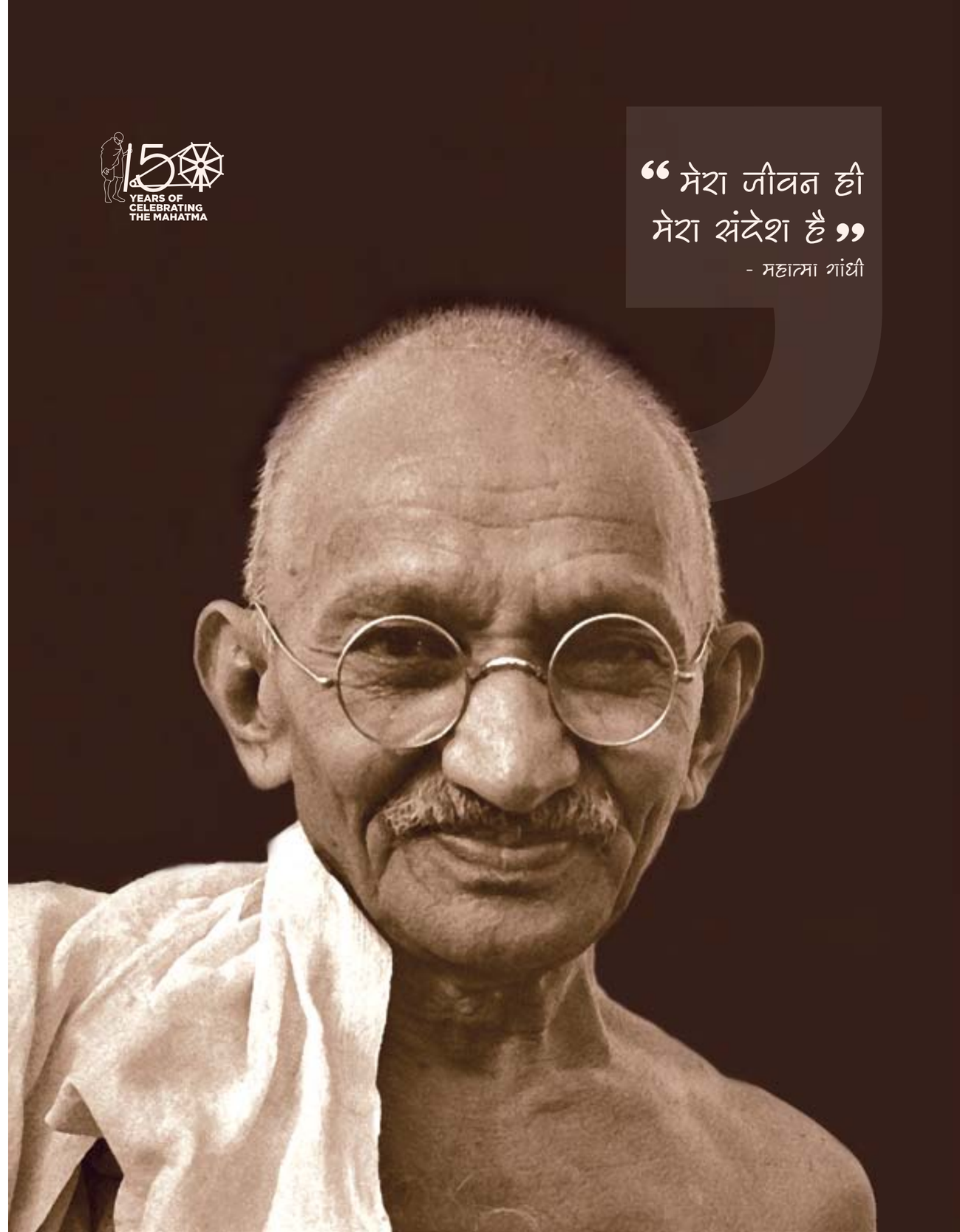

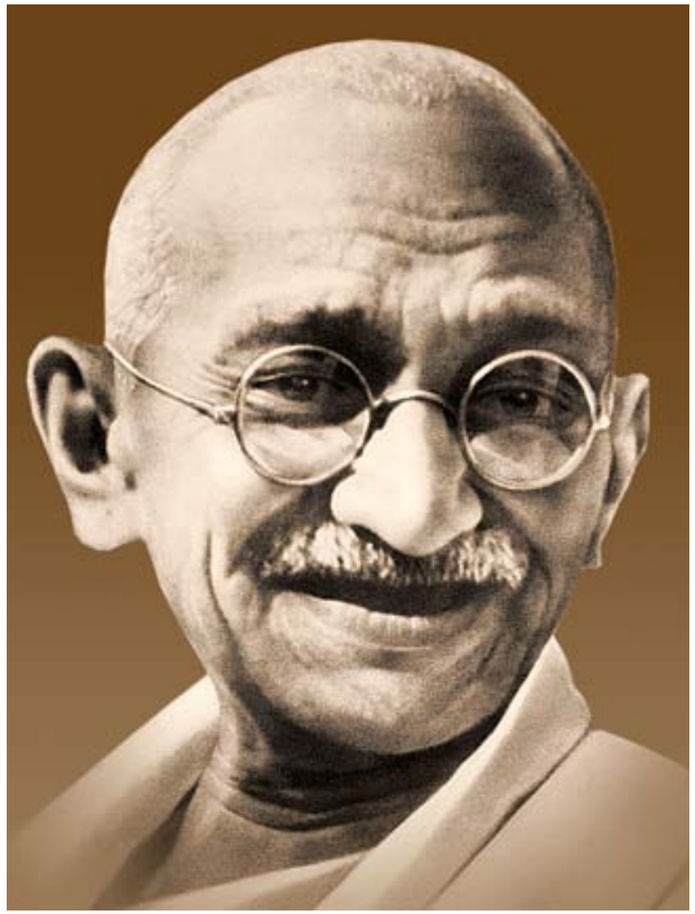

ग्राम स्वराज की मेरी कल्पना : महात्मा गांधी

ग्राम-स्वराज्य की मेरी कल्पना यह है कि वह एक ऐसा पूर्ण प्रजातंत्र होगा, जो अपनी अहम जरूरतों के लिए अपने पड़ोसी पर भी निर्भर नहीं करेगा, और फिर भी बहुतेरी दूसरी जरूरतों के लिए जिनमें दूसरों का सहयोग अनिवार्य होगा, वह परस्पर सहयोग से काम लेगा। इस तरह हर एक गांव का पहला काम यह होगा कि वह अपनी जरूरत का तमाम अनाज और कपड़े के लिए कपास खुद पैदा कर ले। उसके पास इतनी सुरक्षित जमीन होनी चाहिये, जिसमें ढोर चर सकें और गांव के बड़ों व बच्चों के लिए मन बहलाव के साधन और खेल-कूद के मैदान वगैरा का बन्दोबस्त हो सके। इसके बाद भी जमीन बची तो उसमें वह ऐसी उपयोगी फसलें बोयेगा, जिन्हें बेचकर वह आर्थिक लाभ उठा सकें।

हर एक गांव में गांव की अपनी एक नाटक शाला, पाठशाला और सभा-भवन रहेगा। पानी के लिए उसका अपना इंतजाम होगा जिससे गांव के सभी लोगों को शुद्ध पानी मिला करेगा। कुओं और तालाबों पर गांव का पूरा नियंत्रण रखकर यह काम किया जा सकता है। बुनियादी तालीम के आखिरी दरजे तक शिक्षा सबके लिए लाजिमी होगी। जहां तक हो सकेगा, गांव के सारे काम सहयोग के आधार पर किये जायेंगे। जात-पांत और क्रमागत अस्पृश्यता के जैसे भेद आज हमारे समाज में पाये जाते हैं, वैसे इस ग्राम-समाज में बिलकुल नहीं रहेंगे।

सत्याग्रह और सहयोग के शस्त्र के साथ अहिंसा की सत्ता ही ग्रामीण समाज का शासन-बल होगी। गांव की रक्षा के लिए ग्राम-सैनिकों का एक ऐसा दल रहेगा, जिसे लाजिमी तौर पर बारी-बारी से गांव के चौकी-पहरे का काम करना होगा। इसके लिए गांव में ऐसे लोगों का रजिस्टर रखा जायेगा। गांव का शासन चलाने के लिए हर साल गांव के पांच आदमियों की पंचायत बन जायेगी। इसके लिए नियमानुसार एक खास निर्धारित योग्यता वाले गांव के बालिग स्त्री-पुरुषों को अधिकार होगा कि वे अपने पंच चुन लें। इन पंचायतों को सब प्रकार की आवश्यक सत्ता और अधिकार रहेंगे। यह पंचायत अपने एक साल के कार्यकाल में स्वयं ही धारासभा, न्यायसभा और कार्यकारिणीसभा का सारा काम संयुक्त रूप से करेगी।

मेरा हेतु तो ग्राम-शासन की एक रूपरेखा पेश करने का ही है। इस ग्राम-शासन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधार रखने वाला संपूर्ण प्रजातंत्र काम करेगा। व्यक्ति ही अपनी इस सरकार का निर्माता भी होगा। उसकी सरकार और वह दोनों अहिंसा के नियम के वश होकर चलेंगे। अपने गांव के साथ वह सारी दुनिया की शक्ति का मुकाबला कर सकेगा। क्योंकि हर एक देहाती के जीवन का सबसे बड़ा नियम यह होगा कि वह अपनी और अपने गांव की इज्जत की रक्षा के लिए मर मिटे।

संभव है ऐसे गांव को तैयार करने में एक आदमी की पूरी जिंदगी खत्म हो जाये। सच्चे प्रजातंत्र का और ग्राम-जीवन का कोई भी प्रेमी एक गांव को लेकर बैठ सकता है और उसी को अपनी सारी दुनिया मानकर उसके काम में मशगूल रह सकता है।

देहात वालों में ऐसी कला और कारीगरी का विकास होना चाहिये, जिससे बाहर उनकी पैदा की हुई चीजों की कीमत की जा सके। जब गांवों का पूरा-पूरा विकास हो जायेगा, तो देहातियों की बुद्धि और आत्मा को संतुष्ट करने वाली कला-कारीगरी के धनी स्त्री-पुरुषों की गांवों में कमी नहीं रहेगी। गांव में कवि होंगे, चित्रकार होंगे, शिल्पी होंगे, भाषा के पंडित और शोध करने वाले लोग भी होंगे। थोड़े में, जिंदगी की ऐसी कोई चीज न होगी जो गांव में न मिले। आज हमारे देहात उजड़े हुए और कूड़े-कचरे के ढेर बने हुए हैं। कल वहीं सुन्दर बगीचे होंगे और ग्रामवासियों को ठगना या उनका शोषण करना असंभव हो जायेगा।

इस तरह के गांवों की पुनर्रचना का काम आज से ही शुरू हो जाना चाहिये। गांवों की पुनर्रचना का काम कामचलाऊ नहीं, बल्कि स्थायी होना चाहिये।

उद्योग, हुनर, तन्दुरुस्ती और शिक्षा इन चारों का सुन्दर समन्वय करना चाहिये। नई तालीम में उद्योग और शिक्षा, तन्दुरुस्ती और हुनर का सुन्दर समन्वय है। इन सबके मेल से

सत्याग्रह और सहयोग के शस्त्र के साथ अहिंसा की सत्ता ही ग्रामीण समाज का शासन-बल होगी। गांव की रक्षा के लिए ग्राम-सैनिकों का एक ऐसा दल रहेगा, जिसे लाजिमी तौर पर बारी-बारी से गांव के चौकी-पहरे का काम करना होगा। इसके लिए गांव में ऐसे लोगों का रजिस्टर रखा जायेगा। गांव का शासन चलाने के लिए हर साल गांव के पांच आदमियों की पंचायत बन जायेगी। इसके लिए नियमानुसार एक खास निर्धारित योग्यता वाले गांव के बालिग स्त्री-पुरुषों को अधिकार होगा कि वे अपने पंच चुन लें। इन पंचायतों को सब प्रकार की आवश्यक सत्ता और अधिकार रहेंगे। यह पंचायत अपने एक साल के कार्यकाल में स्वयं ही धारासभा, न्यायसभा और कार्यकारिणीसभा का सारा काम संयुक्त रूप से करेगी।

मां के पेट में आने के समय से लेकर बुढ़ापे तक का एक खूबसूरत फूल तैयार होता है। यही नई तालीम है। इसलिए मैं शुरू में ग्राम-रचना के टुकड़े नहीं करूंगा, बल्कि यह कोशिश करूंगा कि इन चारों का आपस में मेल बैठे। इसलिए मैं किसी उद्योग और शिक्षा को अलग नहीं मानूंगा, बल्कि उद्योग को शिक्षा का जरिया मानूंगा और इसलिए ऐसी योजना में नई तालीम को शामिल करूंगा।

मेरी कल्पना की ग्राम-इकाई मजबूत से मजबूत होगी। मेरी कल्पना के गांव में 1000 आदमी रहेंगे। ऐसे गांव को अगर स्वावलम्बन के आधार पर अच्छी तरह संगठित किया जाये, तो वह बहुत कुछ कर सकता है।

आदर्श भारतीय ग्राम इस तरह बनाया जायेगा कि उसमें आसानी से स्वच्छता की पूरी-पूरी व्यवस्था रहे। उसकी झोपड़ियों में पर्याप्त प्रकाश और हवा का प्रबंध रहेगा और उनके निर्माण में जिस सामान का उपयोग होगा वह ऐसा होगा, जो गांव के आसपास पांच मील की त्रिज्या के अंदर आने वाले प्रदेश में मिल सके। इन झोपड़ियों में आंगन या खुली जगह होगी, जहां उस घर के लोग अपने उपयोग के लिए साग-भाजियां उगा सकें और अपने मवेशियों को रख सकें। गांव की गलियां और सड़कें, जिस धूल को हटाया जा सकता है उससे मुक्त होंगी। उस गांव में उसकी आवश्यकता के अनुसार कुएं होंगे और वे सबके लिए खुले होंगे। उसमें सब लोगों के लिए पूजा के स्थान होंगे, सबके लिए एक सभा-भवन होगा, मवेशियों के चरने के लिए गांव का चारागाह होगा, सहकारी डेरी होगी, प्राथमिक और माध्यमिक शालायें होंगी जिसमें मुख्यतः औद्योगिक शिक्षा दी जायेगी और झगड़ों के निपटारे के लिए ग्राम-पंचायत होगी। वह अपना अनाज, साग-भाजियां और फल तथा खादी खुद पैदा कर लेगा।

हर गांव में पंचायत का राज होगा

आजादी नीचे से शुरू होनी चाहिये। हर एक गांव में जमहूरी सल्तनत का, पंचायत का राज होगा। उसके पास पूरी सत्ता और ताकत होगी। इसका मतलब यह है कि हर एक गांव को अपने पांव पर खड़ा होना होगा। अपनी जरूरतें खुद पूरी कर लेनी होंगी, ताकि वह अपना सारा कारोबार खुद चला सके। यहां तक कि वह सारी दुनिया के खिलाफ अपनी रक्षा खुद कर सके। उसे तालीम देकर इस हद तक तैयार करना होगा कि वह बाहरी हमले के मुकाबले में अपनी रक्षा करते हुए मर-मिटने के लायक बन जाये। इस तरह आखिर हमारी बुनियाद व्यक्ति पर होगी। इसका यह मतलब नहीं कि पड़ोसियों पर या दुनिया पर भरोसा न रखा जाये, या उनकी राजी-खुशी से दी हुई मदद न ली जाये। कल्पना यह है कि वह लोग आजाद होंगे और सब एक-दूसरे पर अपना असर डाल सकेंगे। जिस समाज का हर एक आदमी यह जानता है कि उसे क्या चाहिये और इससे भी बढ़कर जिसमें यह माना जाता है कि बराबरी की मेहनत करके भी दूसरों को जो चीज नहीं मिलती है, वह खुद भी किसी को नहीं लेना चाहिए, वह समाज जरूर ही बहुत ऊंचे दरजे की सभ्यता वाला होना चाहिये।

गाँव का शासन चलाने के लिए हर साल गाँव के पाँच आदमियों की एक पंचायत चुनी जाएगी। इसके लिए नियमानुसार एक खास निर्धारित योग्यता वाले गाँव के वयस्क स्त्री-पुरुषों को अधिकार होगा कि वे अपने पंच चुन लें। जब पंचायत राज स्थापित हो जायेगा तब लोकमत ऐसे भी अनेक काम कर दिखायेगा, जो हिंसा कभी नहीं कर सकती। पंचायत राज में केवल पंचायत की आज्ञा मानी जायेगी और पंचायत अपने बनाये हुए कानून के द्वारा ही अपना कार्य करेगी।

ऐसे समाज की रचना सत्य और अहिंसा पर ही हो सकती है। मेरी राय है कि जब तक ईश्वर पर जीता-जागता विश्वास न हो, तब तक सत्य और अहिंसा पर चलना असंभव है। ईश्वर या खुदा वह जिंदा ताकत है, जिसमें दुनिया की तमाम ताकतें समा जाती हैं। वह किसी का सहारा नहीं लेती और दुनिया की दूसरी सब ताकतों के खत्म हो जाने पर भी कायम रहती है। इस जीती-जागती रोशनी पर, जिसने अपने दामन में सब-कुछ लपेट रखा है, मैं यदि विश्वास न रखूं, तो मैं समझ न सकूंगा कि मैं आज किस तरह जिन्दा हूं।

ऐसा समाज अनगिनत गांवों का बना होगा। उसका फैलाव एक के ऊपर एक के ढंग पर नहीं, बल्कि लहरों की तरह एक के बाद एक की शकल में होगा। जिंदगी मीनार की शकल में नहीं होगी, जहां ऊपर की तंग चोटी को नीचे के चौड़े पाये पर खड़ा होना पड़ता है। वहां तो समुद्र की लहरों की तरह जिंदगी एक के बाद एक घेरे की शकल में होगी और व्यक्ति उसका मध्यबिन्दु होगा। यह व्यक्ति हमेशा अपने गांव की खातिर मिटने को तैयार रहेगा। गांव अपने ईद-गिर्द के गांवों के लिए मिटने को तैयार होगा। इस तरह आखिर सारा समाज ऐसे लोगों का बन जायेगा, जो कभी किसी पर हमला नहीं करते, बल्कि हमेशा नम्र रहते हैं और अपने में समुद्र की उस शान को महसूस करते हैं, जिसके वे एक जरूरी अंग हैं।

इसलिए सबसे बाहर का घेरा या दायरा अपनी ताकत का उपयोग भीतर वालों को कुचलने में नहीं करेगा, बल्कि उन सबको ताकत देगा और उनसे ताकत पायेगा। मुझे ताना दिया जा सकता है कि यह सब तो खयाली तस्वीर है, इसके बारे में सोचकर वक्त क्यों बिगाड़ा जाये? यूक्लिड की परिभाषा वाला बिन्दु कोई मनुष्य खींच नहीं सकता फिर भी उसकी कीमत हमेशा रही है और रहेगी। इसी तरह मेरी इस तस्वीर की भी कीमत है। इसके लिए मनुष्य जिन्दा रह सकता है। अगर इस तस्वीर को पूरी तरह बनाना या पाना संभव नहीं है, तो भी इस सही तस्वीर को पाना या इसे हर तक पहुंचना हिन्दुस्तान की जिंदगी का मकसद होना चाहिये। जिस चीज को हम चाहते हैं उसकी सही-सही तस्वीर हमारे सामने होनी चाहिये, तभी हम उससे मिलती-जुलती कोई चीज पाने की आशा रख सकते हैं। अगर हिन्दुस्तान के हर एक गांव में कभी पंचायती राज कायम हुआ, तो मैं अपनी इस तस्वीर की सच्चाई साबित कर सकूंगा... जिसमें सबसे पहला और सबसे आखिरी दोनों बराबर होंगे या यों कहिये कि न तो कोई पहला होगा, न आखिरी। इस तस्वीर में हर एक धर्म की अपनी पूरी और बराबरी की जगह होगी। हम सब एक ही आलीशान पेड़ के पत्ते हैं। इस पेड़ की जड़ हिलाई नहीं जा सकती, क्योंकि वह पाताल तक पहुंची हुई है। जबरदस्त से जबरदस्त आंधी भी उसे हिला नहीं सकती।

इस तस्वीर में उन मशीनों के लिए कोई जगह नहीं होगी, जो मनुष्य की मेहनत की जगह लेकर कुछ लोगों के हाथों में सारी ताकत इकट्ठी कर देती हैं। सभ्य लोगों की दुनिया में मेहनत की अपनी अनोखी जगह है। उसमें ऐसी मशीनों की गुंजाइश होगी, जो हर आदमी को उसके कार्य में मदद पहुंचाये। लेकिन मुझे कबूल करना चाहिये कि मैंने कभी बैठकर यह सोचा नहीं कि इस तरह की मशीन कैसी हो सकती है। सिलाई की सिंगर मशीन का खयाल मुझे आया था। लेकिन इसका जिक्र भी मैंने यों ही कर दिया था। अपनी इस तस्वीर को पूर्ण बनाने के लिए मुझे उसकी जरूरत नहीं।

जब पंचायत राज स्थापित हो जायेगा तब लोकमत ऐसे भी अनेक काम कर दिखायेगा, जो हिंसा कभी नहीं कर सकती। पंचायत राज में केवल पंचायत की आज्ञा मानी जायेगी और पंचायत अपने बनाये हुए कानून के द्वारा ही अपना कार्य करेगी।

अगर हिन्दुस्तान के हर एक गांव में कभी पंचायती राज कायम हुआ, तो मैं अपनी इस तस्वीर की सच्चाई साबित कर सकूंगा... जिसमें सबसे पहला और सबसे आखिरी दोनों बराबर होंगे या यों कहिये कि न तो कोई पहला होगा, न आखिरी।

ग्रामोद्योग : जीविका का आधारभूत साधन

ग्रामोद्योगों का यदि लोप हो गया, तो भारत के 7 लाख गांवों का सर्वनाश ही समझिये।

यंत्रों से काम लेना उसी अवस्था में अच्छा होता है, जबकि किसी निर्धारित काम को पूरा करने के लिए आदमी बहुत ही कम हों या नपे-तुले हों। पर यह बात हिन्दुस्तान में तो है नहीं।

उद्योगों के यंत्रीकरण से यहां की बेकारी घटेगी या बढ़ेगी? कुछ वर्ग गज जमीन खोदने के लिए मैं हल का उपयोग नहीं करूंगा। हमारे यहां सवाल यह नहीं है कि हमारे गांवों में जो लाखों-करोड़ों आदमी हैं उन्हें परिश्रम की चक्की से निकालकर किस तरह छुटटी दिलाई जाये, बल्कि यह है कि उन्हें साल में जो कुछ महीनों का समय यों ही बैठे-बैठे आलस में बिताना पड़ता है उसका उपयोग कैसे किया जाये। दरअसल बात यह है कि प्रत्येक मिल सामान्यतः आज गांवों की जनता के लिए त्रास रूप हो रही है। उनकी रोजी पर ये मायाविनी मिलें छापा मार रही हैं।

मैंने बारीकी से आंकड़े एकत्र नहीं किये हैं, पर इतना तो मैं कह ही सकता हूं कि गांवों में बैठकर कम से कम दस मजदूर जितना काम करते हैं उतना ही काम मिल का एक मजदूर करता है। इसे यों भी कह सकते हैं कि दस आदमियों की रोजी छीनकर यह एक आदमी गांव में जितना कमाता था उससे कहीं अधिक कमा रहा है। इस तरह कताई और बुनाई की मिलों ने गांवों के लोगों की जीविका का एक बड़ा भारी साधन छीन लिया है।

इसी तरह जो ग्रामवासी अपनी जरूरत भर के लिए खुद खादी बना लेता है, उसे वह महंगी नहीं पड़ती। पर मिलों का बना कपड़ा अगर गांवों के लोगों को बेकार बना रहा है, तो चावल कूटने और आटा पीसने की मिलें हजारों स्त्रियों की न केवल रोजी ही छीन रही हैं, बल्कि बदले में तमाम जनता के स्वास्थ्य को हानि भी पहुंचा रही हैं। डॉक्टरों तथा दूसरे आहार-विशेषज्ञों को चाहिये कि मैदे और मिल के कुटे पॉलिशदार चावल से लोगों के स्वास्थ्य की जो हानि हो रही है उससे वे जनता को आगाह कर दें।

मैंने सहज ही नजर में आने वाली जो कुछ मोटी-मोटी बातों की तरफ यहां ध्यान खींचा है, उसका उद्देश्य यही है कि अगर ग्रामवासियों को कुछ काम देना है तो वह यंत्रों के द्वारा संभव नहीं। उनके उद्धार का सच्चा मार्ग तो यही है कि जिन उद्योग-धंधों को वे अब तक किसी कदर करते चले आ रहे हैं, उन्हीं को भलीभांति जीवित किया जाये।

ग्रामोद्योगों की योजना के पीछे मेरी कल्पना तो यह है कि हमें अपनी रोजमर्रा की आवश्यकताएं गांवों की बनी चीजों से ही पूरी करनी चाहिये और जहां यह मालूम हो कि अमुक चीजें गांवों में मिलती ही नहीं, वहां हमें यह देखना चाहिये कि उन चीजों को थोड़े परिश्रम और संगठन से बनाकर गांव वाले उनसे कुछ मुनाफा उठा सकते हैं या नहीं। मुनाफे का अंदाज लगाने में हमें अपना नहीं, किन्तु गांव वालों का ख्याल रखना चाहिये। मैं कहूंगा कि अगर गांवों का नाश होता है तो भारत का भी नाश हो जायेगा। उस हालत में भारत भारत नहीं रहेगा। दुनिया को उसे जो संदेश देना है उस संदेश को वह खो देगा।

गांवों में फिर से जान तभी आ सकती है, जब वहां की लूट-खसोट रुक जाये। बड़े पैमाने पर माल की पैदावार जरूर ही व्यापारिक प्रतिस्पर्धा तथा माल निकालने की धुन के साथ-साथ गांवों की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से होने वाली लूट के लिए जिम्मेदार है। इसलिए हमें इस बात की सबसे ज्यादा कोशिश करनी चाहिये कि गांव हर बात में स्वावलम्बी और स्वयंपूर्ण हो जायें। वे अपनी जरूरतें पूरी करने भर के लिए चीजें तैयार करें। ग्रामोद्योग के इस अंग की अगर अच्छी तरह रक्षा की जाये, तो फिर भले ही देहाती लोग आज कल के उन यंत्रों और औजारों से भी काम ले सकते हैं, जिन्हें वे बना और खरीद सकते हैं। शर्त सिर्फ यही है कि दूसरों को लूटने के लिए उनका उपयोग नहीं होना चाहिये।

एकता की प्रतीक खादी

मेरे विचार में खादी हिन्दुस्तान की समस्त जनता की एकता की, उसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता की प्रतीक है, इसलिए पंडित जवाहरलाल के काव्यमय शब्दों में कहूं तो वह 'हिन्दुस्तान की आजादी की पोशाक' है। इसके सिवा, खादी वृत्ति का अर्थ है, जीवन के लिए जरूरी चीजों की उत्पत्ति और उनके बंटवारे का विकेन्द्रीकरण। इसलिए अब तक ओटना, रूई पींजना, पूनी बनाना, सूत कातना, सूत को मांड़ लगाना, सूत रंगना, उसका ताना भरना और बाना तैयार करना, सूत बुनना और कपड़ा धोना। इनमें से रंगसाजी को छोड़कर बाकी के सारे काम खादी के सिलसिले में जरूरी और महत्व के हैं, और उन्हें किये बिना काम नहीं चल सकता। इनमें से हर एक काम गांवों में अच्छी तरह हो सकता है, और सच तो

जो सिद्धांत बना है वह यह है कि हर एक गांव को अपनी जरूरत की सब चीजें खुद पैदा कर लेनी चाहिये, और शहरों की जरूरतें पूरी करने के लिए कुछ अधिक उत्पत्ति करनी चाहिये।

अलबत्ता, बड़े-बडे उद्योग-धंधों को तो एक जगह केन्द्रित करके राष्ट्र के अधीन रखना होगा। लेकिन समूचा देश मिलकर गांवों में जिन बड़े-बड़े आर्थिक उद्योगों को चलायेगा, उनके सामने ये कोई चीज न रहेंगे।

खादी के उत्पादन में काम शामिल हैं कपास बोना, कपास चुनना, उसे झाड़-झटक कर साफ करना और यह है कि अखिल भारत चरखा-संघ समूचे हिन्दुस्तान के जिन कई गांवों में काम कर रहा है, वहां ये सारे काम आज हो रहे हैं। जब से गांवों में चलने वाले अनेक उद्योगों में से इस मुख्य उद्योग का और इसके आसपास जुड़ी हुई कई दस्तकारियों का बिना सोचे-समझे, मनमाने तरीके से और बेरहमी के साथ नाश किया गया है, तब से हमारे गांवों की बुद्धि और तेज नष्ट हो गया है। वे सब निस्तेज और निष्प्राण बन गये हैं, और उनकी हालत उनके अपने भूखों मरने वाले मरियल ढोरों की-सी हो गई हैं।

गांधीजी का ग्राम स्वराज और
मध्यप्रदेश सरकार का संकल्प

● कमलेश्वर पटेल
मंत्री, पंचायत एवं
ग्रामीण विकास मध्यप्रदेश

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था अगर गांव नष्ट हो जायें तो हिन्दुस्तान नष्ट हो जायेगा। वह हिन्दुस्तान रह ही नहीं जायेगा, जिसे आज हम देख रहे हैं। दुनिया में उसका अपना मिशन ही खत्म हो जायेगा। इसलिये गांधीजी ने भारत में आजादी का संघर्ष आरंभ करने से पहले पूरे भारत की यात्रा की थी। वे गांव और शहर दोनों जगहों पर गए थे। गांधीजी उन दिनों सक्रिय उन महानुभावों से भी मिले जो या तो आजादी की लड़ाई में सक्रिय थे या समाज के उत्थान में। सबसे मिलकर और भारत भूमि के यथार्थ का दर्शन करके उन्होंने एक स्वतंत्र, सम्पन्न, स्वस्थ और शिक्षित राष्ट्र का सपना देखा था। यह सपना केवल कल्पना के आधार पर नहीं था। अपितु यथार्थ के धरातल पर एक कदम आगे बढ़ाकर आसमान को छूने का था और इसका आरंभ वे गांव से करना चाहते थे।

गांधीजी की दृष्टि में आदर्श गांव की अवधारणा बिल्कुल सहज और साधारण थी। उनका कहना था कि गांव में साफ-सफाई का उत्तम प्रबंध हो, घर ऐसा हो कि उसमें पर्याप्त रोशनी और हवा आ सके। घरों में इतनी जगह हो कि सब्जी उगाई जा सके। पशुओं को रखा जा सके। गांवों से जुड़ी सड़कें ऐसी हों जहां धूल न उड़े। एक ऐसी सार्वजनिक जगह हो जहाँ सब अपने धार्मिक रीति-रिवाज निभा सकें। एक सामूहिक बैठक शाला हो। इसके अलावा सहकारी डेयरी, प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूल हो जहां औद्योगिक शिक्षा की पढ़ाई का पूरा ध्यान हो। हर गांव अपनी सब्जी, अपना अनाज, फल उगा सके और खादी के लिए काम कर सके। उनका कहना था कि पंचायत राज में स्थानीय संसाधनों का उपयोग करना काफी महत्वपूर्ण है। पंचायतों के अंदर ग्राम सभा को इस तरह से संगठित होना चाहिए कि वह स्थानीय संसाधनों को तलाश कर उसका उपयोग कृषि और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास में कर सके।

भारत ग्रामवासियों और वनवासियों का देश है। हमारे वनों में रहने वाले आदिवासी जहां प्रकृति का पूजन और संरक्षण करते हैं वहीं ग्रामवासी उत्पाद को समाज तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसीलिए गांधीजी की कल्पना में ग्रामवासी और आदिवासी विकास की पहली प्राथमिकता में थे। वे एक ऐसे भारत की कल्पना करते थे। जिसका हर गांव आत्मनिर्भर हो, वह अपनी जरूरतों को खुद पूरा करें, वह जरूरत चाहे स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो या फिर अपने लिए बनाए जाने वाले नियमों की ही क्यों न हो। यही उनके ग्राम स्वराज का आधार था। जिसमें वे पंचायत राज चाहते थे।

पंचायतें इतनी सक्षम हों कि वे यदि अपनी भौतिक आवश्यकता को स्वयं उपार्जित करें, तो अपने नियम भी खुद बनाएं। बाहर से नियम बनाकर इन पर थोपे न जायें। इसका कारण यह था कि गांधीजी ने महसूस किया था कि शहरों के व्यवहारिक जीवन और गांव के जीवन में बहुत अंतर है। यह अंतर उनके चिंतन में भी दिखता है।

इसलिए गांव का कानून गांव की धरती पर बने, गांधीजी की इस कल्पना को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पहली प्राथमिकता में लिया। उन्होंने पंचायत राज की एक पूरी कल्पना की। नेहरू जी तो गांधीजी की पूरी कल्पना के अनुरूप न्याय पंचायतें भी कायम करना चाहते थे। नेहरू जी चाहते थे कि गांव की स्थानीय और छोटी-मोटी बातों का निराकरण, गांव में हो जाये और यह काम गांव से ही चयनित न्याय पंचायत के प्रतिनिधि करें।

कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण नेहरू जी के इस न्याय पंचायत चिंतन में अवरोध आया। लेकिन पंचायत राज और ग्राम पंचायत की कल्पना गांधीजी के सपनों के अनुरूप कायम की गयी।

इसी बात को आगे बढ़ाया भारत के स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने। उन्होंने दृढ़ता से भारत के संविधान में संशोधन किया और गांवों की जरूरत के हिसाब से आवश्यक प्रशासनिक अधिकार गांवों को सौंपने का फैसला किया। उनकी कल्पना में यह त्रि-स्तरीय व्यवस्था थी- ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। इसके अंतर्गत गांव के स्तर की समस्याएं गांव में हल हों। खण्ड स्तर की समस्या खण्ड स्तर पर और जिला स्तर की समस्याओं का समाधान जिला स्तर पर हो जाए। संभाग में और प्रदेश में वही विषय आयें जिनका संबंध जिले की सीमाओं से बाहर हो। अन्यथा सारे विषय स्थानीय स्तर पर ही हल कर दिये जायें। इससे व्यक्ति को न्याय मिलने में, कार्यों का समाधान होने में समय की बचत होगी।

सत्ता के विकेन्द्रीकरण का सिद्धान्त जो गांधीजी का मूल सपना था उसने आकार लिया। राजीव गांधीजी के इस फैसले को देशभर ने सराहा और स्वीकार किया। हमें इस बात का गर्व है कि एक समय यह पंचायत राज व्यवस्था लागू करने वाला मध्यप्रदेश सबसे पहला राज्य था। हमने इसे लागू किया, जिसका अनुसरण देश के अन्य प्रांतों ने भी किया। प्रदेश के त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के व्यवहारिक पक्ष को देखने-समझने के लिए देश के अन्य प्रांतों के प्रतिनिधिमण्डलों ने भ्रमण भी किया। दुर्योग से बीच में मध्यप्रदेश में हुए राजनीतिक परिवर्तनों के कारण मूल पंचायत राज व्यवस्था में गतिरोध आया।

पंचायतें इतनी सक्षम हों कि वे यदि अपनी भौतिक आवश्यकता को स्वयं उपार्जित करें, तो अपने नियम भी खुद बनाएं। शहरों में बनाए गए नियम उन पर लागू न हों। इसका कारण यह है कि गांधीजी ने महसूस किया था कि शहरों का व्यवहारिक जीवन और गांव के जीवन में बहुत अंतर है। यह अंतर दोनों के चिंतन में भी दिखता है। गांव का कानून गांव की धरती पर बने, गांधीजी की इस कल्पना को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पहली प्राथमिकता में लिया। नेहरू जी तो गांधीजी की पूरी कल्पना के अनुरूप न्याय पंचायतें भी कायम करना चाहते थे। इसी बात को आगे बढ़ाया भारत के स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने। उन्होंने दृढ़ता से भारत के संविधान में संशोधन किया और गांव के प्रशासनिक अधिकार गांव को सौंपने का फैसला किया।

अब इस सरकार ने निर्णय लिया है कि गांधीजी के स्वप्न के अनुरूप पंडित जवाहरलाल नेहरू के चिंतन के अनुरूप और भारत-रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधीजी के निर्णय के अनुसार प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था लागू होगी। इसका निर्णय मध्यप्रदेश सरकार ले चुकी है और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री कमल नाथजी ने संकल्प व्यक्त किया है कि गांधीजी के मूल्यों और सिद्धान्तों को जन-जन तक पहुंचाया जायेगा।

गांधीजी ने पंचायत राज को लेकर स्पष्ट किया है कि गांव का शासन चलाने के लिए हर साल गांव के पांच आदमियों की एक पंचायत चुनी जाएगी। इसके लिए नियमानुसार एक खास निर्धारित योग्यता वाले गांव के बालिग स्त्री-पुरुषों को अधिकार होगा कि वे अपने पंच चुन लें। इन पंचायतों को सब प्रकार की आवश्यक सत्ता और अधिकार रहेंगे।

गांधीजी की कल्पना के अनुरूप मध्यप्रदेश सरकार ने विकास का संकल्प लिया है। गांधीजी की जो ग्राम स्वराज की कल्पना थी उसे यथार्थ रूप में ही आकार दिया जायेगा। यह व्यवस्था पंचायत राज की राजनीतिक व्यवस्था तक सीमित नहीं है, अपितु सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सामुदायिक और स्वास्थ्य सुधार की दिशा में भी आकार लेगी। हमारे गांव पूर्णतः आत्मनिर्भर बनें, वे नगरों पर किसी भी प्रकार से आश्रित न रहें। गांव में उत्पादित फसलों के अनुसार वहां कुटीर उद्योग लगें, लघु उद्योग लगें, पशुपालन बढ़े, गांव के युवाओं को रोजगार गांव में ही मिल सके। किसान के खाली समय और खाली जमीन का उपयोग कैसे अधिकतम किया जाये। यह सारे विषय भी हमारे ग्राम स्वराज की कल्पना में हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे ग्रामीण समाज में जागृति से इस संकल्प को पूरा होने में मदद मिलेगी।

यह गांधीजी के जन्म का 150वां साल चल रहा है। हम उन्हें बहुत याद करते हैं यह स्मृति तभी सार्थक होगी जब हम उनके सभी सपनों को आकार देंगे। उनके सपनों का भारत बनायेंगे और उनकी कल्पना के अनुसार गांवों का उत्थान करेंगे।

वरिष्ठ गांधी विचारक और चिंतक डॉ. एस. एन. सुब्बाराव ने बताया कि महात्मा गांधी ने कहा था भारत की आत्मा गांवों में बसती है। उन्होंने अपने सपनों के भारत में गांव के विकास को प्रमुखता प्रदान करके उससे देश की उन्नति निर्धारित होने की बात कही थी। गांधी ने अपने सपनों के भारत में अपनी विशाल दृष्टि और सोच का परिचय देते हुए ग्रामीण विकास की तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति करके ग्राम स्वराज, पंचायत राज, ग्रामोद्योग, महिलाओं की शिक्षा, गांव की सफाई और गांव को स्वस्थ बनाने को लेकर काफी काम किया। इतना ही नहीं गांवों को खादी निर्माण से जोड़कर अनेक बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ना उनका मूल उद्देश्य था। यह कहना है गांधी विचारक और चिंतक डॉ. एस. एन. सुब्बाराव का। वे हाल ही में भोपाल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गांधीजी की 150वीं वर्ष जयंती पर गांधी के सपनों के भारत पर खुलकर चर्चा की। प्रस्तुत है मध्यप्रदेश पंचायिका के लिए प्रवीण पाण्डेय से हुई बातचीत के अंश।

गांधी ने कहा था कि 7 लाख सर्वधर्म के प्रभुत्व से मिलकर बनता है

मेरे सपनों का भारत

गांधीजी और ग्राम स्वराज

दुनिया के इतिहास में दो बड़े नाम हैं। जिनके कारण दुनिया बदल गई। एक नाम है कार्ल मार्क्स और दूसरा नाम है महात्मा गांधी। दोनों के विचारों में विरोधाभास था। एक ने कहा मरना है तो मुझे ही मरना है। दूसरे ने कहा ज्यादा लोगों का फायदा होता है तो कुछ लोगों को मारना है तो मार डालो। लेकिन एक बात में दोनों का समान विचार था। गांधी ने कहा था कि 7 लाख सर्वधर्म के प्रभुत्व से मिलकर बनता है मेरे सपनों का भारत। यानि हर एक गांव सर्वधर्म होगा। गांधी बोले प्रत्येक गांव पूरा गांव हो जाएगा। दोनों की दृष्टि एक ही थी, एक ही विषय पर। कार्ल मार्क्स का मानना था कि केंद्र में कोई सरकार न हो। इत्तेफाक से रशिया में न तो मार्क्स की बात सच हो सकी और न ही भारत में महात्मा गांधी की। दरअसल गांधी गांव को स्वतंत्र बनाना चाहते थे। वे उसे अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते थे। ताकि बार-बार गांव के लोगों को अपने काम के लिए सरकार के चक्कर न काटना पड़ें। अपनी आवश्यकताओं को वो स्वतः पूरी कर लें। लेकिन वो नहीं हो पाया।

गांधी और पंचायती राज

ग्राम स्वराज, ग्राम सभा और पंचायती राज अलग होता है। ग्राम सभा में, गांव का हर एक बालिग व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य बन जाता है। पंचायत में चुना हुआ होता है। ग्राम सभा में चुना नहीं जाता वो तो जन्म से ही उसका सदस्य होता है। दुर्भाग्य से ग्राम सभा की परिकल्पना स्वरूप देश में आज के समय इक्का दुक्का गांव ही नजर आते हैं जो इस सूत्र पर काम कर रहे है। उदाहरण के रूप में मुझे मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर का एक गांव याद आता है जिसका नाम है बगवार। देखने लायक गांव है। वो लोग गांधी का नाम नहीं लेते, लेकिन उनके सपनों का भारत वहीं बसता है। वहां मैंने देखा कि पुलिस थाने को स्थानीय लोगों ने कलेक्टर से कहकर हटवा दिया। क्योंकि वहां पुलिस थाने तक कोई मामला पहुंचता ही नहीं था। लोग आपस में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के माध्यम से अपने मामले खुद ही निपटा लेते हैं। इतना ही नहीं स्वच्छता की बात करें तो यह गांव मुझे बहुत अलग नजर आया। बगवार गांव में सरपंच, पंच का चुनाव नहीं होता है। बगवार एक आदर्श गांव है।

युवा और गांधी

प्रत्येक युवा अभिमान करे, कि वो एक स्वतंत्र भारत में जन्मा है और यहां का नागरिक है। नागरिक होने के नाते वह गलत काम नहीं करेंगे। स्वतंत्र भारत का अभिमान करने वाला युवा यदि बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम देता है तो यह निंदनीय है। इस पर हमको सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि इस तरह की घटनाएं पुलिस से रुकने वाली नहीं हैं। हमारे नौजवानों को भावनायुक्त बनाना चाहिए। युवाओं को सोचना चाहिए कि मैं स्वतंत्र भारत का नागरिक हूं, अतः मेरे हाथों से किसी भी प्रकार से गलत कम नहीं होगा। हिंसा नहीं होगी, भ्रष्टाचार नहीं होगा। यह भावना आना बहुत जरूरी है। मैं महान राष्ट्र का सदस्य हूं यह भाव रहना चाहिए। युवाओं को आज हमें संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। संवेदनाओं का मर जाना राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ही घातक है। दया, करुणा, प्रेम, सौहार्द्र, सर्वधर्म समभाव के आधार पर ही विश्व में शांति संभव है। अहिंसा परमो धर्म का संदेश देने वाली धरती पर हिंसा की घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। आखिर मानव समाज कहां जा रहा है।

गांधी और आज की प्रासंगिकता

गांधीजी ने 1920 में देश को नेतृत्व देना शुरू किया। उस वक्त लोगों ने उनकी बात को स्वीकार किया तो देश स्वतंत्र हुआ। अब जब उनको छोड़ दिया तो देश बदनाम हो रहा है। गांधीजी की प्रासंगिकता पर विचार करने के पूर्व यह जानना आवश्यक है कि गांधीजी के व्यक्तित्व एवं विचार दर्शन का मूल आधार क्या है? व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो गांधीजी राजनीतिज्ञ हैं, दार्शनिक हैं, सुधारक हैं। आचार शास्त्री और अर्थशास्त्री भी। समग्र दृष्टि से गांधीजी के व्यक्तित्व में इन सबका सम्मिश्रण देखने को आता है।

गांधीजी का धर्म परंपरागत धर्म नहीं है। उनका धर्म विभाजक दीवारें खड़ी नहीं करता। धर्म मनुष्य की पाश्विक प्रकृति को बदलने का उपक्रम है। धर्म एक समग्र सत्य साधना है। धर्म अन्तःकरण के सत्य से चेतना का संबंध स्थापित करना है। धर्म वह पवित्र अनुष्ठान है जिससे चित्त का, मन का, चेतना का परिष्कार होता है। धर्म वह तत्व है, जिसके आचरण से व्यक्ति अपने जीवन को चरितार्थ कर पाता है। धर्म मनुष्य में मानवीय गुणों के विकास की संभावना है, धर्म सार्वभौम चेतना का सत्संकल्प है।

महात्मा की नजर में कृषि व्यवस्था

अमेरिका में गांधीजी की बात हो रही है, आर्गनिक खेती हो रही है। ताकि शोषण न हो वहां के लोग रासायनिक खाद डालकर खेती बहुत कम करते हैं। किसानों और खेती के लिए गांधीजी का लगाव तब विकसित हुआ जब वह दक्षिण अफ्रीका में थे, जहां उनके आश्रम में वह खेती किया करते थे और बाद

में उन्होंने अहमदाबाद और साबरमती के आश्रमों में भी इस गतिविधि को जारी रखा। उन्होंने ने एक बार कहा था अपनी मिट्टी और पृथ्वी को खोदने के तरीके को भूलना, खुद के अस्तित्व को भूलना है। इतना ही नहीं गांधी के आदर्श पंचायत के आर्थिक विकास में किसानों की सहभागिता को सबसे अहम माना गया है। कृषि के साथ-साथ पशुपालन और लघु-कुटीर उद्योग को किसानों के विकास का संचालक माना गया है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य किसानों और गांवों को आत्मनिर्भर बनाना था।

धर्म मनुष्य की पाश्विक प्रकृति को बदलने का उपक्रम है। धर्म एक समग्र सत्य साधना है। धर्म अन्तःकरण के सत्य से चेतना का संबंध स्थापित करना है। धर्म वह पवित्र अनुष्ठान है जिससे चित्त का, मन का, चेतना का परिष्कार होता है। धर्म वह तत्व है, जिसके आचरण से व्यक्ति अपने जीवन को चरितार्थ कर पाता है। धर्म मनुष्य में मानवीय गुणों के विकास की संभावना है, धर्म सार्वभौम चेतना का सत्संकल्प है।

स्वास्थ्य के लिए गांधी

अगर किसी व्यक्ति के पास कुछ करने का हौसला और चिंतन क्षमता है तो मैं इस उम्र में भी नौजवान हूं। जबकि कोई व्यक्ति 18 वर्ष का है और उसके कोई सपने और कुछ कर गुजरने का हौसला नहीं है तो वह बुजुर्ग है। मैं इसी सिद्धांत पर इस उम्र में भी युवाओं के साथ काम कर रहा हूं। आज हम भारत को विश्व में सिरमौर बनाना चाह रहे हैं। उसके लिए आवश्यकता है एक स्वस्थ मन की। इसके लिए हमें एक घंटा शरीर के लिए देना चाहिए। गांधीजी स्वस्थ जीवन के लिए व्यायाम को आवश्यक मानते थे। भारत को स्वस्थ रखने के लिए युवा श्रमदान और पौधरोपण सेवा भाव से करें।

गांधी का ग्राम स्वराज और पंचायत राज प्रणाली

● भूपेन्द्र गुप्ता
स्वतंत्र लेखक एवं चिंतक

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर गांधी पर पुनरावलोकन की जरूरत है। गांधी केवल एक चश्मा नहीं है जिसे दिखाया जा रहा है, गांधी एक दृष्टि है जो उस चश्मे से पार अपनाई जानी चाहिये। गांधी को चश्मे में समेटने वाले भला यह सोचें कि 10-20 साल बाद किसी और को भी यह चश्मा लगाकर गांधी बना देंगे मगर ये हो न सकेगा। क्योंकि गांधी के ग्राम स्वराज की कल्पना भारत के संपूर्णता की कल्पना है, उसमें पूरा भारत ध्वनित होता है। गांधीजी कहते थे कि गांव की सेवा करने से ही सच्चे स्वराज की स्थापना होगी अन्यथा सारे प्रयत्न निरर्थक सिद्ध होंगे अगर गांव नष्ट हो जाएगा तो हिंदुस्तान भी नष्ट हो जाएगा वह हिंदुस्तान ही नहीं रह जाएगा दुनिया में उसका अपना मिशन ही खत्म हो जाएगा इसीलिए उन्होंने ना केवल सत्ता के विकेंद्रीकरण की कल्पना की बल्कि उन्होंने सत्ता के केंद्रों को गांव तक भेजने का फैसला किया। उसे कानूनी शक्ति बनाया। जहां पर गांव तय कर सकेगा कि उसे कैसी जीवनशैली, चाहिए उसे कैसा परिवेश चाहिए, उसे कैसा गांव चाहिए और यही परिकल्पना राजीव गांधी ने पंचायत राज प्रणाली के रूप में रूपांतरित की। उसके माध्यम से उन्होंने लाखों नए सत्ता के केंद्र विकसित किए लाखों लोगों को चुने हुए जनप्रतिनिधि बनाकर लोकतंत्र के महायज्ञ में निर्णय लेने वाली शक्तियों में शुमार किया। कहना ना होगा कि पंचायती राज व्यवस्था लागू करने से पहले देश में मात्र 543 सांसद और 4000 से

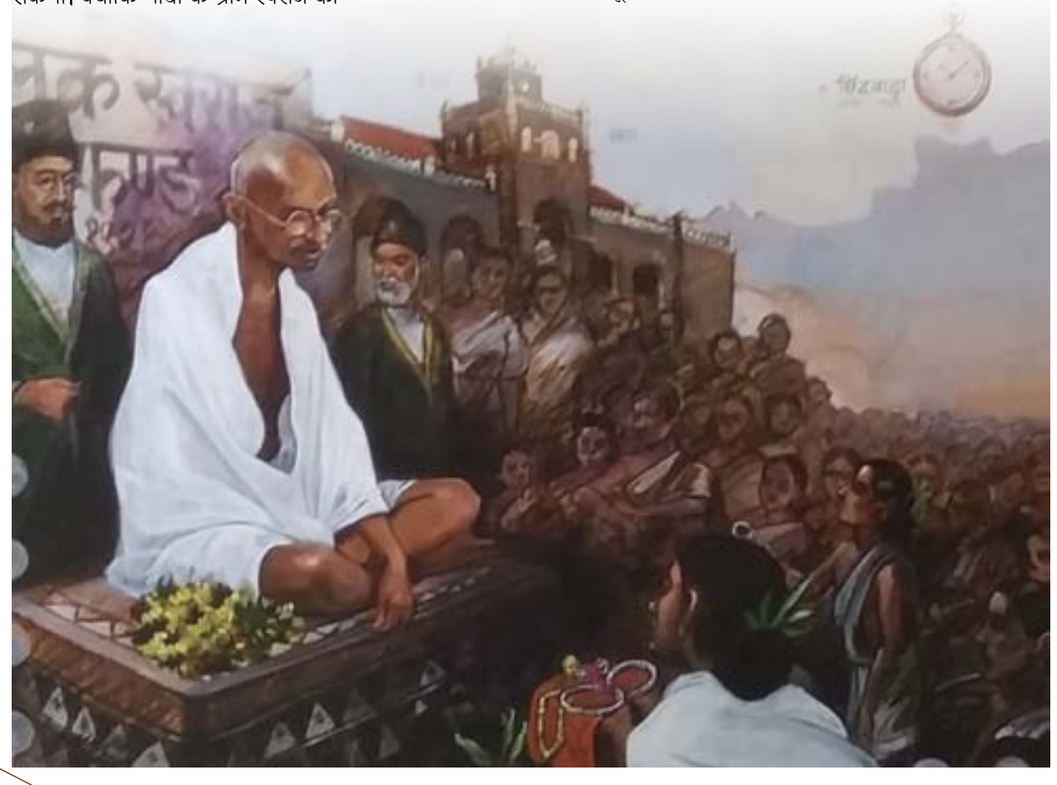

कुछ अधिक विधायकों के हाथ में सत्ता केंद्रित थी लेकिन पंचायती राज प्रणाली से लगभग 13 लाख चुने हुए जनप्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता की बागडोर सौंपी गई जिसमें लगभग 3 लाख 50 हजार तो केवल महिला जनप्रतिनिधि थीं। यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन है जिसकी नींव स्व. राजीव गांधी ने रखी है। उन्होंने तकनीकी और ग्राम स्वराज को आपस में जोड़कर एक नए प्रशासन की संरचना की।

गांधीजी कहते थे जब शहरों को गांव के मातहत रहना पड़ेगा तभी शहरों का आधिपत्य समाप्त होगा। आज तो शहरों का बोलबाला है वे गांव की पूरी दौलत खींच लेते हैं इससे गांव नष्ट हो रहे हैं गांव का शोषण खुद एक संगठित हिंसा है। वे मानते थे कि अगर हिंदुस्तान को सच्ची आजादी पानी है और हिंदुस्तान की मार्फत दुनिया को भी पानी है तो आज नहीं तो कल देहातों में रहना होगा झोपड़ियों में रहना होगा, महलों में नहीं। कई अरब आदमी शहरों में और महलों में सुख से शांति से कभी नहीं रह सकते ना एक दूसरे का खून करके यानी हिंसा से ना झूठ बोलकर यानि असत्य से। मनुष्य जाति का नाश ही है अगर सत्य और अहिंसा समाप्त हो जाएं इसमें मुझे जरा भी शक नहीं है और उस सत्य और अहिंसा का दर्शन देहातों की सादगी में ही कर सकते हैं। गांधी की अवधारणा को लेकर भारत की राजीव गांधी सरकार ने 73वें संविधानिक संशोधन के माध्यम से पंचायतराज को संवैधानिक दर्जा दिया तथा 74वें संशोधन के माध्यम से 11वीं अनुसूची में जो नए कानून बनाए और बदलाव किया उससे ग्राम स्वराज की कल्पना साकार हुई। सबसे पहले पंचायतों को अधिकार मिले और पंचायतों को अधिकार देने के बाद जब परिपक्वता आई तो पेसा कानून के माध्यम से ग्राम सभा को शक्ति प्रदान की गई यह सत्ता के विकेंद्रीकरण का एक अद्भुत संकल्प था जिसे स्व. राजीव गांधी की सरकार ने साकार किया जिसके माध्यम से लगभग साढ़े तीन लाख महिला

गांधीजी की अवधारणा को लेकर भारत की राजीव गांधी सरकार ने 73वें संविधानिक संशोधन के माध्यम से पंचायतराज को संवैधानिक दर्जा दिया तथा 74वें संशोधन के माध्यम से 11वीं अनुसूची में जो नए कानून बनाए और बदलाव किया उससे ग्राम स्वराज की कल्पना साकार हुई। सबसे पहले पंचायतों को अधिकार मिले और पंचायतों को अधिकार देने के बाद जब परिपक्वता आई तो पेसा कानून के माध्यम से ग्राम सभा को शक्ति प्रदान की गई यह सत्ता के विकेंद्रीकरण का एक अद्भुत संकल्प था जिसे राजीव गांधी की सरकार ने साकार किया।

प्रतिनिधि चुनकर सरकार में अपनी हिस्सेदारी करने लगीं। मध्यप्रदेश सरकार ने तो सबसे आगे बढ़कर ऐसे कानून भी बनाए जहां पर पंचायत राज व्यवस्था में राइट टू रिकॉल का अधिकार जनता के हाथ में दे दिया। अगर आप अपने जनप्रतिनिधि से संतुष्ट नहीं हैं तो खाली कुर्सी भरी कुर्सी के माध्यम से आप उसे पद से हटा सकते हैं। यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन गांव के संसाधनों को ग्राम सभा में डालकर ग्राम सभा को अधिकार दिए गए जब तक ग्राम सभा तय नहीं कर लेती तब तक गांव के संसाधन उनके खनिज, उनके पानी पर अधिकार नहीं किया जा सकता। वे कहते थे कि गांव को और उसकी अर्थव्यवस्था को ताकतवर किए बिना भारत को एक राष्ट्र के रूप में सफल नहीं किया जा सकता।

रूढ़िवादी विषमतावादी और शोषणवादी अर्थ समाज भारत के स्वरूप को ही तार-तार कर देगा और इसीलिए गांधीजी ने लोकतंत्र का रास्ता चुना और लोकतंत्र के माध्यम से गांव को ताकत देने की कल्पना ग्राम स्वराज के माध्यम से की गई। जिसे स्व. राजीव गांधी की सरकार ने अमलीजामा पहनाया। कांग्रेस की सरकारों ने शनैःशनैः देश के नागरिकों को शक्ति हस्तांतरण की नीतियां बनायीं उन्होंने नागरिक सशक्तिकरण को कानूनी जामा पहनाया।

सूचना का अधिकार कानून, भोजन का अधिकार, रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा), वन अधिकार कानून, पेसा कानून, शिक्षा का अधिकार कानून भारत के नागरिकों के सशक्तिकरण के क्रांतिकारी फैसले हैं, जो पूर्ण स्वराज की कल्पना को फलीभूत कर रहे हैं आज भले ही इन कानूनों को शिथिल करने की कोशिशें हो रही हों किंतु स्वाधीनता और स्वाभिमान की जो जागृति इन कानूनों ने जनता में पैदा की है उसके कारण जनता आज नहीं तो कल इन दुष्प्रयासों को असफल कर देगी।

ग्राम स्वराज की गांधीवादी अवधारणा में पंचायत

● घनश्याम सक्सेना
वरिष्ठ लेखक एवं स्तंभकार

पर्वत-पर्वत धूप घाटियों में छाया।
देख तो सूरज! यह कैसी तेरी माया!

महात्मा गांधी के सपनों का प्रजातंत्र ग्राम स्वराज की अवधारणा पर आधारित था, गांव इसकी इकाई थे, पंचायत इसका तंत्र था। इसलिये उन्होंने जुलाई 1938 में अपने प्रकाशन 'हरिजन सेवक' में लिखा था - यदि मेरा स्वप्न पूरा हो जाये तो भारत के सात लाख गांवों में से हर एक गांव समृद्ध प्रजातंत्र बन जायेगा। चूंकि गांधीजी पंचायत को विकेन्द्रीकृत प्रजातंत्र की बुनियाद मानते थे। अतः उनके सपनों का भारत बनाने के लिये पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी (1944-1991) ने संसद में त्रि-स्तरीय पंचायत राज विषयक कानून पास करवाया। पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने इसे निष्ठापूर्वक लागू किया और कमल नाथ सरकार में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल उसे प्राण-पण से कार्यान्वित करने में जुट गये हैं। यह ग्रासरूट का प्रजातंत्र है, यह हमारे गांवों के सर्वांगीण विकास की जमीन से जुड़ी पहल है।

सन् 1915 में जब गांधीजी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तभी से वे इस बात पर सर्वाधिक जोर दे रहे थे कि गांवों में ग्राम पंचायतों को फिर से जीवित करके शक्तिशाली बनाया जाये। उनका विश्वास था कि ''सच्चा भारत तो लाखों गांवों में बसता है और उसका भविष्य तब तक उज्ज्वल नहीं होगा जब तक गांव पिछड़े रहेंगे...!'' राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने लिखा है :

भारतमाता ग्रामवासिनी... अहा!
ग्राम-जीवन भी क्या है, थोड़े में निर्वाह यहां है।

हमारे प्रथम प्रधानमंत्री राष्ट्रनिर्माता पं. जवाहरलाल नेहरू भी गांवों के उत्थान और विकास के लिये गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं, ग्राम पंचायतों, ग्राम सहकारी तंत्र तथा ग्राम कला कौशल केन्द्र को परम आवश्यक मानते थे। ये तो न्यूनतम तंत्र है किन्तु इससे बापू के सपनों को बहुत कुछ साकार किया जा सकता है। हमारे गांव शिक्षित-प्रशिक्षित और स्वस्थ हों। पंचायतों से स्वशासित हों। अर्थव्यवस्था स्थानीय साधनों के दोहन से सहकारी आधार पर चले। दस्तकारी और ग्रामोद्योग के माध्यम से एक और बेकारी मिटे तथा दूसरी ओर किसान की आय बढ़े।

दक्षिण अफ्रीका प्रवास से लौटने पर श्री गोपालकृष्ण गोखले ने गांधीजी को परामर्श दिया था कि ''आप भारत को समझने के लिए भारत के गांवों में जाओ...!'' गांधीजी पहले से अवगत थे कि प्राचीन भारत का सारा तंत्र पंचायतों के माध्यम से ही चलता था। पंचों को परमेश्वर की संज्ञा दी गई थी। मुगलकाल तक भी ग्राम-प्रजातंत्र की यह व्यवस्था बहुत कुछ चालू रही। पंचों की न्यायनिष्ठा पर लोगों को इतना विश्वास था कि अधिकांशतः दीवानी और फौजदारी तक के मामले ग्राम पंचायतें ही निपटा देती थीं। अंग्रेजों ने नीचे तक अपनी सत्ता स्थापित करने के उद्देश्य से इस बुनियादी व्यवस्था को बदल दिया ताकि लोग हर बात के लिये ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित तंत्र पर ही निर्भर रहें और अंग्रेजों को ग्रास रूट तक के हालात का पूरा-पूरा पता रहे।

महात्मा गांधी बुनियादी रूप से धर्मनिष्ठ महापुरुष थे। उनका कहना था कि हमारा विशुद्ध धर्म और पारम्परिक संस्कृति आज भी गांवों में जीवित है। वहां सामूहिक जीवन और सामुदायिक प्रयास को अच्छा मानते हैं। यही कारण है कि हर गांव में रामायण, गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब की छाप जनजीवन पर रहती है। गांवों में शहर की एक संक्रामक बीमारी साम्प्रदायिकता भी नहीं है। शाम को किसी धार्मिक स्थल या सार्वजनिक स्थान पर बैठकर लोग धार्मिक विषयों पर चर्चा करते हैं। सामयिक और स्थानीय मुद्दों पर खूब बहस होती है और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां मानवीय रिश्ते अभी भी निभाये जाते हैं, गांव का बुजुर्ग सबका बुजुर्ग माना जाता है और गांव के बेटा-बेटी सबके बेटा-बेटी होते हैं। वहां कोई अर्थी या कोई डोली ऐसे नहीं उठती जिसमें पूरे गांव

दक्षिण अफ्रीका प्रवास से लौटने पर श्री गोपालकृष्ण गोखले ने गांधीजी को परामर्श दिया था कि ''आप भारत को समझने के लिए भारत के गांवों में जाओ...!'' गांधीजी पहले से अवगत थे कि प्राचीन भारत का सारा तंत्र पंचायतों के माध्यम से ही चलता था। पंचों को परमेश्वर की संज्ञा दी गई थी। मुगलकाल तक भी ग्राम-प्रजातंत्र की यह व्यवस्था बहुत कुछ चालू रही। पंचों की न्यायनिष्ठा पर लोगों को इतना विश्वास था कि अधिकांशतः दीवानी और फौजदारी तक के मामले ग्राम पंचायतें ही निपटा देती थीं। अंग्रेजों ने नीचे तक अपनी सत्ता स्थापित करने के उद्देश्य से इस बुनियादी व्यवस्था को बदल दिया ताकि लोग हर बात के लिये ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित तंत्र पर ही निर्भर रहें और अंग्रेजों को ग्रास रूट तक के हालात का पूरा-पूरा पता रहे।

का सहयोग न हो। इसी भावना से प्रेरित होकर प्रसिद्ध शायर ने गांव और नगर का अंतर रेखांकित करते हुए लिखा है :

हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलकर बनाते हैं,
तुम्हारे शहर में मैयत को भी कंधा नहीं देते।

मध्यप्रदेश में कुल 54903 गांव और ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों, नगर परिषदों, जिला पंचायतों आदि की कुल संख्या लगभग तेइस हजार के आसपास है। इतना विशाल तंत्र जिसके पास डिजिटल कनेक्टिविटी, बजट, कर्मचारी, प्रशासनिक, अधिकार आदि हैं तो वह क्रियाशील रहकर क्या नहीं कर सकता। केन्द्र का बजट तो सीधा पंचायतों को मिलता है। ग्रामीण विकास विभाग के पास तो गांवों का कायाकल्प करने की शक्ति है।

महात्मा गांधी का विचार था कि गांव में पंचायतों को सबसे पहले सफाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। यह कोई बड़ा काम नहीं है। हम सब अपने घरों को और स्वयं को स्वच्छ रखना चाहते हैं। इस भावना में केवल इतना जोड़ दें कि खुद को स्वच्छ रखने के साथ-साथ पास-पड़ोस को भी गंदा न करें। गांवों में भूमि सबसे बड़ा प्राकृतिक साधन है। उसे पड़त न छोड़ें। जब कृषि फसलें उगाने का समय न हो तब साग-सब्जी, फल-फूल पैदा करें। दूसरी बड़ी सम्पत्ति है पशुधन। गौवंश की सेवा और उसका विकास गांवों की अर्थव्यवस्था में चार चांद लगा सकता है। गोबर को गंदगी न समझकर धन समझें। उसके उपयोग सबको मालूम हैं। दोहन की जरूरत लायक पेड़ गांव में होने चाहिये। उनसे पर्यावरण भी सुधरता है। गांव के रास्तों की सफाई, कुएं, तालाबों का रख-रखाव, तालीम की व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य की सुनिश्चितता पंचायतों के पास ही होना चाहिए। गांव में इतने साधन सभी जगह होते हैं जो वाजिब स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिये पर्याप्त होते हैं। मध्यप्रदेश में तो पंचायतों को बहुत अधिकार हैं। स्थानीय खनिज साधनों का प्रबंध भी पंचायतों से जुड़ा है। गांधीजी ने लिखा था कि - ''पंचायत हमारा बहुत पुराना और सुन्दर शब्द है। उसके साथ प्राचीन परंपरा की मिठास जुड़ी है। उसका शाब्दिक अर्थ है गांव के लोगों द्वारा चुने हुए पांच लोगों की सभा यह उस पद्धति का सूचक है जिसके द्वारा भारत के बेशुमार ग्राम-लोक राज्यों का शासन चलता था...। हर्ष का विषय है कि मध्यप्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायतराज फल-फूल रहा है और गांधीजी के सपने साकार हो रहे हैं।

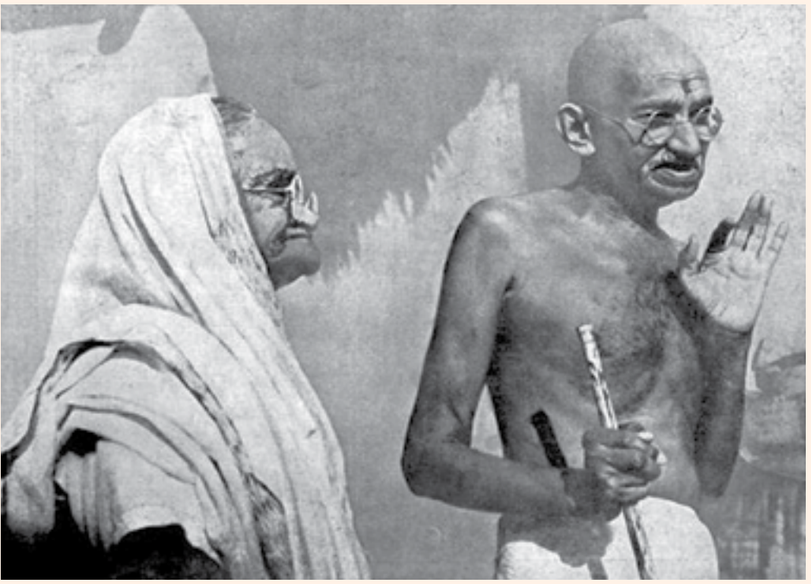

गांधी : भारतीय लोक जीवन की अधूरी प्रार्थना

● नवल शुक्ल
लेखक कवि, साहित्यकार और चिंतक

गांधी यानि स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता, उपनिवेश से स्वतंत्रता और किसी भी प्रकार के बंधन से स्वतंत्रता। ऐसी स्वतंत्रता जिसमें वह स्वयं भी किसी बंधन में नहीं बँधना चाहते थे। यहाँ तक कि लोकगीतों में भी। लेकिन भारतीय लोकमानस ने उन्हें बार-बार लोकगीतों में रचने की कोशिश की और इन लोकगीतों में गांधी को वह जगह दी गई जो राम और कृष्ण को दी गई थी। 'द्वापर में मोहन भये, कलजुग मोहनदास/ एक थे जन्में जेल में, एक रये कारावास/ एक ने बंसी मधुर बजाई/एक ने चरख्रा-तान सुनाई' या 'गांधीजी अवतार लिए भारत आजाद कराने को/त्रेता में राघव राम हुए/द्वापर में कृष्ण कन्हैया/कलयुग में गांधी प्रकट हुए/भारत आजाद कराने को।' गांधी को यह जगह लोकमानस ने एक दिन में और जोर जबरदस्ती से नहीं दी। उन्हें यह जगह देश के लगभग सभी हिस्सों के लोकगीतों में दी गई है। अधिकांश प्रदेशों के कई लोकगीत तो हू-ब-हू दूसरे प्रदेश में प्रचलित बोली या भाषा के गीतों की तरह ही हैं। जिसमें सबसे प्रचलित गीत है 'चरख्रा के तान टूटे न'। यह गीत लगभग पूरे उत्तर भारत में अलग-अलग रूपों में प्रचलित है। यदि सबसे प्रचलित इस गीत के माध्यम से ही बात की जाए तो गांधी के आगमन और उनके साथ लोक में जो सबसे अधिक प्रचलित हैं, वह है - 'चरख्रा', 'तकली', 'सूत', 'कपास', 'खद्दर', 'ख्रादी', 'लंगोट' और 'लाठी'। यह सभी चीजें पूरे भारत में अलग-अलग रूप से प्रचलित थीं और कमोबेश आज भी हैं। चरख्रा, सूत, कपास, ख्रादी आदि चीजें हमारे यहाँ सदियों से प्रचलित भी थीं और हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी थीं। यहाँ तक कि कबीर, सूत, कपास, ताना-बाना आदि शब्दों के माध्यम से जनमानस में गहरे पैठे हुए थे, जो आज भी हैं। लंगोट (छोटी धोती) और लाठी आज भी उन बहुतायत जनसामान्य लोगों की वेषभूषा है, आज भी गांधी इन्हीं भारतीय लोगों की चेतना के बीच सबसे अधिक उपस्थित हैं।

हिन्दी साहित्य समिति, इन्दौर 1935 में गांधी कहते हैं कि - 'जो कुछ हिन्दुस्तान में मिलता है वह किसानों के ही मार्फत मिलता है। यदि वे लोग इंकार कर जावें, आपका काम नहीं करें तो आपको भूख्रा मरना पड़ेगा।' राजकुमार शुक्ल के बुलावे के बाद 1942 में दिये एक साक्षात्कार में गांधी कहते हैं कि- ''चंपारण में रहने और वहाँ के लोगों का कष्ट देखने के बाद मुझे पहली बार लगा कि अंग्रेजों को भारत से निकाले बगैर काम नहीं चलेगा।'' गांधी के इन दो कथनों और समय पर ध्यान दें तो अंग्रेजों को भारत से निकाल बाहर करने के निर्णय में उन्हें लंबा समय लगा। यह निर्णय अचानक और एकबारगी का नहीं था। गांधी लगातार देश के लोगों से मिलते रहे और पूरे देश की यात्रा करते रहे। इन यात्राओं, मुलाकात और भारतीय सामान्य जन के दुखों के बाद उन्होंने यह बड़ा निर्णय लिया। उनके एक-एक बोल गीतों के माध्यम से भारतीय समुदाय की भाषा और बोलियों में लगातार प्रचारित और प्रसारित होते थे। इन लोकगीतों की रचना जनसमुदाय अपने भय को दूर करने के लिए कर रहा था। वह इन गीतों से साहस और आत्मविश्वास प्राप्त कर रहा था। 'जागो रे किसान भइया, जागने की बेला है/जी कै संगे गांधी है, को कहै अकेला है...जेलन की कोठरी में बंदियन का मेला है।' वर्षों से अंग्रेजों और राजा-महाराजाओं की गुलामी से ग्रामीणों का दम घुटा हुआ था। पहली बार उसके बोल, उनके कंठ से निकल रहे थे और लोकगीतों के माध्यम से लोकमानस जागृत और आल्हादित था। वह सब कुछ छोड़कर किसी भी कीमत पर, किसी भी तरह सुराज पाना चाहता था। इस चाहत के पीछे गांधी थे। वह गांधी जो 'लाठी लिये लंगोटी पहिरे/मुंह पर मंद-मंद मुस्कान' के साथ लोगों के बीच लगातार अपनी बात कहते फिर रहे थे। वह गांधी जिसके बारे में भारतीय लोक कह रहा था - 'चौंक उठा था विश्व एक दिन सुन यह तेरी बानी/रह न सकेगी इस अछूतपन की अब कहीं निशानी/गिरे हुए अपने पैरों से उठ ऊँचे होवेंगे/पिछड़े हुए बढ़ेंगे आगे/अब न पड़े सोवेंगे।'

भारतीय समुदाय की दुर्घर्ष आकांक्षा और गीतों के रचनात्मक वातावरण से उत्पन्न प्रभाव ऐसा विलक्षण था कि हर कोई अपनी सोच तथा अपने रास्ते पर अडिग था और सुराज के रास्ते पर चल पड़ा था। 'रेल माँगई कोईला पानी, मोटर माँगई गा तेल.../गांधी महतमा माँगई सुराज के झंडा गजबेल/जवाहिर भागई मुड़पेल/तिलख्रे पीछे भागई पटेल।'

गांधी का सत्याग्रह, अहिंसा आदि का भाव सभी जगह व्याप्त था। सूत, धागा और चरख्रा आदि लोकमानस में फैला हुआ था। 'जय बोला महात्मा गांधी की/रुई कई पोनी/बड़ै दिन दूनी/मिटै अनहोनी/चरख्रा की जय जय/ख्रादी की जय जय' कहते हुए सब लोग अलख जगा रहे थे। वे इस तरह से जागने को अपनी किस्मत समझ रहे थे और कह रहे थे, 'छोड़ देव इजलास तसीली, उर दीवानी भाई/सौकत अली और गांधी ने, सबख्राँ दैओ जगाई/दुज ख्रुमान अब अपनी ऊअत किस्मत देत दिख्राई।'

स्वतंत्रता की लड़ाई में सुराज के लिए गांधी का आगमन हुआ। गांधी आते ही लोकमानस की धड़कन बन जाते हैं - 'आवी गयो, भावी गयो, छावी गयो रे/ गगनां तिरंगों लेराये गयो रे/बाबो लंगोटी वालो छावी गयो रे।' गांधी का भारतीय लोक मानस के बीच छा जाना अचानक और एकाएक नहीं हुआ। इसके पूर्व जनमानस गांधी को देखता और तौलता रहा। जब उसे गांधी पर विश्वास हो गया तब उसने कहा - 'हमका निकही लागई गांधी केरि चलनिया/ओढ़निया उनकर ख्रादी कइ रही/चाकर रहा लिलार, लगाए तन पर सदा लंगोटी/उनकर कद देखि बैरी काँपई, झुँकई हिमालय कर चोटी।' इस स्वीकार और विश्वास के पीछे गांधी का आचरण और आत्मबल ही था।

गांधी ने कहा भी है कि मनुष्य की पहचान उसके कपड़े से नहीं उसके आचरण से होना चाहिए। इसी कड़ी में गांधी भी देवतुल्य अवतारी पात्र के रूप में लोकगीतों में प्रकट होते हैं। 'द्वापर मा मोहन हुआ/कलियुग मोहनदास/एक था जनम्या जेल मा/एक रहे कारावास' या 'हाय रे हाय गांधी दुनिया में राम/देवदूत बन आए गांधी/दुनिया में राम' आदि लोकगीत गांधी को अवतारी, देवदूत और दिव्यात्मा के रूप में स्थापित करते हैं। एक ऐसा देवदूत या अवतारी पुरुष जो बार-बार इस पृथ्वी पर जन्म ले और दुख्रियों का संबल बने, साहस बने, उनकी आवाज बने। गांधी और उनके सत्य, अहिंसा, प्रेम, भाईचारा आदि के साथ सिर्फ लोक समाज ही नहीं है। आदिवासी समाज भी गांधी को उसी तरह अपनाता है। कोरकू जनजाति के लोग एक लोकगीत के माध्यम से कहते हैं - 'टाला टालाटेन, भारत आंटे जय मांडीयेन/टाला टालाटेन, गांधी आबा जय मांडीयेन' अर्थात् गली-गली में भारत की जय बोलो, गली-गली में गांधी बाबा की जय बोलो। कोरकू समुदाय सिर्फ जय कहकर रुक नहीं जाता है। 'चोय मांडीयेन, गांधी जी आबा, चोय मांडीयेन/ इंधार धोंधार राज सुबानकेने/गांधी जी आबा चोय मांडीयेन।' - वह कहता है कि भाईयों चलो गांधी ने हमें पुकारा है, हमें आजादी की लड़ाई में अपना राज पाने के लिए लड़ने जाना है। हिन्दुस्तान के पूरे भू-भाग पर और सभी लोकांचलों में आजादी के प्रति ऐसी ही भावना थी, जिसके कारण सब गांधी की पीछे थे।

यह वे लोग थे, जो भारतवासी थे और जिनके पास एक मात्र लक्ष्य सुराज था। 'एक लंगोटी वारो बाबोजी जिनको गांधीजी का नाम/तन को कांचों, मन को साँचो आईग्यो सबके काम'-इस लक्ष्य प्राप्ति के पीछे एक लंगोटीवाले गांधी थे, जिनका तन कच्चा या कमजोर था लेकिन वे मन के सच्चे थे और सबके लिए थे।

गांधी ने प्रीति का मंत्र सबके मन में फूँका था। गांधी की एक पुकार पर लाठी डंडा खाने वाले, त्याग और बलिदान करने वाले, गोलियों के सामने अपना सीना अड़ा देने वाले, एक दिन गोलियों की आवाज सुनकर भौंचक, हतप्रभ हो जाते हैं। भारतीय लोक जीवन में सन्नाटा फैल जाता है। चारों ओर बादल घिर जाते हैं, अँधेरा छा जाता है। पूरी दुनिया अवाक रह जाती है। लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जलते। बच्चों को उस दिन भूख्र नहीं लगती।

रोवत सब संसार सुनो जब नाथू गोली दागी जी
एक कदम की दूरी से नाथू ने खेला था फागी जी
प्राण तो निकल गये, थे तो भारत के अनुरागी जी।

भारतीय लोक जीवन का प्राणप्रिय गांधी भारत से विदा हो गया था। वह प्राणप्रिय अजर, अमर आत्मा की तरह था।

तीस एक अड़तालीस को साढ़े पाँच का टाइम था
छोड़कर देहली में देह अब हंसा रवाना हो गया।
जालिमों का जाल था, मौत का ये काल था
परियों ने आन कर कहा चलिए जमाना हो गया।।

भारतीय लोक जीवन से सिर्फ गांधी नहीं गये थे, एक जमाना जा रहा था। लेकिन समाज फिर भी यह कह रहा था कि - चलवा के जो बटवा रहे मिठाई गोलियां/कर सकेंगी देश की ये क्या भलाई गोलियाँ। गोलियों के चलने और मिठाइयों के बाँटने का यह सीधा और सहज संवाद भारतीय लोक ही कर सकता है। इन गोलियों की आवाज से एक प्रार्थना का अंत होता है। एक प्रार्थना अधूरी रह जाती है। यह अधूरी प्रार्थना सिर्फ गांधी की नहीं होती है, बल्कि भारतीय लोक जीवन की भी प्रार्थना अधूरी रह जाती है।

मध्यप्रदेश में गांधीजी की दस यात्राएं

गांधीजी का देशभर में दौरा करने के अभियान में मध्यप्रदेश को कई वर्षों तक मार्गदर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गांधीजी ने मध्यप्रदेश में दस यात्राएं कीं। पहली यात्रा मार्च 1918 में इन्दौर से प्रारंभ हुई। जब वे अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता करने आये थे और अंतिम दौरा 27 अप्रैल, 1942 को जबलपुर का किया।

1

वर्ष 1918 - पहली यात्रा इन्दौर : इन्दौर में होने वाले अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में 29 मार्च, 1918 को महात्मा गांधी का पहली बार मध्यप्रदेश में आगमन हुआ। यह एक ऐतिहासिक सम्मेलन था क्योंकि इसी सम्मेलन में गांधीजी ने दक्षिण भारत में हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार की योजना बनाई थी। इसी अवसर पर गांधीजी ने मध्य भारत हिन्दी साहित्य समिति के निजी भवन का भी शिलान्यास किया था।

2

वर्ष 1920 - दूसरी यात्रा रायपुर, धमतरी, कुरूद : कंडेल नहर सत्याग्रह समाप्त होने के बाद 20 तथा 21 दिसम्बर 1920 को गांधीजी रायपुर, धमतरी तथा कुरूद गये। रायपुर में जहाँ गांधीजी का भाषण हुआ था उसे गांधी चौक का नाम दिया गया था जो आज भी सार्वजनिक गतिविधियों का प्रमुख केन्द्र है। रायपुर से मोटर द्वारा गांधीजी धमतरी तथा कुरूद गए। वहाँ गांधीजी के भाषण का लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा और कई लोगों ने वकालत छोड़ दी, कई लोगों ने आजीवन खादी धारण करने का व्रत लिया।

3

वर्ष 1921 - तीसरी यात्रा छिन्दवाड़ा : अली बंधुओं के साथ गांधीजी 6 जनवरी 1921 को कार द्वारा दोपहर तीन बजे छिन्दवाड़ा पहुँचे। सेठ नरसिंहदास अग्रवाल की धर्मशाला में उन्हें ठहराया गया। चिटनवीसगंज के मैदान में विशाल सभा हुई, जिसमें अली बंधुओं के भी भाषण हुए। तिलक स्वराज्य कोष के लिए चंदा जमा किया गया। इस यात्रा से न केवल वह नगर वरन पूरा क्षेत्र उनके आदर्शों से प्रभावित हुआ था।

4

वर्ष 1921 - चौथी यात्रा सिवनी तथा जबलपुर : असहयोग आंदोलन का संदेश पूरे देश में फैलाने तथा तिलक स्वराज्य कोष के लिए गांधीजी माता कस्तूरबा के साथ 20 मार्च 1921 को सिवनी पहुँचे। सिवनी की सभा के बाद उसी दिन वे जबलपुर गए, जहाँ गोल बाजार के विशाल मैदान में आम सभा हुई। वहाँ आज भव्य शहीद स्मारक भवन बन गया है। उनकी यात्रा का प्रबंध सेठ गोविन्ददास तथा श्यामसुंदर भार्गव ने किया। उस समय गांधीजी ने अंगरखा और पगड़ी के स्थान पर गांधी टोपी, कुरता और धोती पहन रखी थी।

5

वर्ष 1921 - पाँचवीं यात्रा खण्डवा तथा भुसावल : मौलाना मुहम्मद अली के साथ गांधीजी अम्बाला से खण्डवा आए थे। खण्डवा में जहाँ गांधीजी का भाषण हुआ था वहाँ आज घण्टाघर बन गया है। खण्डवा से गांधीजी भुसावल गए। उनकी ट्रेन जहाँ-जहाँ रुकती थी वहाँ लोगों की अपार भीड़ होती थी फिर भी गांधीजी एक-दो मिनिट तक अवश्य बोलते। उन्होंने स्वदेशी के प्रचार तथा खादी पर विशेष जोर दिया।

6

वर्ष 1929 - छठवीं यात्रा भोपाल : नवाब हमीदुल्ला खाँ के आमंत्रण पर 11 सितम्बर, 1929 को तीन दिन के लिए गांधीजी भोपाल आए थे और राहत मंजिल में नवाब के अतिथि रहे। उनके साथ जमनालाल बजाज, डॉ. जाकिर हुसैन, मीरा बहन, सी.एफ. एण्ड्रूज तथा महादेव भाई देसाई थे। बेनजीर मैदान में सार्वजनिक सभा हुई। मारवाड़ी रोड स्थित खादी भंडार का गांधीजी ने निरीक्षण किया। मोढ़ समाज के लोगों ने गांधीजी को अभिनंदन पत्र तथा थैली भेंट की। राहत मंजिल के सामने प्रार्थना सभा हुई।

7

वर्ष 1933 - सातवीं यात्रा ऐतिहासिक दौरा : मध्यप्रदेश में 22 नवम्बर, 1933 से 8 दिसम्बर, 1933 तक गांधीजी का दौरा ऐतिहसिक महत्व रखता है। इस दौरे के अंतर्गत गांधीजी दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, बालाघाट, सिवनी, छिन्दवाड़ा, बैतूल, इटारसी, करेली, अनन्तपुर, दमोह, सागर, कटनी, सिहोरा, जबलपुर, मण्डला, सोहागपुर, हरदा, खण्डवा तथा बुरहानपुर के अतिरिक्त दूर-दराज के छोटे-छोटे गांवों में भी गए थे। उनके दौरे की व्यवस्था पं. रविशंकर शुक्ल तथा ब्यौहार राजेन्द्र सिंह ने की थी।

8

वर्ष 1935 - आठवीं यात्रा इन्दौर-महू : हिन्दी साहित्य सम्मेलन के 24वें अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में दूसरी बार 20 अप्रैल, 1935 को गांधीजी इन्दौर आए। स्वदेशी प्रदर्शनी और प्लांट इन्स्टीट्यूट का भी उन्होंने निरीक्षण किया। इन्स्टीट्यूट की निरीक्षण पुस्तिका में गांधीजी, मीरा बहन तथा महादेवभाई देसाई के हस्ताक्षर आज भी सुरक्षित हैं। 23 नवम्बर को रवाना होने से पहले गांधीजी ने एक आम सभा को सम्बोधित किया। उसी दिन महू के हाईस्कूल में भी गांधीजी ने भाषण दिया था।

9

वर्ष 1941 - नौंवी यात्रा जबलपुर : फरवरी 1941 में इलाहाबाद जाते समय कुछ समय के लिए गांधीजी जबलपुर रुके थे। मीरगंज स्टेशन पर वे उतर गए और वहाँ से भेड़ाघाट गए। गांधीजी 'बंदर कूदनी' देखने अपने साथियों सहित नाव में बैठकर गए थे। उनके साथ महादेव भाई देसाई, कनु देसाई तथा महाराजा कुमार विजयानगरम भी थे। उनके भोजन और विश्राम की व्यवस्था श्री हीरजी गोविन्दजी के 'रत्नहीर' नामक भवन में की गई।

10

वर्ष 1942 - दसवीं यात्रा जबलपुर : बनारस जाते हुए 27 अप्रैल 1942 को गांधीजी प्रातः जबलपुर पहुँचे। मदनमहल उतरकर वे पं. द्वारकाप्रसाद मिश्र के यहाँ गए। लोगों से भेंट की और द्वारकाप्रसाद मिश्र के साथ विक्टोरिया अस्पताल सेठ गोविन्ददास को देखने गए। कुछ देर उनके पास बैठे रहे। समय कम था फिर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से विचार-विनिमय कर भावी कार्यक्रम की रूपरेखा निर्धारित की।

● साभार : गांधी भवन न्यास, भोपाल

समानता और मानवता के लिए गांधीजी के अनवरत प्रयास

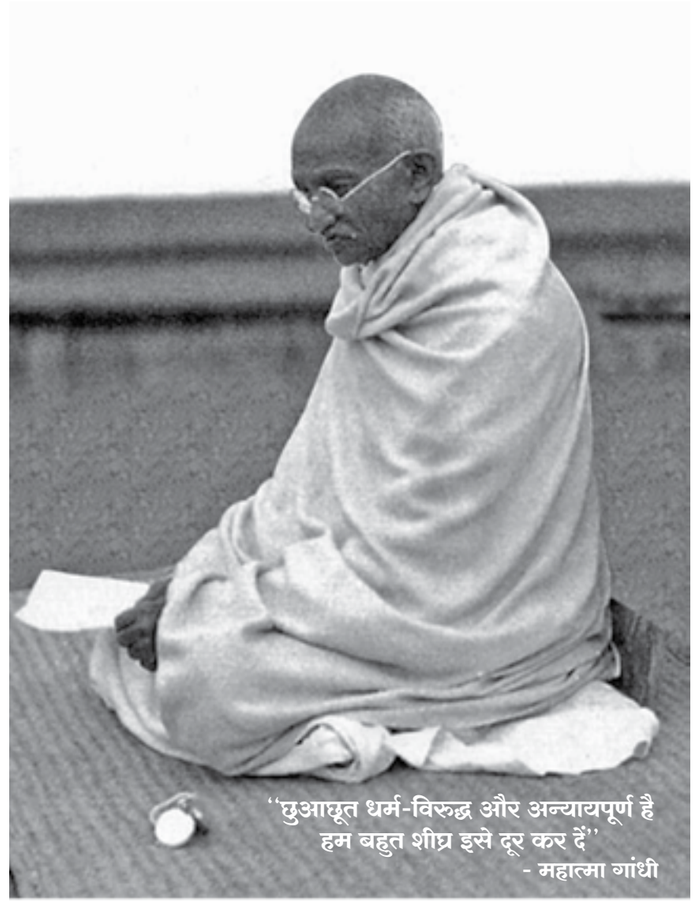

● शंभुदयाल गुरू
वरिष्ठ इतिहासकार एवं स्तंभकार

महात्मा गांधी सच्चे अर्थों में युग-पुरुष थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बागडोर उन्हीं कुशल हाथों में थी। उन्होंने ऐसा नेतृत्व प्रदान किया जिसकी मिसाल भारत में ही नहीं, विश्व में अज्ञात थी। उन्होंने संघर्ष के लिए सत्य और अहिंसा का ऐसा नैतिक मार्ग चुना जिससे सारी दुनिया चकित और आत्म-विभोर हो उठी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है, ''मानव इतिहास में गांधीजी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अहिंसा को व्यक्तिगत से सामाजिक और राजनैतिक धरातल पर स्थापित कर दिया।'' गांधीजी स्वयं कहते थे, ''मेरे लिए ईश्वर और सत्य पर्यायवाची शब्द हैं। मेरे लिए देशभक्ति और

मानवता समानार्थी हैं। मेरे लिए देशभक्ति और मानवता एक-ही हैं। मैं देशभक्त हूं क्योंकि मैं मानवतावादी हूं।''

इसी मानवतावादी दृष्टिकोण ने उन्हें स्वतंत्रता-संग्राम के योद्धा के साथ ही महान समाज सुधारक बना दिया और इस सुधार कार्यक्रम में, अस्पृश्यता माने छुआछूत निवारण उनके रचनात्मक कार्यक्रमों में प्रथम पंक्ति पर था।

सन् 1932 में जब गांधीजी यरबदा जेल में थे, अंग्रेजों ने चालाकी से हरिजनों के लिए पृथक मतदान व्यवस्था की। 'कम्युनल अवॉर्ड' लागू हो जाता तो दलित, हिन्दू समाज से अलग हो जाते। गांधीजी ने आमरण अनशन करके अंग्रेजों की कुटिलता को ध्वस्त किया।

असल में असहयोग आन्दोलन (1920) के रचनात्मक कार्यक्रमों में गांधीजी ने अस्पृश्यता निवारण को महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में शामिल किया था। 1928-29 के देशव्यापी दौरों में भी अछूतोद्धार उनके भाषणों में आवश्यक रूप से शामिल रहता था। गांधीजी की प्रेरणा से ही घनश्याम दास बिड़ला के सभापतित्व में एक अखिल भारतीय संगठन बनाया गया। ठक्कर बापा उसके सचिव थे। हरिजन सेवा और हरिजन उन्नयन के लिए उन्होंने ''हरिजन-पत्र'' अंग्रेजी में प्रारंभ किया। शीघ्र ही ''हरिजन'' सेवक नाम से उसका हिन्दी संस्करण भी शुरू किया। वे 'अस्पृश्य', 'अछूत', शब्द को अपमान-जनक मानते थे। इसीलिए दलित वर्ग का नया नामकरण किया 'हरिजन', यानि हरि के प्यारे जन। आत्म शुद्धि के लिए 21 दिन का उपवास किया।

हरिजन यात्रा प्रारंभ

हरिजनोद्धार के लिए महात्मा गांधी ने 7 नवम्बर, 1933 को वर्धा से ऐतिहासिक हरिजन यात्रा प्रारंभ की। तब पुराना मध्यप्रदेश अस्तित्व में था, जिसमें तब वर्तमान मध्यप्रदेश का महाकौशल क्षेत्र, वर्तमान छत्तीसगढ़ तथा विदर्भ क्षेत्र शामिल थे। कुल 9 महीनों में गांधीजी ने देशभर के गांवों, नगरों और बड़े शहरों की लगातार लगभग 20 हजार किलोमीटर की यात्रा की।

छत्तीसगढ़ में

सबसे पहले 22 नवम्बर, 1933 को दुर्ग पहुंचे। घनश्यामसिंह गुप्त ने उन्हें वह पाठशाला दिखायी जहां 1926 से ही सवर्ण और हरिजन बच्चे एक ही टाटपट्टी पर बैठकर पढ़ाई करते थे। गुप्त जी ने हरिजनों को कुंए से पानी भरने तथा मंदिर प्रवेश की सुविधाएं करा दी थीं। यह देख-सुनकर गांधीजी प्रसन्न हुए। शाम को मोती तालाब के मैदान में विशाला सभा हुई। जिसमें करीब 50 हजार लोग शामिल थे। उन्होंने आग्रह किया कि छुआछूत का कलंक सब मिटा दें।

रायपुर

उसी दिन गांधीजी रायपुर पहुंचे, जनता ने भव्य स्वागत किया। वे पं. रविशंकर शुक्ल के मकान पर ठहरे। वे पांच दिन तक रायपुर में रुके और आस-पास के स्थानों का दौरा करते रहे। वे तीन-चार जगह के लिए सुबह जाकर, रात्रि तक लौट आते। 23 तारीख को उन्होंने एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। 24 को लारी हाईस्कूल में अनेक संस्थाओं ने, जिनमें सनातन धर्मसभा भी थी उनका स्वागत किया। राजकुमार कॉलेज में उनका महत्वपूर्ण भाषण हुआ। वहां उपस्थित राजाओं-महाराजाओं को जनता से संपर्क रखने और हरिजनों से सहानुभूति रखने की सलाह दी।

धमतरी-बिलासपुर

25 तारीख को गांधीजी कार से धमतरी पहुंचे। विशाल सभा हुई। यहां नकद तथा गहने बड़ी तादाद में मिले, हरिजन कोष के लिए। फिर अगले दिन सुबह वे राजिम, भाटापारा, मुंगली, बलौदा बाजार होते हुए बिलासपुर पहुंचे। रास्ते में हर जगह जनता उमड़ी और हरिजन कोष के लिए दान मिला।

फिर वे बिलासपुर पहुंचे। दोपहर, महिलाओं की विशाला सभा की। फिर शनीचरा पड़ाव में भी बड़ी सभा हुई। इतनी बड़ी सभा शहर में पहली बार हुई थी।

मध्यप्रदेश में

छत्तीसगढ़ का दौरा पूरा कर गांधीजी रेलगाड़ी से मध्यप्रदेश के बालाघाट में 28 नवम्बर को पहुंचे। पहले वे शहर के हरिजन मोहल्ले गये। फिर एक विशाल महिला सभा को सम्बोधित किया। महिलाओं ने मुक्त हस्त से गांधीजी की झोली में हरिजनों के लिए दान किया। फिर लांजी गये जहां लक्ष्मण पटेल ने लांजी आने के लिए उपवास किया था। वे लांजी से किरनापुर होते हुए सिवनी पहुँचे।

सिवनी

रात को वे सिवनी पहुंचे। उनके स्वागत में शहर में दीपोत्सव मनाया गया। दूर-दूर से आकर हजारों लोगों ने गांधीजी का स्वागत किया। दुर्गाशंकर मेहता के यहां रात्रि विश्राम किया। दूसरे दिन ऐतिहासिक सभा हुई। बापू ने कहा, ''आज हिन्दू और हिन्दू धर्म, दोनों ही कसौटी पर हैं। यदि ये सच्चे न उतरे तो दोनों ही नष्ट हो जायेंगे।'' संसार में किसी भी जगह धर्म के नाम पर और जन्म से ही अस्पृश्यता नहीं मानी जाती। बुद्धि या हृदय कोई भी इसका समर्थन नहीं कर सकते। शास्त्रों में इसका समर्थन नहीं मिलता। धर्म में बरजोरी का कोई काम नहीं है। मैं तो करोड़ों हृदयों में परिवर्तन करना चाहता हूं।

छिंदवाड़ा

29 नवम्बर को अपरान्ह गांधीजी छिन्दवाड़ा पहुंचे। जिले तथा सौंसर तहसील की ओर से उन्हें मांग-पत्र अर्पित किये। यहां दो बातें खास हुईं। एक छिंदवाड़ा के आदिवासियों ने गांधीजी को 100 रु. की थैली भेंट की। दूसरा, यहां प्राप्त हरिजन कोष के उपयोग से शहर के प्रसिद्ध समाजसेवी तथा त्यागी श्री साल्पेकर के स्मारक को बनाने पर जोर दिया।

बैतूल-मुलताई

उसी दिन वे मुलताई पधारे। गौशाला में शंकर धर्माधिकारी के सभापतित्व में सभा हुई। करीब 10,000 लोग एकत्र थे। इसके बाद रात में बैतूल पहुंचे। वहां हजारों लोग उनका इंतजार कर रहे थे। अगले दिन 30 नवम्बर को सुबह गांधीजी खेड़ी और बारासिंगा आश्रम पहुंचे। यहां से वे श्री डंकन के आश्रम पहुंचे और एक मन्दिर को देखा जो हरिजनों के लिए खोल दिया गया था। सतपुड़ा और ताप्ति का अनुपम सौंदर्य देखकर अभिभूत हो गये। कहा, ''मुझे समय मिलता तो कुछ दिन ऐसे स्थान पर अवश्य रहता। रात में बैतूल में विशाल सभा हुई। दीपचंद गोठी ने अध्यक्षता की और के.एम. धर्माधिकारी ने थैली भेंट की।''

इटारसी

बैतूल से 30 नवम्बर को इटारसी के लिए ट्रेन से रवाना हुए। बीच में एक छोटा स्टेशन ढोढरा मुहाल पड़ा। हजारों आदिवासी, स्त्री-पुरुष गांधीजी की जय-जयकार कर रहे थे।

गांधीजी डब्बे से बाहर आए तो आदिवासी महिला ने माला पहनाई। मनकी बाई एक-एक पैसा एकत्र कर हरिजन फंड सौंप गयी। इटारसी स्टेशन पर विशाल जन-समूह द्वारा स्वागत। गांधीजी ने अस्पृश्यता को समूल नष्ट करने की अपील की। सैयद अहमद ने उनके भाषण को दोहराया। कारण माईक तो था नहीं और गांधीजी की आवाज धीमी थी।

करेली का केवट प्रसंग

1 दिसंबर, 1933 को सुबह 4 बजे ट्रेन से करेली रवाना हुए। उन्हें सागर जाना था। नरसिंहपुर के पास बरमान घाट पर नर्मदा नदी पर पुल नहीं था। अतः नावों से नदी पार करनी थी। मध्यप्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पं. रविशंकर शुक्ल ने शुक्ल अभिनंदन ग्रंथ में इस प्रसंग का वर्णन किया है। मल्लाह एकत्र हो गये, गांधीजी की जय बोलते। शुक्ल जी ने लिखा, ''बरमान घाट पर नौका चलाने वाले मल्लाहों ने गांधी को उस समय तक नौका चढ़ाने से इन्कार कर दिया जब तक गांधी उनसे अपने पैर न धुलवा लें।

गांधी ने कहा कि वे ऐसा काम नहीं कर सकते, पर मल्लाह भी अड़ गये...। हम लोगों ने गांधीजी से प्रार्थना की कि जब इनका... आग्रह है तो आप इनसे पैर धुलवा लीजिए।'' बरमान घाट की इस घटना से मेरी आंखों के सामने श्री राम के पैर धुलवा कर ही नौका पर गंगाजी पार कर देने की रामायणकालीन केवट की कहानी बरबस याद आ जाती है।''

देवरी

देवरी में आश्रम के स्थान को सादगी से ऐसा सजाया गया था कि मीराबेन और ठक्कर बापा बहुत प्रसन्न हुए। यहां उल्लेखनीय घटना यह हुई कि गांधीजी ने अपने हाथों से देवरी के प्राचीन मुरलीधर मंदिर के द्वार हरिजनों के लिए खोल दिये। सभा हुई, स्थल के द्वार पर करीब 100 हरिजन स्त्रियां, माथे पर कलश लिए खड़ी थीं, गांधीजी के स्वागत में।

अनन्तपुर

इस गांव की करीब एक हजार आबादी थी। रात्रि विश्राम यहीं था। गांधीजी ने अनेक घरों में जाकर लोगों की स्थिति देखी। लोगों से संवाद किया।

दमोह

रहली, गढ़ाकोटा होते हुए गांधीजी 2 दिसंबर को दमोह पहुंचे। दमोह झन्नीलाल वर्मा तथा सेठ लालचंद उन्हें लेने गढ़ाकोटा पहुंचे थे। दमोह नाके पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। अब तक की यात्रा में सबसे भव्य स्वागत दमोह में ही हुआ। सड़कों पर चमकीला मोडर बिछाया गया, पूरे रास्ते में ऊपर चंदोबा सजाया गया और रास्ते भर पुष्प वर्षा होती रही। दूसरा यह कि हरिजनों, महिलाओं और ईसाइयों के बैठने की विशेष व्यवस्था की गयी थी। ईसाई समुदाय पहली बार गांधीजी की सभा में शामिल हुआ। यह भी कि हरिजनों को सम्मान से बैठाया गया था। मान-पत्र में उल्लेख किया गया कि छुआछूत का भूत अन्य जगहों की तरह नहीं है। इसका श्रेय शराब बंदी को है। देश में दमोह पहला जिला था जहां पूर्ण शराबबंदी की गयी थी। याने गांधीजी के दो आदर्शों मद्य-निषेध और छुआछूत में दमोह जिले ने काफी प्रगति की। बापू ने इस पर प्रसन्नता प्रकट की। उन्होंने भाषण में हरिजन समस्या पर चर्चा की। हरिजन बस्ती में, हरिजनों के लिए एक मंदिर का शिलान्यास भी किया।

सागर

सागर के लिए वे शाम को रवाना हो गये। वहां अपार जनसमूह ने गांधीजी का स्वागत किया। अनेक संस्थाओं के निरीक्षण के बाद महिलाओं की सभा में पहुंचे। वहां उन्हें 4511 रु. की थैली भेंट की गयी। फिर हरिजनों के लिए एक मंदिर का शिलान्यास किया। फिर उन्होंने गल्ला बाजार में एक सभा को सम्बोधित किया। अनेक संस्थाओं ने मान-पत्र भेंट किये।

सभा में भाषण के दौरान उन्होंने कहा ''विवेक अस्पृश्यता को सर्वथा धर्म-विरुद्ध बताता है। अस्पृश्यता हिन्दू जाति का कलंक है।...अस्पृश्यता असत्य है यह बात मेरे 50 साल के अनुभव और मनन ने मुझे सिखायी है।''

कटनी-सिहोरा

उसी रात ट्रेन से वे कटनी चले गये। कटनी स्टेशन पर भी भव्य स्वागत हुआ। भीड़ इतनी कि मोटर तक जाना कठिन। हरिजन बस्ती का निरीक्षण किया, फिर आमसभा हुई। फिर वे सिहोरा के लिए रवाना हो गये।

सिहोरा में भी गांधीजी का हार्दिक स्वागत हुआ। आमसभा में भाषण हुआ। जबलपुर जाते हुए रास्ते में उन्हें सलीमनाबाद, गोसलपुर, बुढ़ागर, पनागर आदि में हरिजन कोष के लिए थैलियां भेंट की गयीं।

जबलपुर

3 दिसंबर को गांधीजी जबलपुर पहुंचे। वे व्यौहार राजेन्द्र सिंह के यहां ठहरे। नगर में गोहलपुर में उनका स्वागत हुआ और विशाल जुलूस में ले जाया गया। द्वारकाप्रसाद मिश्र ने नगर पालिका की ओर से ब्यौहार जी ने डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की ओर से मान-पत्र पढ़ा। हरिजनों की ओर से स्वागत किया गया। सभा गोल बाजार में हुई सेठ गोविन्द दास उस समय जेल में थे। बापू ने यहां भी हरिजनों को समानाधिकार देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, ''अस्पृश्यता इस असमानता का सबसे बुरा पहलू है। यह अनेक सिरों वाला राक्षस है अनेक रूपों में प्रकट होता है।''

गांधीजी छोटे-से-छोटे व्यक्ति का ख्याल रखते थे। जब उन्हें पता चला कि टीकाराम सुनार की पत्नी दो दिन से उपवास करके अड़ी बैठी है कि गांधीजी उसके घर दर्शन दें। वे उसके घर गये।

4 दिसंबर को कांग्रेस

की कार्यकारिणी की बैठक जबलपुर में आयोजित थी। पं. जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खां, डॉ. अंसारी, सेठ जमनालाल बजाज बैठक के लिए पधारे थे। गांधीजी का मौन दिवस था। डॉ. अंसारी ने जांच की तो पता चला कि उनका रक्तचाप बढ़ा हुआ है। उन्होंने हिदायत दी कि बापू चार घंटे से अधिक परिश्रम नहीं करेंगे। 6 दिसंबर को मण्डला से लौटकर गांधीजी का गुजराती समाज की ओर से स्वागत किया गया। उन्हें रु. 100 की थैली और मिले सामान की नीलामी से रु. 5000 प्राप्त हुए। इससे बापू बहुत प्रसन्न हुए। अपने जबलपुर के अंतिम दिन हितकारिणी हाईस्कूल में महिलाओं की सभा को सम्बोधित किया। सदर बाजार के दो-मंदिरों को हरिजनों के लिए खोला। सदर बाजार से वे थियोसाफिकल कॉलेज गये। भाषण में उन्होंने कहा, ''मैं संसार के सभी धर्मों की समानता में विश्वास करता हूं।''...असल में ऊंची जातियों द्वारा प्रायश्चित और पश्चाताप करने का यह आन्दोलन है। अस्पृश्यता जियेगी तो हिन्दू धर्म मरेगा और यदि अछूतपन मरेगा तो हिन्दू धर्म कलंक रहित होकर जियेगा। अंधविश्वास के अंधकार और सुधार के प्रकाश के बीच यह युद्ध है।'' यहां से वे ट्रेन से सोहागपुर चले गये।

मण्डला

जबलपुर-प्रवास के दौरान 6 दिसंबर को वे कार से मण्डला गये। बड़ा जन-समूह उमड़ा। 50 कि.मी. तक से लोग, जिनमें बड़ी संख्या में गोंड आदिवासी थे, एकत्र हुए थे। नर्मदा का सौंदर्य देख गांधीजी प्रसन्न हुए। यहां एक सनातनी के अनुरोध पर उसे बोलने का मौका दिया। उसने कहा कि अस्पृश्यता पूर्व जन्म के पाप-पुण्य पर निर्भर है तथा असमानता ईश्वर द्वारा बनायी गयी है तथा शास्त्र सम्मत है। बापू ने धैर्य तथा तर्क के साथ उत्तर दिया और कहा,''शास्त्रों के दो प्रकार के अर्थ किये जाते हैं। जहां दोनों में मतभेद हो वहां हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए। हृदय का प्रकाश दया और सहानुभूति है। यदि हरिजन पूर्व जन्म के पापी हैं तो मंदिर में जाने का पहला अधिकार है। भगवान तो पतित पावन हैं न?''

सोहागपुर

गांधीजी ट्रेन से 7 दिसंबर को सोहागपुर पहुंचे। सभा में कहा कि आज मुझे आप लोगों की सेवा करते हुए एक माह हो गया है। आठ महीने और शेष हैं। आप लोग धन एकत्र करें और हरिजन सेवा के लिए मुझे दें। उन्होंने कहा, ''ईश्वर ने सबको समान बनाया है। उनकी दृष्टि में सब समान हैं। परस्पर कोई अन्तर नहीं। इसलिए छुआछूत का भेदभाव हृदय से बिल्कुल निकाल देना चाहिए। यह छुआछूत और देशों में नहीं है।'' भाषण के बाद सैयद अहमद ने पांव के जेवर की जोड़ी भेंट की। नीलामी से रुपये एकत्र किये।

बाबई

सोहागपुर से गांधीजी महाकवि पं. माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मभूमि बाबई पहुंचे। श्री रामदयाल चतुर्वेदी ने मान-पत्र और 165 रु. भेंट किये। गांधीजी ने कहा कि तबियत खराब होने के कारण वे 30 नवम्बर को नहीं आ पाये थे। किन्तु भाई माखनलाल की जन्मभूमि देखने के लिए तो मेरा मन बाबई में लगा हुआ था। मुझे डॉक्टरों ने मना किया, दोस्तों ने समझाया परंतु उनका कहना न मानते हुए मैं यहां आया। यह बात आप जान लें कि मैं यहां पैसा लेने नहीं आया। बापू ने वापस लौटकर सोहागपुर में रात्रि बितायी।

हरदा

8 दिसंबर को गांधीजी तीन नगरों हरदा, खण्डवा और बुरहानपुर के कार्यक्रमों में शामिल हुए। यह उनके मध्यप्रदेश में हरिजन दौरे का अंतिम दिन था। ट्रेन से प्रातः वे हरदा पहुंचे। बेनीमाधव अवस्थी तथा महिलाओं की ओर से गोदावरी ताई ने स्वागत किया। वे हरिजन मोहल्ले ले जाये गये। देखकर गांधीजी ने संतोष व्यक्त किया। फिर सभा मण्डप पहुंचे। खादी तथा फूल-पत्तियों से अत्यंत सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया गया था। गांधीजी हर्षित हुए। उन्होंने 'हरिजन' में टिप्पणी लिखी, हरदा की व्यवस्था की प्रशंसा की और सब जगह ऐसी ही व्यवस्था की सलाह दी। उन्हें रुपये 1111 की थैली और जेवर भेंट किये गये। फिर वे खण्डवा के लिए रवाना हो गये।

खण्डवा

खण्डवा से पहले हरसूद स्टेशन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। थैली भी भेंट की गयी। खण्डवा पहुंचते ही, स्टेशन पर पं. माखनलाल चतुर्वेदी की बहिन कस्तूराबाई ने उन्हें अपने हाथों से काती हुई, दस हजार गज सूत की माला पहनायी, आरती उतारी। फिर मोटर में पं. रविशंकर शुक्ल, हरिकृष्ण प्रेमी तथा रामनाथ सुमन के साथ रामचंद्र नागड़ा के घर विश्राम करने पहुंचे। फिर सभा में पहुंचे। सभा मंच पर पं. शुक्ल और सुमन के साथ ही पं. माखनलाल चतुर्वेदी और भगवन्तराव मण्डलोई भी थे। गांधीजी को रुपये 1101 तथा 2501 की दो थैलियां भेंट की गयीं। फिर उनका भाषण हुआ।

बुरहानपुर

अपने हरिजन दौरे के अंतिम दिन के अंतिम कार्यक्रम में महात्मा गांधी बुरहानपुर पहुंचे। वे रात को ट्रेन से साढ़े सात बजे वहां पहुंच पाये। स्टेशन पर अपार हुजूम था। फिर राबर्टसन हाईस्कूल के मैदान में आयोजित सभा-स्थल पहुंचे। लगभग 30 हजार जनता उन्हें सुनने को लालायित थी। अनेक संस्थाओं ने रास्ते में तथा सभा में मान-पत्र भेंट किये और हरिजन फण्ड के लिये थैलियां दीं।

इसके बाद, अपने 17 दिवसीय दौरे के बाद गांधीजी दिल्ली के लिए रवाना हो गये। प्रांत की जनता के मन में उनके लिए अपार श्रद्धा थी। दौरा समाप्ति के बाद पं. माखनलाल चतुर्वेदी ने 'कर्मवीर' में लिखा। ''महात्मा, तुम हमारे हृदय के सम्राट हो। जब तुम यहां नहीं आये थे तब भी तुम हमारे हृदय में छाये हुए थे। अब हम तुम्हें विदा दे रहे हैं, तब भी तुम हमारे हृदय में छाये हुए हो।'' सूरदास को जब जदुपति कुंए से निकाल कर भागे थे, उसी समय के सूर के झुंझलाए हुए प्रेम से गद्‌गद् शब्दों में हम भी कह सकते हैं - ''हिरदे से जब जाई हो, मरद बदौंगो तोहि।''

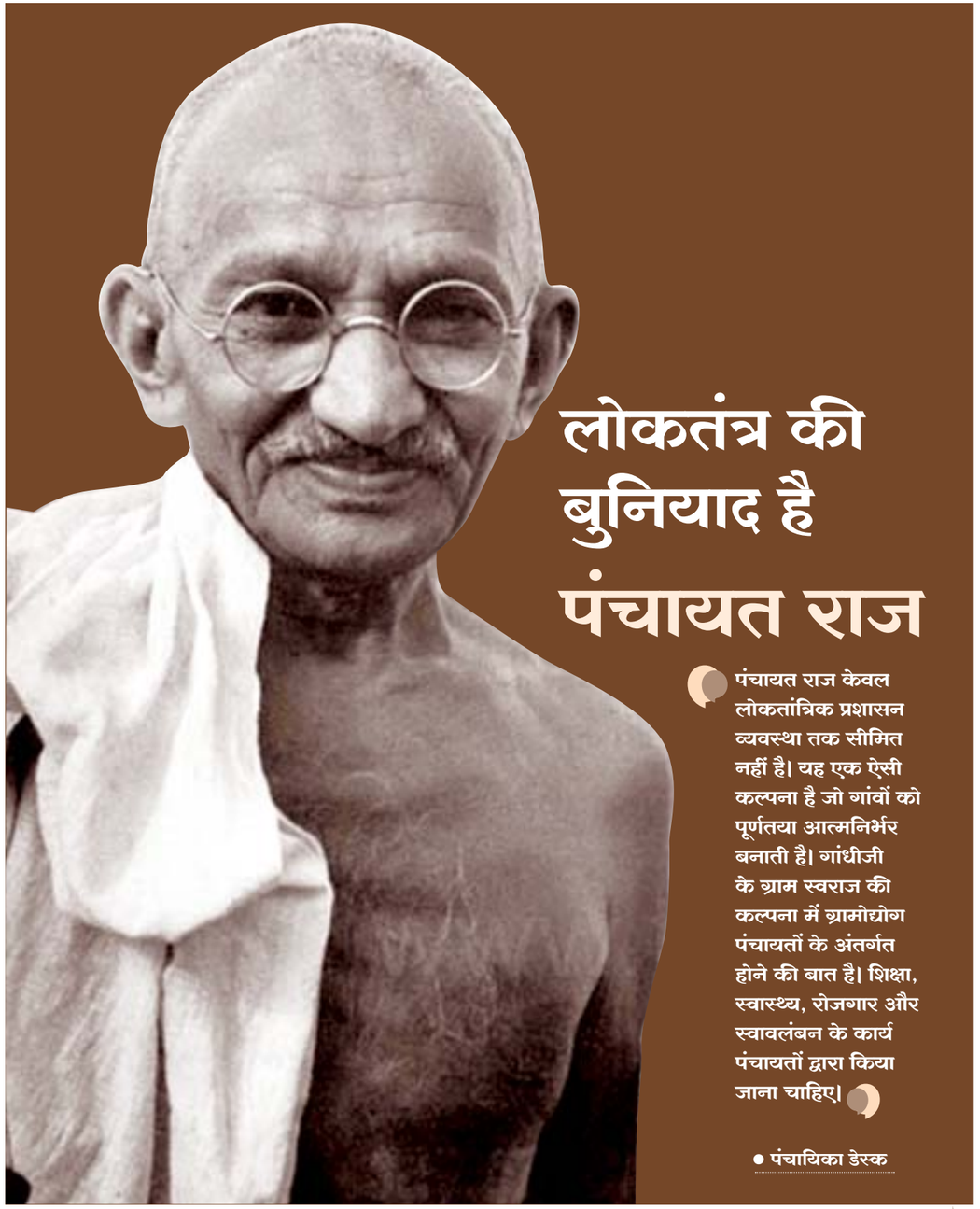

लोकतंत्र की बुनियाद है पंचायत राज

पंचायत राज केवल लोकतांत्रिक प्रशासन व्यवस्था तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसी कल्पना है जो गांवों को पूर्णतया आत्मनिर्भर बनाती है। गांधीजी के ग्राम स्वराज की कल्पना में ग्रामोद्योग पंचायतों के अंतर्गत होने की बात है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और स्वावलंबन के कार्य पंचायतों द्वारा किया जाना चाहिए।

● पंचायिका डेस्क

गांधीजी को यदि शताब्दी पुरुष कहा जाए तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। दक्षिण अफ्रीका से लेकर ब्रिट्रेन तक उनके द्वारा स्थापित मानवीय मूल्य आज भी लोगों की जुबान पर है। सामान्यतया यदि कोई विचारक है, दार्शनिक है तो अच्छा संगठनकर्ता नहीं होता, अच्छा वक्ता नहीं होता। बिरले होते हैं ऐसे लोग जो उत्कृष्ट विचारक हों, लेखक हों, संगठक हो, चिंतक हों, समाज सुधारक हों और अच्छे वक्ता हों। गांधीजी में यह सभी गुण थे। इसलिए भारत राष्ट्र के लोगों ने उन्हें महात्मा माना, बापू माना।

गांधीजी ने दो टूक शब्दों में कहा था कि जब तक भारत के गांवों में लोकतंत्र नहीं होगा तब तक भारत में कैसे लोकतंत्र चल सकेगा। गांधीजी ने कहा था कि लोकतंत्र इतना भर नहीं है कि चुनाव प्रक्रिया लागू हो जाए, लोग चुनकर आ जाएं और फैसले करने लगें, इसे आजादी नहीं कह सकते। जैसे-जैसे आजादी की तिथि नजदीक आ रही थी। वैसे-वैसे गांधीजी का चिंतन बढ़ रहा था। सन् 1946 में उन्होंने अपने लेख में लिखा कि ''आजादी ऊपर से नहीं हो सकती, आजादी नीचे से शुरू होनी चाहिए।

शायद ही कोई ऐसा विषय हो जिस पर गांधीजी ने चिंतन न किया हो, एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत न की हो। वे जितना संघर्ष भारत को स्वतंत्र कराने के लिए कर रहे थे उतनी ही इसकी कल्पना भी कर रहे थे कि स्वतंत्रता के बाद भारत का स्वरूप कैसा हो। इसमें कोई शक नहीं कि वह दौर दुर्दिनों का दौर था, भुखमरी का दौर था। कहने के लिए तब भारत की अस्सी प्रतिशत, आबादी खेती पर निर्भर थी, 90 प्रतिशत लोग गांवों में रहते थे लेकिन वह भुखमरी, अभाव, अशिक्षा और भारी गंदगी का दौर था। एक मार्च 1935 को 'हरिजन' में प्रकाशित गांधीजी ने अपने एक लेख में एक अंग्रेज लेखक 'लियोनेल कार्टिस की टिप्पणी का उल्लेख किया है जिसमें उसने भारत के गांवों को 'घूरे का ढेर' लिखा था। गांधीजी का मानना था कि इतनी दुरावस्था के बीच भारत कैसे सशक्त होगा? कैसे आजादी अक्षुण्य रह सकेगी?

इसलिए गांधीजी ने लोकतंत्र का पूरा दर्शन प्रस्तुत किया जिसमें पंचायत राज उसका आधार हो। गांधीजी ने दो टूक शब्दों में कहा था कि जब तक भारत के गांवों में लोकतंत्र नहीं होगा तब तक भारत में कैसे लोकतंत्र चल सकेगा। गांधीजी ने कहा था कि लोकतंत्र इतना भर नहीं है कि चुनाव प्रक्रिया लागू हो जाए, लोग चुनकर आ जाएं और फैसले करने लगें, इसे आजादी नहीं कह सकते। जैसे-जैसे आजादी की तिथि नजदीक आ रही थी। वैसे-वैसे गांधीजी का चिंतन बढ़ रहा था। सन् 1946 में उन्होंने अपने लेख में लिखा कि ''आजादी ऊपर से नहीं हो सकती, आजादी नीचे से शुरू होनी चाहिए। हरेक गांव में जम्हुरी सल्तनत यानि पंचायत राज होगा। उसके पास अपनी पूरी सत्ता रहेगी, हर गांव अपने पैरों पर खड़ा होगा, अपनी जरूरतें खुद पूरी करेगा, ताकि अपना कारोबार खुद चला सके। गांधीजी मानते थे कि जिस तरह समाज के केन्द्र में व्यक्ति होता है। उसी तरह राष्ट्र के केन्द्र में गांव होता है और लोकतंत्र के केन्द्र में पंचायत राज होता है। पंचायतों को इतना सशक्त और सक्षम होना चाहिए कि अपने नियम स्वयं बनाएं, देश और दुनिया से अपनी रक्षा स्वयं करें।'' गांधीजी ने स्पष्ट किया था कि इसका मतलब यह नहीं है कि किसी से सहायता न ली जाए किसी पर भरोसा न किया जाए। जो राजी खुशी सहायता दे रहा है वह ली जाए। भरोसा किया जाए। आत्मनिर्भरता और आत्म क्षमता का अर्थ दूरियां नहीं होती, किसी से कटाव नहीं होता लेकिन स्वयं को सक्षम बनाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। ऐसा समाज जो सत्य और अहिंसा का आचरण रखता हो, ईश्वर या खुदा पर विश्वास रखता हो। ऐसा समाज अनगिनत

गांवों का बना होगा। इसका फैलाव एक के ऊपर एक से नहीं होगा बल्कि लहरों की भांति फैलाव से होना चाहिए।

गांधीजी का पंचायत राज केवल लोकतांत्रिक प्रशासन व्यवस्था तक सीमित नहीं था बल्कि यह एक ऐसी कल्पना है जो गांवों को पूर्णतया आत्मनिर्भर बनाती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सबमें गांधीजी की ग्राम स्वराज की कल्पना में ग्रामोद्योग पंचायतों के अंतर्गत होने की बात है। उन्होंने अपने एक अन्य लेख जो 10 नवंबर 1946 को हरिजन सेवक में प्रकाशित हुआ, उसमें लिखा कि ''गांव की पुनर्रचना का काम आज से ही शुरू हो जाना चाहिए। गांवों की पुनर्रचना का काम कामचलाऊ नहीं बल्कि स्थायी होना चाहिए। इसमें कृषि, उद्योग, हुनर, स्वशासन और शिक्षा इन सबका समन्वय करना चाहिए। नई तालीम में उद्योग, शिक्षा और हुनर का समन्वय हो इन सबके मेल से मां के पेट में आने के समय से लेकर बुढ़ापे तक का एक खूबसूरत फूल तैयार होता है यही नई तालीम है।'' उन्होंने स्पष्ट कहा था कि यदि ग्राम इकाई मजबूत होगी, स्वावलंबन के आधार पर संगठित होगी तो बहुत कुछ किया जा सकता है।

गांधीजी का मानना था कि पंचायतें स्वयं निर्णय करें कि आदर्श भारतीय ग्राम किस प्रकार के हों, उनमें स्वच्छता का प्रबंध कैसा हो? यदि झोपड़ी है तब भी पर्याप्त प्रकाश, हवा और स्वच्छता का प्रबंध रहे। गांव में जिस सामान का उपयोग हो, वह ऐसा हो जो गांव में ही मिल सके या फिर आसपास। यह निर्णय पंचायतें स्वयं लें कि अपने गांव के विकास के लिए किस तरह की सामग्री का उपयोग करना है। इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह भारत में औसत हर 14 मील के बाद बोली बदल जाती है। ठीक उसी प्रकार मिट्टी की विशेषता भी। जैसे किसी मिट्टी में मूंग अच्छी होती है तो किसी में तुअर और किसी में गन्ना। यह विविधता व्यक्ति के स्वभाव, उसकी जरूरत और हुनर तीनों पर असर डालती है। गांधीजी ने शिक्षा में हुनर को शामिल करने की बात कही है आशय यही है कि स्थानीय विशेषता के अनुरूप विकास का ताना-बाना। ग्रामीण विकास पर गांधीजी के तमाम लेखों में ऐसे नौजवान तैयार करने की बात है जो शिक्षा के साथ हुनरमंद भी हों और गांवों की अर्थव्यवस्था अपने उद्योगों के आधार पर हो गांधीजी की कल्पना में कुटीर उद्योग और ग्रामोद्योगों पर बहुत जोर दिया गया था और इसका निर्णय पंचायतों को ही करने की बात थी कि किस गांव में कौनसा ग्रामोद्योग और कौन सा कुटीर उद्योग हो। नि:संदेह इस बात का स्थानीय प्रशासन तंत्र ही निर्णय कर सकता है कि उसके गांव या उसके आसपास के गांवों में किस कच्चे माल का

उत्पादन अधिक है। कहां दाल मिल चलेगी और कहां शुगर मिल अथवा कहां कपड़ा मिल। दाल मिल का विशेषज्ञ, कपड़ा मिल विशेषज्ञ नहीं हो सकता इसीलिए स्थानीय शिक्षा में हुनर को शामिल करने की बात गांधीजी ने कही थी और इसका निर्णय करने का अधिकार पंचायतों का हो। इसी प्रकार कुटीर उद्योगों पर जोर दिया गया था। किसानी से खाली समय में व्यक्ति या उसके परिवार इस काम में लगेंगे। इसके लिए गांधीजी ने चरखे पर, खादी पर, मिश्र खाद बनाने पर, चमड़े का धंधा आदि पर बहुत जोर दिया था। गांधीजी की सोच बहुत व्यापक थी। उन्होंने कल्पना की होगी कि यदि गांव की शिक्षा उन्नत नहीं होगी, तो गांव के नौजवानों को गांव में रोजगार नहीं मिलेगा तो पलायन होगा और दूसरी इससे बड़ी बात उन्होंने पंचायत राज को आत्मनिर्भर बनाने की कही थी। पंचायतें किसी के आधीन न हों। वे अपना खर्चा भी स्वयं जुटाएं। यदि ग्रामोद्योग होंगे, कुटीर उद्योग होंगे तो यह पंचायती राज व्यवस्था आत्मनिर्भर होगी तथा अपनी जरूरत का कर लगा सकेगी। गांधीजी की पंचायत व्यवस्था में कर वसूलने की बात तो थी लेकिन पहले नागरिक को, गांवों को सक्षम बनाकर संपन्न बनाकर। गांधीजी का मानना था कि जब पंचायत राज स्थापित हो जायेगा, तब हमारा लोकमत ऐसे अनेक काम कर दिखायेगा जो हिंसा से कभी नहीं हो सकते। जमींदारों, राजाओं और पूंजीपतियों की सत्ता तभी तक चल सकती है जब तक सामान्य जन को अपनी क्षमता का भान नहीं होगा। यदि पंचायत राज में केवल पंचायत की आज्ञा मानी जायेगी और पंचायत अपने बनाए हुए कानून पर अपना काम करेगी तब शोषण नहीं होगा और वही सच्चा लोकतंत्र होगा।

● **प्रस्तुति : ज्योति राय**

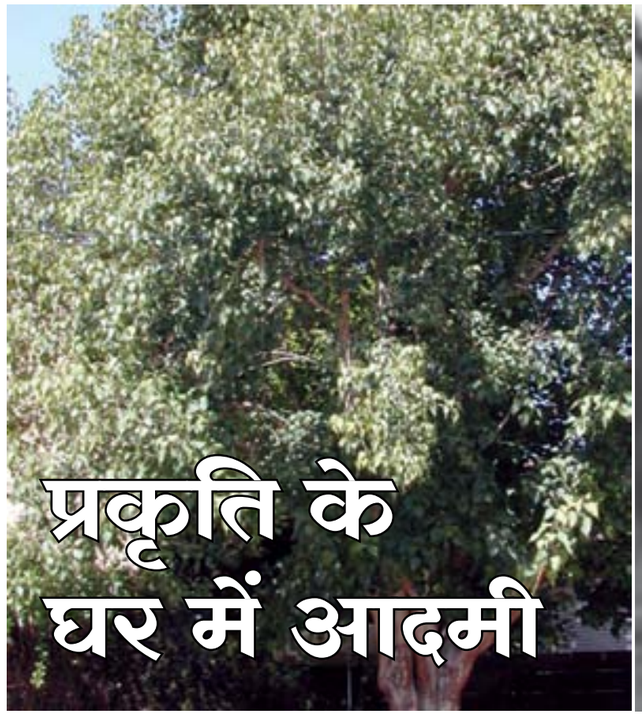

प्रकृति के घर में आदमी

● ध्रुव शुक्ल
गांधीवादी चिंतक लेखक और विचारक

आदमी की जन्मजात मुश्किल यह है कि उसे जीवन भर अपनी और ईश्वर की तरफ से बोलना पड़ता है और ईश्वर की बोली आदमी जैसी तो बिल्कुल नहीं। ईश्वर ने तो अपने बोलने के लिए बहुरंगी रूप ही चुने हैं, जिनमें वह अपने आपको बसाकर प्रकट करता रहता है। ईश्वर के लिए आदमी भी सिवा एक रूप के और कुछ नहीं। तब फिर प्रकृति ईश्वर का घर हुई और जिसकी साज-संभाल की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा आदमी पर ही आती है। आदमी के अलावा दूसरे जितने भी प्राणी हैं वे प्रकृति के बीच पूरी तरह उसी के होकर रहते आये हैं, वे उसमें कोई बदलाव की आकांक्षा कभी नहीं करते। प्रकृति उन्हें जिस तरह रखती है वे वैसे ही उसी के होकर रहते हैं। पर आदमी प्रकृति से जूझता है और उसे अपने अनुकूल बनाने के विफल उपाय भी सदियों से करता रहा है। उसकी भूमिका तो प्रकृति के संरक्षक की ही होनी चाहिए पर अब वह उसका विनाशक ही साबित हो रहा है। आदमी अपना घर बसाने के लिए ईश्वर का घर ही उजाड़ने पर तुला हुआ है। महात्मा गांधी ने पूरी दुनिया के लोगों को ईश्वर के इसी घर की याद दिलायी थी।मनुष्य ने स्वयं अपने शरीर को ही ईश्वर का घर माना है, एक ऐसा हाड़-मांस का मंदिर जिसके हृदयरूपी गर्भगृह में ईश्वर निवास करता है। अनुभव में आता है कि संसार के हरेक प्राणी की देह में ईश्वर से भरा हुआ हृदय ही होता होगा तभी तो वे प्रकृति में बसे ईश्वर के घर को उजाड़े बिना अपना जीवन जी लेते हैं और पीछे आने वाले जीवन को संभाले रखने के लिए अपने वन-पर्वतों-नदियों को अक्षत बनाये रखते हैं पर आदमी उन सारे प्राणियों के इन सदाबहार घरों को उजाड़ने में कोई संकोच ही नहीं कर रहा। वह यह भी भूल गया-सा लगता है कि इन सदाबहार घरों के बिना उसका काम भी नहीं चल सकता।

ग्रीष्म ऋतु में अकुलायी व्याकुल धरती को देखो तो अनुभव होता है कि वह जल के अवतरण की प्रतीक्षा कर रही है। फिर पावस में किसी एक दिन साँवरे-सलोने मेघ उस पर छाने लगते हैं और जब वे अपना हृदय खोलकर बरसते हैं तो देखते ही देखते धरती पर कितने रूप, कितने रंग, कितनी आवाजें लौट आती हैं। यह बार-बार लौट आता नवपल्लवित और पुष्पित जीवन देखकर अनुभव होता है कि जल ही जीवन की नाभि है और उसी से इस बहुरंगी जीवन का विस्तार हरेक संवत्सर में होता रहता है। लगता है धरती की सेवा करने के लिए सबका जीवन एक छोटा-सा अवतार है। गांधीजी ने मनुष्य में छिपे इसी अवतरण की याद दिलायी।

जीवन जल से ही आता है और फिर जल में ही लौट जाता है। जल ही है जो संसार को अनगिनत रूपों में रचता है। ये सारे रूप निरुपम हैं, इनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। बस इनके सहयोग और अपने सहकार से आदमी सहित सारे प्राणी अपनी गुजर-बसर जरूर कर सकते हैं। जल के बिना धरती पर नागरिक धर्म नहीं निभाया जा सकता- सूर्य है जीवन का आधार, जल है पालनहार तब ही तो धरती करती है उपकार। सृष्टि में धरती और सूर्य के बीच संवाद का माध्यम जल ही है और यह संवाद कभी खत्म नहीं होता।

अक्सर अब खबरें आने लगी हैं कि यह संवाद टूट रहा है और धरती पर भरे जिन कुण्डों और सरोवरों में कभी आदमी ने पहली बार अपना चेहरा देखा होगा वे उज्ज्वल दर्पण अब मैले होते जा रहे हैं। उन पर धूल की परतें जम रही हैं। काई-कीचड़ और कारखानों की गंदगी ने नदियों के बहाव रोक दिये हैं पर वे अभी भी किसी तरह सबको पाल-पोस रही हैं और चेतावनी दे रही हैं कि आदमी अपने पापों से उन्हें मुक्त करें। गंगा अब आदमी के पाप धो-धोकर थक रही है और मनुष्य जाति से उसके कुछ पुण्य अपने लिए माँग रही हैं। सारी नदियाँ आदमी की खाली होती जाती अंजुरी में एक बार फिर अपना निर्मल जल देखने को आतुर-सी लगती हैं। कैसा होता होगा पृथ्वी का दुख- जब उसके नदी-ताल-सरोवर और कुण्डों के स्रोत सूखने लगते होंगे, तब पृथ्वी रोती हुई जान पड़ती होगी। जब उस पर फैली हरीतिमा मुरझाकर पीली पड़ने लगती होगी तब लगता होगा कि पृथ्वी रो रही है। जब उसको जीवन देने वाली प्राणवायु में धूल भर जाती होगी तब पृथ्वी जरूर बिलखती होगी। जो रोता है वह अक्सर कुछ कह नहीं पाता, बस एक हूक-सी उठती रहती है। क्या हम पृथ्वी की इस मौन हूक में छिपी गहरी पीड़ा को अनुभव कर पा रहे हैं। गांधी जी पृथ्वी के दुख को अनुभव कर पाये और उन्होंने मानव जाति को उस पर चलने की कला सिखायी। अस्तित्व की योग्यता को सत्य कहा जाता है- संसार चलने योग्य बना रहे, इसके अलावा आदमी के लिए और क्या कर्तव्य हो सकता है। इस संसार में सभी प्राणी अपनी भूमिका निभाते देखे जाते हैं। सूर्य सदा प्रकाशित है और धरती अपनी धुरी पर घूम रही है। सारा जीवन पृथ्वी जल और आकाश में बसा हुआ है। सूर्य धरती से जल को उठाकर आकाश में ले जाते हैं, जिससे कि वह बार-बार धरती पर लौट सके और हल की नोंक से धरती पर खींची जाती रेखाएँ फलवती बनी रहें। शेष कर्त्तव्य तो प्रकृति अपने आप करती है... वृक्षों से कहना नहीं पड़ता कि फूल दो, फल दो। वे जीवन जल पाकर पर्वतों पर भी हरयाते हैं। यह संसार एक उपवन जैसा है जिसमें सबको खिलने का अवसर मिला हुआ है। यही वह सच्चा स्वराज्य है और बापू ने सबके लिए इसी की कामना की।

मुझे कभी किसी ने एक कथा सुनायी थी वही कथा आपको सुनाता हूँ - एक समय की बात है कि गरुड़ से एक तोते की मित्रता थी। समय बीतने पर एक दिन गरुड़ ने देखा कि उसका मित्र तोता एक उजड़े हुए सुनसान वन में किसी वृक्ष की सूखी टहनी पर अकेला बैठा है तो गरुड़ उसके पा जा पहुँचा। सारे पशु-पक्षी वन छोड़कर जा चुके थे पर तोता नहीं गया। वह उस टहनी पर अपनी मृत्यु से भयभीत बैठा था। तोते ने गरुड़ से कहा- मित्र तुम तो नारायण के प्रिय पात्र हो, उनके वाहन भी हो। क्या यह संभव है कि तुम नारायण से कहकर मुझे मृत्यु से मुक्त करवा दो। आखिर मरने से किसे डर नहीं लगता, मुझे भी लग रहा है। गरुड़ ने मन ही मन सोचा कि यह कौन-सा बड़ा काम है। नारायण मेरा कहा नहीं टालेंगे। गरुड़ ने अपने मित्र तोते को भरोसा दिलाया कि वह उसे मृत्यु से जरूर बचा लेगा। एक दिन ब्रह्मा के यहाँ नारायण को ले जाते हुए गरुड़ ने अपने मित्र तोते की व्यथा नारायण को सुनायी तो नारायण बोले कि- चलो अच्छा हुआ, हम ब्रह्मा के पास ही तो चल रहे हैं । उनकी सम्मति लेकर तुम्हारे मित्र तोते को मृत्यु से मुक्त कर देंगे। ब्रह्मा के पास पहुँचते ही गरुड़ ने हठ किया कि आप दोनों के पास संसार के बहुत सारे काम हैं इसलिए सबसे पहले मेरे मित्र तोते की समस्या का निदान कर दीजिए। ब्रह्मा ने पूछा, आखिर बात क्या है, तब नारायण ने उन्हें तोते की पूरी व्यथा-कथा सुना दी। सुनते ही ब्रह्मा ने कहा कि हमें इस विषय पर शिव की सहमति लेना होगी। हम कल ही तो उनके पास जा रहे हैं।

ब्रह्मा की बात सुनकर गरुड़ की खुशी का ठिकाना न रहा। वह तुरन्त उस वन में तोते के पास गया और यह घोषणा कर दी कि मित्र कल तुम अपनी मृत्यु से मुक्त हो जाओगे। दूसरे दिन जब गरुड़ नारायण को लेकर शिव के पास पहुँचा तो उसने बिना देर लगाये त्रिदेव से निवेदन किया कि आप सबसे पहले मेरे मित्र तोते को मृत्यु से मुक्त कर दें। अभी उस पर निर्णय होने ही वाला था कि आकाश मार्ग से यमदूत तोते की गर्दन पकड़े हुए उसे ले जा रहे थे। गरुड़ चिल्लाया कि मेरे मित्र को छोड़ दो पर यमदूतों ने एक न सुनी। तब स्वयं त्रिदेवों ने यमदूतों को अपने पास बुलाकर कहा कि इस तोते को छोड़ दो, हम इसे मृत्यु से मुक्त कर रहे हैं । यह सुनकर यमदूत विनम्रतापूर्वक कहने लगे कि हे त्रिदेव, इस तोते की मृत्यु के बारे में हम इतना ही जानते हैं कि जिस दिन सृजन-पालन और संहार के देवता इसकी मृत्यु पर विचार करने लगेंगे, उसी समय इसकी मृत्यु आ जायेगी। गरुड़ जब भी त्रिदेव को मंत्रणा करते देखता है तो उसके मन में अक्सर यह भय उत्पन्न होता है कि ये देवता कहीं पूरी पृथ्वी को ही मृत्यु से छुटकारा दिलाने की तो नहीं सोच रहे ...

यह कहानी सुनकर लगता है कि हमारा जीवन एक असाध्य वीणा की तरह है पर अगर उसे संसार को डुबाने वाली अतियों के बीच मध्य में साधा जा सके तब ही दुनिया रूपी तोते के प्राण दीर्घकाल तक बचे रह सकते हैं।

किसान, किसानी और गांव
तीनों की उन्नति आवश्यक

भारत और उसका जीवन गांवों में बसता है। गांव ही इस देश का आधार हैं। जीवन का स्रोत हैं। अन्न, फल, सब्जी, औषधि जो जीवन के लिए जरुरी है वह सब गांवों से आता है। किसान की खून पसीने की मेहनत से आता है लेकिन फिर भी हमारे गांव अभाव में जी रहे हैं। जो गांव, जो किसान सब को अन्न धन देते हैं वे बीमारी, अभाव और अशिक्षा में डूबे हैं। जब तक उनकी दशा नहीं सुधरेगी तब तक भारत संपन्न कैसे होगा।

यह निष्कर्ष है गांधीजी के उन तमाम आलेखों का जो उन्होंने समय-समय पर किसान और किसानी की दुरावस्था पर लिखे। गांधीजी ने केवल परिस्थिति का वर्णन करने वाले आलेख ही नहीं लिखे बल्कि उन्होंने उन कारणों का बारीकी से विश्लेषण भी किया जिन कारणों से कृषि प्रधान भारत की कृषि में पिछड़ापन आया। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत की भूमि उर्वरा है। पूरे देश में पांच प्रतिशत भी भूमि ऐसी नहीं है जिसे बंजर, रेगिस्तान या दलदल कहा जाए जिसमें कुछ भी उत्पादन संभव नहीं होता। फिर भी गांवों में यह स्थिति कैसे बनती है कि हाड़तोड़ परिश्रम करने के बाद भी किसान आधे खाकर सोता है। जबकि उसके उत्पादन को खाकर अथवा उसकी उपज का व्यापार करके शहरों में रौनक है, संपन्नता है। गांधीजी ने इसके दो कारण खोजे। एक तो भूमि की तासीर के अनुसार कृषि न होना और किसान की जरूरत का आंकलन न करना। गांधीजी का मानना था कि भारत की कृषि को उन्नत करने के लिए किसानों को समझने से काम आरंभ करना होगा। किसान पर जमीदारों और शासन का दबाव कम हो दूसरे उसे भूमि की तासीर के अनुसार खेती करने की समझाइश दी जाए। इसके लिए गांधीजी ने बाकायदा 'ग्राम सुधार आंदोलन और कृषि सुधार आंदोलन आरंभ करने की बात कही थी। गांधीजी ने यहां ग्राम सुधार और कृषि सुधार के लिए आंदोलन शब्द का प्रयोग किसी धरना, प्रदर्शन या उपवास के लिए नहीं किया था बल्कि एक अभियान आरंभ करने के भाव से किया था। उनका मानना था कि गांव, और कृषक को कृषि से पृथक करके नहीं समझा जा सकता। यदि गांव में गंदगी है या किसान बीमार हैं तो वह कैसे कृषि कर पायेगा। यहां यह बात ध्यान रखने की है कि जब गांधीजी ने भारत में कृषि का चिंतन किया था तब जमींदारी प्रथा थी और खेती मशीनों से नहीं अपितु मानव श्रम से होती थी।

गांधीजी जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के पक्ष में थे ताकि किसान मनोवैज्ञानिक और शोषण के दबाव से मुक्त हो सकें। जब तक किसान मानसिक और शारीरिक दबावों से मुक्त नहीं होगा तब तक श्रम एवं शक्ति से खेती कैसे करेगा। गांधीजी इस बात से बहुत विचलित होते थे कि किसान सूरज की तेज तपिश को पीठ पर सहकर, आधा पेट खाकर जो परिश्रम करता है उसे उसका पारिश्रमिक भी नहीं मिल पाता और तो और वह उसी पोखर से अपने पीने के लिए पानी लेता है जिसमें पशु तैरते हैं। इस विषय पर उनका एक आलेख हरिजन में एक मार्च 1935 को प्रकाशित हुआ था।

गांधीजी मानते थे कि यदि हमें कृषि में सुधार करना है, उन्नत करना है, खेतों से भरपूर उत्पादन लेना है तो सबसे पहले गांव को स्वच्छ करना होगा और किसान को शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखना होगा फिर कृषि को संपन्न करने की बात होगी। गांधीजी परंपरागत कृषि को उचित तो मानते थे किंतु उनका मानना था कि समय के परिवर्तन के साथ मिट्टी में किस प्रकार का परिवर्तन आया है इसे समझना जरूरी है। वे कहते थे कि भारत की कृषि अनुभव सिद्ध है और अनुभव किसी भी अनुसंधान से श्रेष्ठ होता है। अतएव जहां जो कृषि हो रही है वहां अधिक हस्तक्षेप न हो। कहां चावल अधिक होता है और कहां गन्ना, उसे वहीं होने देना चाहिए। हम जो प्रयोग करें वह खाली जमीन पर और खाली मौसम में करें।

गांधीजी कम से कम दो फसलें और अधिकतम तीन फसलें उगाने के पक्षधर थे। वे कहते थे कि एक आदर्श कृषि वह होगी जहां एक खेत में कम से कम दो फसलें उगाई जाएं। वे खेतों में कम से कम साल में एक फसल उगाने को और एक खेत में साल में तीन फसल उगाने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि धरती को अपनी उर्वरक क्षमता का संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ समय खाली रहना चाहिए। सूरज की किरणें या चन्द्रमा की चांदनी सीधी भूमि पर पड़नी चाहिए।

गांधीजी का मानना था कि जीवन शक्ति मनुष्य के वश में नहीं है। जीवन शक्ति प्राकृतिक है और प्रकृति से ही प्रभावित होगी और पुष्पित होगी। धरती में यदि फसल उगती है, पौधों का अंकुरण होता है तो यह प्राकृतिक सामर्थ्य से ही संभव है यदि खेत कुछ समय खाली होंगे, सूरज और चंद्रमा की रोशनी उन पर सीधी होगी तो उनकी उर्वरक क्षमता में संतुलन बना रहेगा। इसलिए वे साल में तीन फसलों को लेने में सहमत नहीं होते थे।

इसी प्रकार एक फसल लेने की प्रथा में भी सुधार चाहते थे और कहते थे कि हर खेत में कम से कम दो फसलें ली जाएं। गांधीजी खेतों की मेढ़ों को चौड़ा और बड़ा रहने और उनमें फलदार वृक्ष लगाने की बात करते थे। उनका मानना था कि खेतों की मेढ़ चौड़ी होने से खेत में बरसात का पानी संग्रहित होगा और खेत का पानी खेत में रहेगा। खेत से पानी बहने से जहां भूमिगत जल के स्तर में अंतर आता है वहीं बहते पानी से खेत का रेशा बढ़कर चला जाता है बरसात के पानी के साथ बहकर गया यह रेशा दोहरी क्षति पहुंचाता है। एक तो खेत की उर्वरा क्षमता को कम करता है दूसरा नदी या तालाब में जाकर गार बनता है जो उसकी जल संग्रहण क्षमता को कम कर देता है।

गांधीजी सहकारी आधार पर खेती करने के पक्ष में थे। गांधीजी का सहकारी भाव कोई सहकारी समिति बनाकर राजनीति करना नहीं था। गांधीजी का सहकारी भाव परस्पर सामंजस्य करके खेती करना था इसमें कुछ किसान परस्पर एक समूह बना लें और खेतों के बीच में एक तालाब बनाएं यह तालाब एक ओर वर्षा को संग्रहित करेगा, दूसरा सिंचाई के

काम भी आयेगा। यदि आठ-दस किसान मिलकर ऐसा करें तो कृषि का उत्पादन भी बढ़ेगा और वर्षा जल का पूरा उपयोग होगा।

गांधीजी के सहकारी भाव में दूसरा उपयोग बीजों के संरक्षण का था। किसान परस्पर सहयोग करें और एक दूसरे की जरूरत का बीज संग्रहित कर लें। मान लीजिए कि एक किसान गेहूं का बीज संग्रहित कर रहा है, तो दूसरा चने का, तीसरा मूंग का और चौथा उड़द का। खेतों की बौनी के लिए सब एक दूसरों को सहयोग करें।

बीजों का आदान-प्रदान करें। गांधीजी के कृषि सिद्धांत में पशुपालन या गौपालन को भी प्राथमिकता थी। गांधीजी इस बात से चिंतित थे कि किसानों के परिवार बढ़ रहे हैं और कृषि भूमि कम हो रही है। विस्तार गांवों का हो, नगरों का हो, पक्की सड़कों का हो या कारखाने बनाने का। भूमि तो कृषि से ही कम होगी। इसके साथ उसका अपना परिवार बढ़ रहा है। इससे बंटवारे से इसकी भूमि तो कम हो ही रही है, घर में पशु बांधने की जगह कम हो रही है। यह स्थिति आगे घातक होगी। ऐसी स्थिति में गौपालन का काम सहकारी स्तर पर होना चाहिए। सभी गांव वाले मिलकर गौशाला बना लें, एक हो, दो हो या आवश्यकतानुसार इससे अधिक भी। इसमें वे सारे पशु हों जो दूध देते हैं, या जिनका उपयोग कृषि कार्य में होता है। जो खेत खाली हों उनमें इन पशुओं को घुमाया जाए। मेढ़ों के घास इन पशुओं के लिए सुलभ रहे। गांधीजी का मानना था कि प्रत्येक किसान को घास के लिए भूमि खाली छा नी चाहिए सारी जमीन पर खेती न हो। इसमें एक लाभ यह होगा कि पशुओं को चारा मिलेगा तथा गोबर और बचा हुआ घास, भूसा आदि से खाद बन सकेगी। आज जिस तरह गीला कचरा सूखा कचरा अलग-अलग रखने की बात हो रही है। यह बात गांधीजी ने उस जमाने में कही थी ताकि खाद बन सके। गांव की जरूरत की खाद गांव में ही पैदा हो सके।

● **प्रस्तुति : रीमा राय**

गांधीजी के मूल-सिद्धान्तों पर केन्द्रित होंगी ग्रामसभाएँ

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर 2 अक्टूबर को प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में ग्रामसभाएँ आयोजित की जाएंगी।

ग्रामसभाएँ गांधी जी के ग्राम स्वरोजगार, महिला स्वावलम्बन, ग्राम-स्वराज से ग्राम्य विकास तथा 'सादा जीवन-उच्च विचार' के मूल सिद्धांतों पर आधारित होंगी। ग्रामसभाओं के लिए 24 बिन्दुओं का एजेण्डा तैयार किया गया है।

मंत्री श्री पटेल ने कहा कि इस वर्ष 2 अक्टूबर से अगले वर्ष 2 अक्टूबर तक विभिन्न स्तरों पर महात्मा गांधी के विचारों पर केन्द्रित कार्यक्रम होंगे। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा में गांधी जी की ग्राम स्वराज की अवधारणा पर परिचर्चा होगी। साथ ही, पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिये 'लोगों की सरकार' सिद्धांत को लागू करने के बारे में विचार-विमर्श होगा। महिला सशक्तिकरण के लिये महिला

स्व-सहायता समूहों के निर्माण तथा आर्थिक स्वावलंबन के लिये योजना बनाने, स्वच्छ भारत अभियान, कचरे के समुचित निपटान में समुदाय की भागीदारी, मनरेगा में जरूरतमंद परिवारों को नवीन जॉब कार्ड का वितरण और रोजगार उपलब्ध कराने की रणनीति पर चर्चा होगी।

इस मौके पर ग्रामीणों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई जाएगी। प्रत्येक गाँव में जल संरक्षण कार्य प्रारम्भ कराया जाएगा। लेबर बजट के वित्तीय वर्ष 2019-20 के लक्ष्य, अपूर्ण कार्यों को पूर्ण किया जाना, गौशाला निर्माण, नदी पुनर्जीवन की प्रगति, चंदेलकालीन और बुंदेलकालीन तालाबों एवं प्राचीन तालाबों के जीर्णोद्धार, जल शक्ति अभियान, सिक्योर सॉफ्टवेयर, नरेगा के नवीन निर्देशों, प्रधानमंत्री आवास योजना के अपूर्ण आवासों की पूर्णता, मध्यान्ह भोजन का वितरण, गर्भ-धारण पूर्व, प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम एवं नियम से संबंधित संदेशों का वाचन भी किया जाएगा।

ग्राम सभा स्तर पर जैव-विविधता प्रबंधन समितियों का गठन करने का संकल्प, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर कृमि संक्रमण की रोकथाम, आयुष्मान भारत 'निरामयम' योजना, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में ग्राम पंचायत में गठित समूहों की गतिविधियों तथा समूह सदस्यों की सफलता और प्रगति तथा 'मुख्यमंत्री मदद योजना' के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रत्येक ग्राम के आदिवासी मुखिया के नाम की प्रविष्टि विभागीय पोर्टल पर की जाएगी।

ग्राम पंचायत-विकास योजना में सक्रिय भागीदारी निभाएँ ग्रामीण

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि गांधी जयंती 2 अक्टूबर से सभी ग्राम-पंचायतों के लिए बनाई जा रही 'ग्राम पंचायत-विकास योजना' में ग्रामीण सक्रिय भागीदारी निभाएँ। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों से चर्चा कर ग्राम की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर योजना तैयार की जाएगी। ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद ही योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा।

मंत्री श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में वर्ष 2020-21 तक के लिये 'ग्राम पंचायत-विकास योजना' बनाई जायेगी। 'सबकी योजना-सबका विकास' की तर्ज पर योजना बनाने के लिए 2 अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक प्रदेश में जन-अभियान चलाया जाएगा। अभियान के अंतर्गत पंचायतों में 29 विषयों से संबंधित विभाग भागीदारी करेंगे।

प्रदेश की सभी 22 हजार 812 ग्राम पंचायतों में 2 अक्टूबर को ग्राम-सभाओं से अभियान शुरू होगा। ग्राम सभाएँ दो चरणों में होंगी। पंचायतों में 29 विभागों के मैदानी अधिकारी-कर्मचारी सर्वे कर ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करेंगे। ग्रामसभाओं द्वारा बनाई गई योजना के अनुमोदन के बाद इसे भारत सरकार के विभागीय पोर्टल पर अपलोड कराना होगा। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि अभियान की सतत् मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर को नोडल अधिकारी नामांकित किया गया है। राज्य स्तर पर विभागीय समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर रैण्डम आधार पर अभियान की मॉनिटरिंग की जाएगी।

महात्मा के जीवन जीने के दस उपदेश

● प्रवीण पाण्डेय
लेखक एवं स्तंभकार

यूं तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हम सभी के प्रेरणादायक हैं। उनके बताए हुए रास्तों का अनुसरण कर व्यक्ति सफलता की चोटी पर पहुंच सकता है और एक सुखद और सहज जीवन जी सकता है। उन्होंने अपनी किताब में भी उनके बताए 10 आदेशों का उल्लेख किया है जिसमें उन्होंने यह भी कहा कि जो भी इन आदेशों का अनुसरण जीवन में अच्छे से करेगा वो अवश्य ही जीवन को अच्छे ढंग से और बिना किसी मानसिक परेशानियों के जी सकेगा। इनमें शामिल है स्वस्थ रहो, स्वच्छ रहो, श्रम करो, अनुशासन में रहो, स्वावलंबी बनो, सादगी से रहो, निडर बनो, बहादुर बनो, सच बोलो, अंहिसा का पालन करो, नेकी करो और भलाई करो। पढ़िए बापू के 10 आदेश- जो उन्होंने लोगों के लिए लिखे खासतौर पर युवा पीढ़ी के लिए दिये थे।

स्वस्थ रहो

यह बापू का पहला आदेश था। बापू स्वास्थ्य की जीवंत प्रतिमा थे। बापू का मानना था कि ईश्वर की सबसे बड़ी देन है स्वस्थ शरीर। यदि हमने अपनी लापरवाही से अपना स्वास्थ्य बिगाड़ लिया है तो हम जीवन के बहुत बड़े वरदान से वंचित रह जाएंगे। उनका मानना था कि अपने शरीर को चुस्त-दुरुस्त रखो। क्योंकि आपको उससे काम लेना है, बेहतर है उसकी हिफाजत करो।

स्वच्छ रहो

बापू का दूसरा आदेश था स्वच्छ रहो। कई वर्ष पहले बापू ने स्वच्छता का बिगुल पूरे देश में छेड़ा था। उनका सपना था कि देश स्वच्छ हो तभी स्वस्थ रहेगा। क्योंकि सफाई का स्वास्थ्य से गहरा संबंध है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले गांवों और शहरों को साफ-सुथरा रहने के लिए पहल शुरू की थी। क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि जो तन को साफ रखेगा वह मन को भी साफ रखने की सोचेगा। स्वच्छता ही मनुष्य को पवित्रता की ओर ले जाती है।

श्रम करो

बापू का तीसरा आदेश था श्रम। वो स्वयं भी बहुत परिश्रमी थे, इसलिए सबसे ज्यादा विश्वास श्रम पर रखते और युवाओं को मेहनत करने के लिए हमेशा प्रेरित करते। उनका ऐसा मानना था कि स्वस्थ रहने के लिए जिस तरह से स्वच्छता जरूरी है उसी तरह से श्रम भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि अच्छी नींद तभी आएगी जब आपका शरीर अच्छा श्रम करेगा। उससे आपका शरीर लचीला बना रहेगा साथ ही आलस आपसे दूर ही रहेगा। श्रम स्वास्थ्य की दृष्टि से ही नहीं बल्कि नैतिकता की दृष्टि से भी जरूरी है।

अनुशासन से रहो

बापू का चौथा आदेश था अनुशासन। बापू का सबसे बड़ा हथियार था अनुशासन। उनका मानना था कि जीवन को ऊपर उठाने के लिए जीवन में अनुशासन बहुत ज्यादा आवश्यक है। अनुशासन का मतलब है अपने ऊपर कुछ पांबदी रखना। नियम को न तोड़ना अनुशासन है। बापू अनुशासनहीनता के कट्टर विरोधी थे। लापरवाही, गैर जिम्मेदारी के वे सख्त खिलाफ थे। एक बार थोड़े से लोगों ने अनुशासन तोड़ा, तो उन्होंने सत्याग्रह को ही बंद कर दिया था।

स्वावलंबी बनो

महात्मा का पांचवां आदेश था स्वावलंबी बनो। वो ऐसा मानते थे कि हर व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और किसी के सामने हाथ फैलाने के बजाय मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। यह कहां का न्याय है कि कोई हमारे लिए मेहनत करे और हम बैठकर देखते रहें। हमारी आवश्यकताएं हम खुद पूरी करें। बापू कहते थे- स्वाभिमान की जिंदगी भी वही जी सकता है, तो

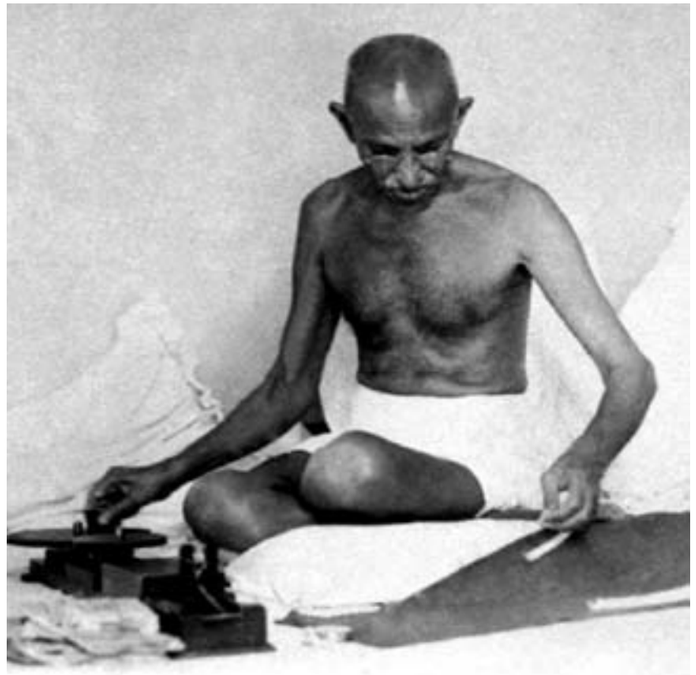

बापू स्वास्थ्य की जीवंत प्रतिमा थे। बापू का मानना था कि ईश्वर की सबसे बड़ी देन है स्वस्थ शरीर। यदि हमने अपनी लापरवाही से अपना स्वास्थ्य बिगाड़ लिया है तो हम जीवन के बहुत बड़े वरदान से वंचित रह जाएंगे। उनका मानना था कि अपने शरीर को चुस्त-दुरुस्त रखो। क्योंकि आपको उससे काम लेना है, बेहतर है उसकी हिफाजत करो। कई वर्ष पहले बापू ने स्वच्छता का बिगुल पूरे देश में छेड़ा था। उनका सपना था कि देश स्वच्छ हो तभी स्वस्थ रहेगा। क्योंकि सफाई का स्वास्थ्य से गहरा संबंध है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले गांवों और शहरों को साफ-सुथरा रहने के लिए पहल शुरू की थी। क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि जो तन को साफ रखेगा वह मन को भी साफ रखने की सोचेगा। स्वच्छता ही मनुष्य को पवित्रता की ओर ले जाती है।

अपने पैरों पर खड़ा होता है।

सादगी से रहो

बापू का छठवां आदेश था सादगी से रहो। बापू की सादगी से पूरा विश्व परिचित है। देश-विदेश के कई शहरों में घूमकर आने के बाद भी उन्होंने आपनी सादगी नहीं छोड़ी। वो हमेशा ही सादा खाना खाते, सादे कपड़े पहनते और मिट्टी की झोपड़ी में रहते थे। न उनकी कोई संपत्ति थी और न ही कोई फिजूलखर्ची। उनकी सादगी के पीछे संयम का तेज था इसलिए उसमें गौरव व प्रतिमा थी।

निडर बनो- बहादुर बनो

बापू का सातवां आदेश था निडर बनो-बहादुर बनो। वो ऐसा मानते थे कि डर ही मनुष्य को सबसे पहले पराजय कराता है और कमजोर बनाता है। यदि इन दोनों पर विजय प्राप्त करना है तो आपको निडर और बहादुर बनना होगा। क्योंकि इन दोनों को पछाड़ कर ही मुश्किलों और मुसीबतों का बहादुरी से सामना किया जा सकता है। बापू डरना पाप समझते थे और किसी गलत बात पर कभी झुकते नहीं थे।

सच बोलो

बापू का आठवां आदेश था सच बोलो। वो ऐसा मानते थे कि यदि किसी मनुष्य ने इस एक आदेश को अपने जीवन में उतार लिया तो कई गुण खुद ब खुद सध जाएंगे। क्योंकि झूठ ही एकमात्र ऐसा दोष है जिसे जीवन में अपनाकर आदमी अपने करीबियों और अन्य परिचितों के बीच खुद का विश्वास खो देता है। जो सच बोलने में समर्थ है उसकी कथनी और करनी में अंतर न होगा। इसलिए सच बोलो और मन, वचन, कर्म से सत्य का पालन करो।

अहिंसा का पालन करो

महात्मा का नौवां आदेश था अंहिसा का पालन करो। उनका ऐसा मानना था कि जैसे हिंसा पशुओं का स्वभाव है। वैसे अंहिसा मनुष्य का धर्म। इस बात से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए कि अंहिसा आपकी कायरता का परिचायक बनेगी। जबकि जीवन में अंहिसा से आशय है विनम्र, सहिष्णु और सहनशील बनना। बापू खुद अंहिसा के उपासक थे। उन्होंने हमेशा से ही सत्य और अंहिसा का मार्ग अपनाया।

नेकी करो-भलाई करो

बापू का अंतिम और दसवां आदेश था नेकी करो-भलाई करो। वो ऐसा मानते थे कि मनुष्य को कभी भी अपने जीवन में डूबे नहीं रहना चाहिए। बल्कि अपने आसपास घटित हो रही घटनाओं से प्रभावित होने वाले लोगों की मदद करना चाहिए। उनके लिए पवित्रता का अर्थ - मनुष्यों की सेवा करना था। वह दूसरों का कष्ट देखकर दुखी हो उठते थे। पीड़ितों के लिए उनकी हमेशा ही सहज सहानुभूति रहती थी।

रचनात्मक कार्यक्रम

आदर्श समाज की कल्पना और निर्माण की प्रक्रिया

● रश्मि रंजन
लेखक एवं स्तंभकार

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का रचनात्मक कार्यक्रम आदर्श-समाज निर्माण का साधन भी है और साध्य भी। इसका उद्देश्य समाज परिवर्तन के द्वारा एक नए समाज की रचना करना है, गांधीजी के रचनात्मक कार्यों का उद्देश्य कभी भी आंदोलन करना नहीं रहा है। इस संबंध में स्वयं गांधीजी कहते हैं कि, लड़ाई के द्वारा देश जीता जा सकता है, किन्तु उसे समृद्ध तो रचनात्मक कार्य के द्वारा ही किया जा सकता है। गांधीजी भारत की शाश्वत और चिरन्तन आत्मा के प्रतीक थे। उन्होंने 1941 में अपनी पुस्तक 'रचनात्मक कार्यक्रम - उसका रहस्य और स्थान' द्वारा भारत तथा पूरी मानवता के लिये एक क्रान्तिकारी मसौदा तैयार किया था। इस कार्यक्रम के द्वारा उन्होंने एक आदर्श समाज की परिपूर्ण कल्पना तथा निर्माण की प्रक्रिया हमें दी। यही वह आधार था जो व्यक्ति के भीतर परिवर्तन द्वारा सामाजिक परिवर्तन की दिशा में हमें राह दिखाता है। इस प्रक्रिया में व्यक्तिगत तथा सामाजिक बदलाव साथ-साथ घटित होते हैं तथा एक-दूसरे के प्रतिपूरक होते हैं। 'रचनात्मक कार्यक्रम' द्वारा गांधीजी जनता को स्वाधीनता प्राप्ति के बाद के भारत-निर्माण के लिये तैयार कर रहे थे।

रचनात्मक कार्य जनता के बीच जाने का अच्छा तरीका है। इसके माध्यम से जनता के सुख-दुःख के हम सहभागी बन सकते हैं। रचनात्मक कार्यक्रम समाज परिवर्तन के लिए सामूहिक प्रयत्न और लोक शिक्षण का काम भी करता है। गांधीजी की मान्यता के मुताबिक समाज परिवर्तन हिंसक जन आंदोलन के द्वारा कभी-भी नहीं किया जा सकता है और न ही इसके जरिए टिकाऊ समाज में परिवर्तन ही हो सकता है। रचनात्मक कार्यक्रम समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का बेहतर तरीका है। इस कार्यक्रम के द्वारा समाज को सिर्फ जगाने की जरूरत है। यदि समाज, रचनात्मक कार्यक्रम के उद्देश्य और फायदों के बारे में जानेगा तो अवश्य समाज में सम्पूर्ण क्रांति एवं समाज परिवर्तन की लहर फैलने लगेगी। प्रस्तुत है गांधीजी द्वारा समाज को दिये गये 18 प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रम।

सच्चे मायनों में दिली दोस्ती है कौमी एकता

कौमी या साम्प्रदायिक एकता की जरूरत को हर कोई मंजूर करता है। एकता का मतलब सिर्फ राजनीतिक एकता नहीं है। राजनीतिक एकता तो जोर-जबरदस्ती से भी लादी जा सकती है। मगर एकता के जो सच्चे मायने हैं वह दिली दोस्ती है, जो किसी के तोड़े नहीं टूटती। इस तरह की एकता पैदा करने के लिये सबसे पहली जरूरत इस बात की है कि समाज के लोग, फिर वे किसी भी धर्म के मानने वाले हों, अपने को हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी वगैरा सभी कौमों के नुमाइन्दा समझें। हिन्दुस्तान के करोड़ों बाशिन्दों में से हर एक के साथ वे अपनेपन का, आत्मीयता का अनुभव करें, यानि वे उनके सुख-दुख में अपने को उनका साथी समझें। इस तरह की आत्मीयता को सिद्ध करने के लिये हर एक व्यक्ति को चाहिये कि वह अपने धर्म से भिन्न धर्म का पालन करने वाले लोगों के साथ निजी दोस्ती कायम करे और अपने धर्म के लिये उसके मन में जैसा प्रेम हो, ठीक वैसा ही प्रेम वह दूसरे धर्म से भी करे।

अस्पृश्यता-निवारण के लिये लड़ाई का जोश नहीं, अहिंसा चाहिये

समाज से अस्पृश्यता रूपी कलंक को धो डालने की आवश्यकता के बारे में विस्तार से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इस दिशा में समाज ने बहुत कुछ किया है, लेकिन अभी भी अस्पृश्यता से जुड़ी घटनाएं सामने आ ही जाती हैं।

लोगों के पास लड़ाई का जोश लेकर नहीं, बल्कि अहिंसा को शोभा देने वाली मित्रता की भावना के साथ पहुंचना चाहिये। हरिजनों के मामले में तो हर एक व्यक्ति को यह समझना चाहिये कि हरिजनों का काम उनका अपना काम है और उसमें उनकी मदद करनी चाहिये और जिस अकुलाने वाली व भयानक अलहदगी में उन्हें रहना पड़ता है, उसमें उनके साथ शामिल होना चाहिये।

शराबबन्दी से प्राप्त हो सकता है अहिंसक पुरुषार्थ

अगर हमें अपना ध्येय अहिंसक पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त करना है तो अफीम, बीड़ी-सिगरेट और शराब जैसी नशीली वस्तुओं से दूरी बनानी पड़ेगी। इस बुराई को मिटाने के काम में डॉक्टर सबसे कारगर मदद पहुंचा सकते हैं। नशे में फंसे लोगों को इन व्यसनों से छुड़ाने के उपाय ढूंढ़ निकालने होंगे और उनको आजमाना होगा। स्त्रियों और विद्यार्थियों के लिए सुधार के इस काम को आगे बढ़ाने का यह एक खास मौका है। प्रेमपूर्वक की गई सेवा के कई छोटे-मोटे कामों के जरिये ये लोग व्यसनियों के दिल पर इतना अधिकार जमा लेंगे कि बुरी आदतों को छोड़ने के लिए इन सेवकों द्वारा की गई प्रार्थना उन्हें सुननी ही पड़ेगी। रचनात्मक काम करने वाले कानूनी तौर पर शराबबन्दी के काम का रास्ता तैयार न कर सकें, तो भी वे उसे आसान तो कर ही सकते हैं और उसकी कामयाबी के लिए जमीन भी तैयार करके रख सकते हैं।

हिन्दुस्तान की आजादी की पोशाक है खादी

खादी वृत्ति का अर्थ है, जीवन के लिए जरूरी चीजों की उत्पत्ति और उनके बंटवारे का विकेन्द्रीकरण। खादी का एक मतलब यह भी है कि हममें से हर एक को संपूर्ण स्वदेशी की भावना बढ़ानी और टिकानी चाहिये, हमें इस बात का दृढ़ संकल्प करना चाहिये कि हम अपने जीवन की सभी जरूरतों को हिन्दुस्तान की बनी चीजों से और उनमें भी हमारे गांव में रहने वाली आम जनता की मेहनत और अक्ल से बनी चीजों के जरिये पूरा करेंगे। हमारे देश के लाखों गांव स्वावलंबी और स्वयं पूर्ण बनें और अपनी राजी-खुशी से हिन्दुस्तान के शहरों और बाहर की दुनिया के लिए इस तरह उपयोगी बनें कि दोनों पक्षों को फायदा पहुंचे। हर एक गांव को अपनी जरूरत की सब चीजें खुद पैदा कर लेनी चाहिये और शहरों की जरूरतें पूरी करने के लिए कुछ अधिक उत्पत्ति करनी चाहिये। गांधीजी ने कहा था कि मेरे विचार में खादी हिन्दुस्तान की समस्त जनता की एकता की, उसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता की प्रतीक है और इसलिए जवाहरलाल के शब्दों में कहूं तो वह हिन्दुस्तान की आजादी की पोशाक है।

खादी के उत्पादन में शामिल हैं ये काम

कपास बोना, कपास चुनना, उसे झाड़-झटक कर साफ करना और ओटना, रुई तैयार करना, पूनी बनाना, सूत कातना, सूत को मांड़ लगाना, सूत रंगना, उसका ताना भरना और बाना तैयार करना, सूत बुनना और कपड़ा धोना। इनमें से रंग साजी को छोड़कर बाकी के सारे काम खादी के सिलसिले में जरूरी और महत्व के हैं और उन्हें किये बिना काम नहीं चल सकता। इनमें से हर एक काम गांवों में अच्छी तरह हो सकता है।

दूसरे ग्रामोद्योग के बिना संपूर्ण नहीं हो सकती गांवों की आर्थिक रचना

खादी के मुकाबले देहात में चलने वाले और देहात के लिए जरूरी अन्य दूसरे उद्योग-धन्धे हैं जैसे हाथ से पीसना, कूटना और कछोरना, साबुन बनाना, कागज बनाना, चमड़ा तैयार करना और तेल पेरना आदि। सामाजिक जीवन के लिए जरूरी और महत्व के दूसरे धन्धों के बिना गांवों की आर्थिक रचना संपूर्ण नहीं हो सकती, यानि गांव स्वयंपूर्ण घटक नहीं बन सकते। हर एक आदमी को, हर हिन्दुस्तानी को इसे अपना धर्म समझना चाहिये कि जब-जब और जहां-जहां मिले, वहां वह हमेशा गांवों की बनी चीजें ही ले। अगर ऐसी चीजों की मांग पैदा हो जाये, तो इसमें जरा भी शक नहीं कि हमारी ज्यादातर जरूरतें गांवों से पूरी हो सकती हैं। जब हम गांवों के लिए सहानुभूति से सोचने लगेंगे और गांवों की बनी चीजें हमें पसंद आने लगेंगी, तो पश्चिम की नकल के रूप में यंत्रों की बनी चीजें हमें नहीं जंचेंगी, और हम ऐसी राष्ट्रीय अभिरुचि का विकास करेंगे, जो गरीबी, भुखमरी और आलस्य या बेकारी से मुक्त नये हिन्दुस्तान के आदर्श के साथ मेल खाती होगी।

गांधीजी ने दिये 18 प्रकार के रचनात्मक कार्य

1. कौमी एकता (साम्प्रदायिक एकता)
2. अस्पृश्यता निवारण
3. शराबबन्दी (नशाबन्दी)
4. खादी
5. दूसरे ग्रामोद्योग
6. गांवों की सफाई
7. नई या बुनियादी तालीम
8. बड़ों की तालीम (प्रौढ़ शिक्षा)
9. स्त्रियां (महिलाओं का उत्थान)
10. आरोग्य के नियमों की शिक्षा (स्वास्थ्य एवं सफाई की शिक्षा)
11. प्रांतीय भाषाएं (प्रादेशिक भाषाएं)
12. राष्ट्र भाषा
13. आर्थिक समानता
14. किसान
15. मजदूर
16. आदिवासी
17. कोढ़ी (कुष्ठ रोगी)
18. विद्यार्थी

गांवों की सफाई को समझिये अपना कर्तव्य

श्रम और बुद्धि के बीच जो अलगाव हो गया है, उसके कारण हम अपने गांवों के प्रति इतने लापरवाह हो गये हैं कि वह एक गुनाह ही माना जा सकता है। नतीजा यह हुआ है कि देश में जगह-जगह सुहावने और मनभाव के छोटे-छोटे गांवों के बदले हमें घूरे जैसे गांव देखने को मिलते हैं। या यों कहिये कि गांव के बाहर और आसपास इतनी गंदगी होती है और इतनी बदबू आती है कि अक्सर गांव में जाने वालों को आंख मूंदकर और नाक दबाकर जाना पड़ता है। ऐसे में हमारा फर्ज हो जाता है कि हम अपने गांवों को सब तरह से सफाई के उपाय बतायें। हमें अपना कर्तव्य मानकर गांव की सफाई में जुटना चाहिये हम जिस नदी, तालाब या कुएं के किनारे धार्मिक या अन्य क्रियाएं करते हैं, उन जलाशयों को पवित्र स्थान के तौर पर देखना होगा। उनके पानी को गन्दा होने से हमें बचाना होगा अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इसका नतीजा यह होगा कि हमारे गांवों की और हमारी पवित्र नदियों की दुर्दशा हो जाएगी और गन्दगी से पैदा होने वाली बीमारियां हमें भोगनी पड़ेंगी।

बच्चों के मन और शरीर दोनों का विकास करती है बुनियादी तालीम

इस तालीम की मंशा यह है कि गांव के बच्चों को सुधार-संवार कर उन्हें गांव का आदर्श बाशिन्दा बनाया जाये। इसकी योजना खासकर उन्हीं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इस योजना की असल प्रेरणा भी गांवों से ही मिली है। बुनियादी तालीम हिन्दुस्तान के तमाम बच्चों को, फिर वे गांवों के रहने वाले हों या शहरों के, हिन्दुस्तान के सभी श्रेष्ठ और स्थायी तत्वों के साथ जोड़ देती है। यह तालीम बच्चे के मन और शरीर दोनों का विकास करती है, बच्चे को अपने वतन के साथ जोड़ रखती है, उसे अपने और देश के भविष्य का गौरवपूर्ण चित्र दिखाती है, और उस चित्र में देखे हुए भविष्य के हिन्दुस्तान का निर्माण करने में बालक या बालिका अपने स्कूल जाने के दिन से ही हाथ बंटाने लगे इसका इन्तजाम करती है।

ग्रामीण विकास के लिये जरूरी है बड़ों की तालीम

गांधीजी ने लिखा है कि अगर बड़ी उम्र के स्त्री-पुरुषों को तालीम देने या पढ़ाने का काम मेरे जिम्मे हो, तो मैं अपने विद्यार्थियों को अपने देश के विस्तार और उसकी महत्ता का बोध कराकर उनकी पढ़ाई शुरू करूं। हमारे देहातियों के खयाल में उनका गांव ही उनका

समूचा देश होता है। जब वे किसी दूसरे गांव को जाते हैं तो इस तरह बात करते हैं, मानो उनका अपना गांव ही उनका समूचा देश या वतन हो। हमारे देहाती भाई और बहन आज भी देश में होने वाली कई घटनाओं से अनभिज्ञ रहते हैं, इधर-उधर से जो थोड़ी बातें वे जान पाते हैं उनकी वजह से अपना ज्ञान बढ़ाते रहते हैं। इसलिए आज भी हमें उन्हें शिक्षित बनाने व तालीम देने की जरूरत है। बड़ी उम्र के लोगों को जुबानी तौर पर यानि सीधी बातचीत के जरिये सच्ची तालीम दी जाये। यह तालीम किस सिलसिले से और किस तरह दी जाये, इसका एक नक्शा या खाका पहले से ही तैयार होना चाहिये। जुबानी तालीम के साथ ही साथ लिखने-पढ़ने की तालीम भी चलेगी, इसके लिए खास लियाकत की जरूरत है।

पुरुष की सच्ची सहायक है स्त्री

नारी सशक्तिकरण के बिना मानवता का विकास अधूरा है। स्त्री-जाति की सेवा के काम को गांधीजी ने रचनात्मक कार्यक्रम में जगह दी है। गांधीजी लिखते हैं कि सेवा के धार्मिक काम में स्त्री ही पुरुष की सच्ची सहायक और साथिन है। जिस रूढ़ि और कानून के बनाने में स्त्री का कोई हाथ नहीं था और जिसके लिए सिर्फ पुरुष ही जिम्मेदार हैं, उस कानून और रूढ़ि के जुल्मों ने स्त्री को लगातार कुचला है। जीवन की योजना में जितना और जैसा अधिकार पुरुष को अपने भविष्य को रचने का है उतना और वैसा ही अधिकार स्त्री को भी अपना भविष्य तय करने का है। समाज के लोगों का यह फर्ज है कि वे स्त्रियों को उनकी मौलिक स्थिति का पूरा बोध करायें और उन्हें इस तरह की तालीम दें, जिससे वे जीवन में पुरुष के साथ बराबरी के दर्जे से हाथ बंटाने लायक बनें। नारी सशक्तिकरण के बिना मानवता का विकास अधूरा है। आज के दौर में चाहे खेल हो या अंतरिक्ष विज्ञान, हमारे देश की महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। वे कदम से कदम मिला कर आगे बढ़ रही हैं और अपनी उपलब्धियों

अपने शरीर की हिफाजत करना और तन्दुरुस्ती के नियमों को जानना एक अलग ही विषय है, जिसका सम्बन्ध अभ्यास से और अभ्यास द्वारा प्राप्त ज्ञान के आचरण से है। जो समाज सुव्यवस्थित है, उसमें रहने वाले सभी लोग, नागरिक; तन्दुरुस्ती के नियमों को जानते हैं और उन पर अमल करते हैं। बेशक, हमारे देश की दूसरे देशों से बढ़ी-चढ़ी मृत्यु संख्या का ज्यादातर कारण गरीबी है, जो हमारे देशवासियों के शरीर को कुरेदकर खा रही है; लेकिन अगर उनको तन्दुरुस्ती के नियमों की ठीक-ठीक तालीम दी जाये, तो इसमें बहुत कमी की जा सकती है।

से देश का नाम रोशन कर रही हैं। ऐसे में हमें समाज में ही नहीं, बल्कि परिवार के भीतर भी महिलाओं और पुरुषों के बीच भेदभाव को रोकना होगा।

आसानी से सीखे जा सकते हैं आरोग्य शास्त्र के नियम

अपने शरीर की हिफाजत करना और तन्दुरुस्ती के नियमों को जानना एक अलग ही विषय है, जिसका सम्बन्ध अभ्यास से और अभ्यास द्वारा प्राप्त ज्ञान के आचरण से है। जो समाज सुव्यवस्थित है, उसमें रहने वाले सभी लोग, तन्दुरुस्ती के नियमों को जानते हैं और उन पर अमल करते हैं। बेशक, हमारे देश की दूसरे देशों से बढ़ी-चढ़ी मृत्यु संख्या का ज्यादातर कारण गरीबी है, जो हमारे देशवासियों के शरीर को कुरेदकर खा रही है, लेकिन अगर उनको तन्दुरुस्ती के नियमों की ठीक-ठीक तालीम दी जाये, तो इसमें बहुत कमी की जा सकती है। मनुष्य-जाति के लिए साधारणतः स्वास्थ्य का पहला नियम यह है कि शरीर चंगा है तो मन भी चंगा है। निरोग शरीर में निर्विकार मन का वास होता है, यह एक स्वयंसिद्ध सच्चाई है। तन्दुरुस्ती के कायदे और आरोग्य शास्त्र के नियम बिलकुल सरल और सादे हैं और वे आसानी से सीखे जा सकते हैं।

गांधीजी द्वारा बताये गये आरोग्य शास्त्र के कुछ नियम

- हमेशा शुद्ध विचार करो और तमाम गन्दे व निकम्मे विचारों को मन से निकाल दो।
- दिन-रात ताजी-से-ताजी हवा का सेवन करो।
- तनकर खड़े रहो, तनकर बैठो और अपने हर काम में सा फ-सुथरे रहो, और इन सब आदतों को अपनी आन्तरिक स्वस्थता का प्रतिबिम्ब बनने दो।
- खाना इसलिए खाओ कि अपने-जैसे अपने मानव-बंधुओं की सेवा के लिए ही जिया जा सके। भोग भोगने के लिए जीने और खाने का विचार छोड़ दो। अतएव उतना ही खाओ जितने से आपका मन और आपका शरीर अच्छी हालत में रहे और ठीक से काम कर सके। आदमी जैसा खाना खाता है, वैसा ही बन जाता है। आप जो पानी पियें, जो खाना खायें और जिस हवा में सांस लें, वे सब बिलकुल साफ होने चाहिये। आप सिर्फ अपनी निज की सफाई से सन्तोष न मानें, बल्कि हवा, पानी और खुराक की जितनी सफाई आप अपने लिए रखें, उतनी ही सफाई का शौक आप अपने आसपास के वातावरण में भी फैलायें।

देश के हर हिस्से में मौजूद है प्रान्तीय भाषाओं की मिठास

भारत सांस्कृतिक विविधता के साथ ही साथ भाषाई विविधता वाला देश है। कोस-कोस पर बदले पानी चार कोस पर बदले वाणी की कहावत इसी परिप्रेक्ष्य में प्रचलित रही है। हमारे लिए जितनी महत्वपूर्ण हिंदी है उतनी ही तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी, डोगरी, बोडो, मलयालम, बंगला, असमिया, मराठी और कश्मीरी है। आज हमने अपनी मातृभाषाओं के मुकाबले अंग्रेजी से ज्यादा मुहब्बत कर रखी है, जिसका नतीजा यह हुआ कि पढ़े-लिखे और राजनीतिक दृष्टि से जागे हुए

ऊंचे तबके के लोगों के साथ आम लोगों का रिश्ता बिलकुल टूट गया और उन दोनों के बीच एक गहरी खाई बन गई। भारतीय भाषाओं की मिठास, नवीनता और सृजनात्मकता की अपनी पवित्रता से वंचित होती जा रही है। भारतीय भाषाओं का अंतर्संबंध बढ़ने और गहरे होने के स्थान पर दुरुह होते जा रहे हैं। इस पर दृष्टि डालने की आवश्यकता है।

भारत के आम जनमानस की भाषा है हिन्दी

गांधीजी लिखते हैं कि समूचे हिन्दुस्तान के साथ व्यवहार करने के लिए हमको भारतीय भाषाओं में से एक ऐसी भाषा की जरूरत है, जिसे आज ज्यादा-से-ज्यादा तादाद में लोग जानते और समझते हों और बाकी के लोग जिसे झट सीख सकें। इसमें शक नहीं कि हिन्दी ही ऐसी भाषा है। उत्तर के लोग इस भाषा को बोलते और समझते हैं। यही भाषा जब उर्दू लिपि में लिखी जाती है तो उर्दू कहलाती है। हिन्दुस्तान की आम जनता की राजनीतिक शिक्षा के लिए हिन्दुस्तान की भाषाओं के महत्त्व को पहचानने और मानने की एक खास कोशिश सन् 1920 में शुरू की गई थी। इसी हेतु से इस बात का खास प्रयत्न किया गया था कि सारे हिन्दुस्तान के लिए एक ऐसी भाषा को जान और मान लिया जाये, जिसे राजनीतिक दृष्टि से जागा हुआ हिन्दुस्तान आसानी से बोल सके और अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आम जलसों में इकट्ठे होने वाले हिन्दुस्तान के अलग-अलग प्रान्तों से आये हुए लोग समझ सकें। इस राष्ट्रभाषा को हमें इस तरह सीखना चाहिये, जिससे हम सब इसकी दोनों शैलियों को समझ और बोल सकें और इसे दोनों लिपियों में लिख सकें। लेकिन अंग्रेजी भाषा ने हम पर जो मोहिनी डाली है, उसके असर से हम अभी तक छूटे नहीं हैं।

पूंजी और मजदूरी के बीच के झगड़े को मिटाती है आर्थिक समानता

आर्थिक समानता के लिए काम करने का मतलब है, पूंजी और मजदूरी

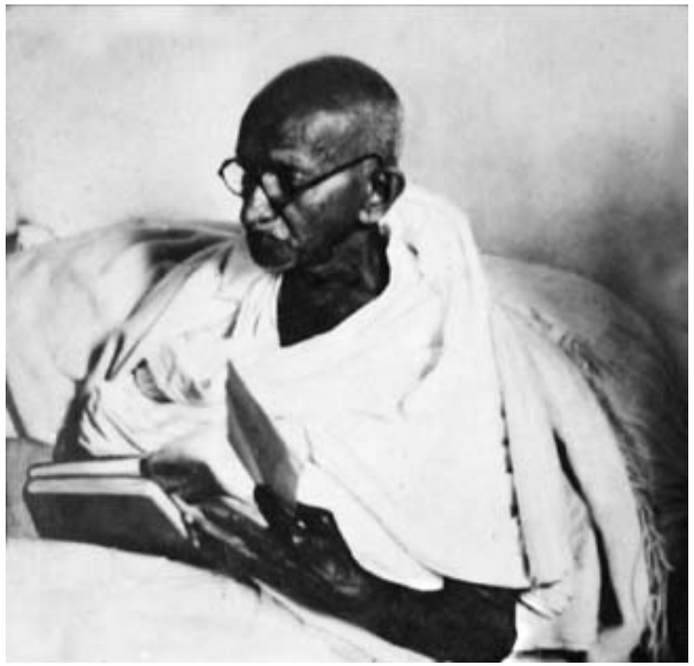

के बीच के झगड़ों को हमेशा के लिए मिटा देना। इसका अर्थ यह होता है कि एक ओर से जिन मुट्ठीभर पैसे वाले लोगों के हाथ में राष्ट्र की संपत्ति का बड़ा भाग इकट्ठा हो गया है उनकी संपत्ति को कम करना और दूसरी ओर से जो करोड़ों लोग अधपेट खाते और नंगे रहते हैं उनकी संपत्ति में वृद्धि करना। जब तक मुट्ठीभर धनवानों और करोड़ों भूखे रहने वालों के बीच बेइन्तहा अन्तर बना रहेगा, तब तक अहिंसा की बुनियाद पर चलने वाली राज-व्यवस्था कायम नहीं हो सकती यह बात महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक में लिखी है। आज के दौर में भी अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ रही है, अगर हमें अपने प्रदेश और देश को आगे बढ़ाना है तो इस खाई को मिटाना पड़ेगा।

किसानों की उन्नति से ही संभव है देश की उन्नति

भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि और किसान है। किसानों की उन्नति से ही देश की उन्नति संभव है। किसान पूरे देश का अन्नदाता है। याद रखना चाहिए कि जब एक जवान मरता है, तो देश की सीमाएं कमज़ोर होती हैं लेकिन जब एक किसान मरता है तो देश की धरती कमज़ोर हो जाती है।

गांधीजी ने कहा है कि जब किसानों को अपनी अहिंसक ताकत का ख्याल हो जायेगा, तो दुनिया की कोई हुकूमत उनके सामने टिक नहीं सकेगी। जो किसानों या खेतिहरों को संगठित करने का मेरा तरीका जानना चाहते हैं, उन्हें चम्पारन के सत्याग्रह की लड़ाई का अध्ययन करने से लाभ होगा।

हिन्दुस्तान में सत्याग्रह का पहला प्रयोग चम्पारन में हुआ था। उसका नतीजा कितना अच्छा निकला, यह सारा हिन्दुस्तान भली-भांति जानता है। मेरी यह राय है कि एक ऐसा विभाग खोलना चाहिये, जो मजदूरों की

तरह किसानों या खेतिहरों के भी सवालों को हल करने का काम करे।

किसी भी उद्योग की रीढ़ की हड्डी हैं मजदूर

दुनिया में कितना भी मशीनीकरण हुआ हो, लेकिन मानव श्रम की महत्ता कभी भी कम नहीं हुई। कितने भी स्वचलित यंत्र और मशीनें बन गई हों, लेकिन उन्हें चलाने या उनके नियमन के लिए मानव की अनिवार्यता आज तक खत्म नहीं हुई है। मजदूर हमारे समाज का वह तबका है जिस पर समस्त आर्थिक उन्नति टिकी होती है। गांधीजी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि अहमदाबाद के मजदूर संघ का नमूना समूचे हिन्दुस्तान के लिए अनुकरणीय है। वह शुद्ध अहिंसा की बुनियाद पर खड़ा किया गया है। बिना किसी तरह का शोरगुल, धांधली या दिखावा किये ही उसकी ताकत बराबर बढ़ती गई है। उसका अपना अस्पताल है, पढ़ाने के क्लास हैं, छापाखाना और खादी-भंडार हैं और मजदूरों के रहने के लिए उसने घर भी बनवाये हैं। यहां के मजदूरों और मालिकों ने अपने आपसी झगड़े मिटाने के लिए ज्यादातर अपनी राजी-खुशी से पंच की नीति को स्वीकार किया है। मेरा बस चले तो मैं हिन्दुस्तान की तमाम मजदूर-संस्थाओं का संचालन अहमदाबाद के मजदूर-संघ की नीति पर करूं।

आदिवासियों के महत्त्व को न समझें कम

आदिवासियों की सेवा भी रचनात्मक कार्यक्रम का एक अंग है, कोई उनके महत्त्व को कम न समझे। समूचे हिन्दुस्तान में इन आदिवासियों की आबादी काफी है। हमारा देश इतना विशाल है और उसमें बसने वाली जातियां इतनी ज्यादा और विविध हैं कि अपने देश के सभी निवासियों के और उनकी दशा के बारे में हममें से अच्छे-से-अच्छे लोग भी जितना उन्हें जान लेना चाहिये उतना सब जान नहीं पाते। अगर हमारे राष्ट्र में रहने वाली हर एक इकाई को इस बात का सजग भान न हो कि बाकी के दूसरे सब घटकों या इकाइयों के सुख-दुख उसके अपने सुख-दुख हैं और हम सब एक हैं, तो अपने देश की विशालता और विविधता की यह बात ज्यों-ज्यों हमारी समझ में आती जाती है त्यों-त्यों अपनी एक राष्ट्रीयता के दावे को साबित करने का काम कितना कठिन है इसका खयाल हमें होता जाता है।

जिन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत उनकी उपेक्षा करना ठीक नहीं

कोढ़ी एक शब्द है जिसे लोग घृणा के नजरिये से देखते हैं। कोढ़ी भी हमारे समाज के अंग हैं। जिन कोढ़ियों को सार-संभाल की सबसे ज्यादा जरूरत है, उन्हीं की हमारे यहां जान-बूझकर उपेक्षा की जाती है।

महात्मा गांधी ने लिखा है कि हिन्दुस्तान में एक भी कोढ़ी या एक भी भिखारी ऐसा नहीं होना चाहिये, जिसका नाम हमारे पास दर्ज न हो और जिसकी सार-संभाल हमने की न हो। रचनात्मक कार्यक्रम की इस सुधारी हुई आवृत्ति में हमारे रचना-कार्य की जंजीर की एक कड़ी के नाते कोढ़ी को और उसकी सेवा के काम को मैं खास तौर पर बढ़ा रहा हूं, क्योंकि आज हमारे देश में कोढ़ियों की जो दशा है, वही दशा आजकल की सुधरी हुई दुनिया में हमारी है, बशर्ते कि हम अपने आसपास ठीक से गौर करके देखें।

भविष्य की आशा हैं विद्यार्थी

रचनात्मक कार्यक्रम की चर्चा में गांधीजी ने विद्यार्थियों को बिलकुल अंत के लिए छोड़ा रखा था। उन्होंने हमेशा उनके साथ गाढ़ा सम्बन्ध रखा और बढ़ाया है। विद्यार्थी उन्हें पहचानते थे और वे उनको। विद्यार्थियों ने उनके कई काम किये। कॉलेजों से निकले हुए बहुतेरे विद्यार्थी उनके माने हुए साथी थे। गांधीजी ने कहा था कि मैं यह भी जानता हूं कि विद्यार्थी भविष्य की आशा हैं।

गांधीजी द्वारा विद्यार्थियों के लिए सुझाये गये कार्यक्रम के प्रमुख बिंदु

विद्यार्थियों को दलबन्दी वाली राजनीति में कभी शामिल नहीं होना चाहिये। विद्यार्थी विद्या के खोजी और ज्ञान की शोध करने वाले हैं, राजनीति के खिलाड़ी नहीं। उन्हें राजनीतिक हड़तालें नहीं करनी चाहिये।

सब विद्यार्थियों को सेवा की खातिर कताई सम्बन्धी सारे साहित्य का और उसमें छिपे आर्थिक, सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक सब रहस्यों का अध्ययन करना चाहिये।

अपने पहनने-ओढ़ने के लिए वे हमेशा खादी का ही उपयोग करें और गांवों में बनी चीजों के बदले परदेश की या यंत्रों की बनी चीजों को कभी न बरतें। तिरंगे झण्डे के सन्देश को अपने जीवन में उतारकर दिल में साम्प्रदायिकता या अस्पृश्यता को घुसने न दें। दूसरे धर्मों वाले विद्यार्थियों और हरिजनों को अपने भाई समझकर उनके साथ सच्ची दोस्ती कायम करें।

अपने दुखी पड़ोसियों की सहायता के लिए वे तुरन्त दौड़ जायें। आसपास के गांवों में सफाई का और भंगी का काम करें और गांवों के बड़ी उम्र वाले स्त्री-पुरुषों व बच्चों को पढ़ायें। विद्यार्थी जो भी कुछ नया सीखें, उस सबको अपनी मातृभाषा में लिख लें और जब वे हर हफ्ते अपने आसपास के गांवों में दौरा करने निकलें, तो उसे अपने साथ ले जायें और लोगों तक पहुंचायें।

लुक-छिपकर कुछ न करें

जो करें खुल्लम-खुल्ला करें। अपने हर काम में उनका व्यवहार बिलकुल शुद्ध हो। वे अपने जीवन को संयमी और निर्मल बनायें। अपने साथ पढ़ने वाली विद्यार्थिनी बहनों के प्रति अपना व्यवहार बिलकुल शुद्ध और सभ्यतापूर्ण रखें।

गांधीजी के स्वराज्य का समचर्तुभुज

● सुदर्शन सोनी
संयुक्त आयुक्त व विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मध्यप्रदेश

स्वराज्य एक पवित्र शब्द है जिसका अर्थ आत्म शासन व आत्मसंयम से है। स्वराज्य का वह अर्थ नहीं है जो इंडिपेंडेंस का है। स्वराज्य का मतलब निरंकुश आजादी या स्वच्छन्दता नहीं है। गांधीजी के स्वराज्य का मतलब है लोक सम्मति के अनुसार शासन चलाना। स्वराज्य सत्ता के दुरुपयोग होने पर लोगों के द्वारा उसका प्रतिकार करने की क्षमता प्राप्त करने के बाद आयेगा। अर्थात् जनता इतनी जागरूक हो जाये कि सत्ता पर कब्जा करने व उसका नियमन करने की क्षमता विकसित हो गई हो। स्वराज्य निर्भर करेगा हमारी आंतरिक शक्ति पर बड़ी-बड़ी कठिनाइयों से जूझने की हमारी ताकत पर। स्वराज्य का अर्थ सरकारी नियंत्रण से मुक्त होने पर लगातार प्रयास करने से ऐसा स्वराज्य किस काम का, कि हर काम के लिए लोग सरकार का मुंह ताकें। स्वराज्य तो हमारी सभ्यता की आत्मा को अक्षुण्ण रखना है।

स्वराज्य की रक्षा तभी होगी जब प्रत्येक नागरिक में देश प्रेम की भावना हो। यदि बहुसंख्यक जनता नीति भ्रष्ट हो और स्वार्थी हो तो उसकी (ऐसी) सरकार में अराजकता की स्थिति पैदा होगी। मेरे सपने के स्वराज्य में जाति व धर्म का कोई स्थान नहीं होगा। बुद्धिजीवियों व धनवानों का एकाधिकारपत्य नहीं होगा। यह स्वराज्य सबके कल्याण के लिए होगा। मेरे लिए ''हिन्द स्वराज्य'' का अर्थ हिन्दुओं का राज्य होना नहीं। सब लोगों का न्याय स्वराज्य होगा। यदि स्वराज्य हमारी सभ्यता को अधिक शुद्ध व मजबूत न बनाये वह किसी मतलब का नहीं। पूर्ण स्वराज्य जितना राजा के लिए उतना ही प्रजा के लिए, जितना हिन्दुओं

प्रकृति रूपी बापू के पांच चिकित्सक

महात्मा गांधी के जिंदगी जीने के तरीके और उनकी जीवन शैली से हम सभी लगभग परिचित हैं। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने स्वस्थ जीवन और स्वच्छ जीवन जीने के लिए प्रकृति को ही अपना चिकित्सक बनाया। यही वजह है कि इतना व्यस्त जीवन जीने के बावजूद उन्हें कभी भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। वो दिन में पांच से अधिक चीजें नहीं खाते थे। इन पांच में नमक भी शामिल था। कड़ाके की ठंड में वो हमेशा सुबह चार बजे उठते थे और आवश्यकता होने पर रात को दो बजे उठ जाते और काम शुरू कर देते। बापू का विश्वास था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसता है। पढ़िए बापू के पांच प्रकृति से जुड़े चिकित्सक -

पानी

बापू का पहला चिकित्सक है पानी। पानी में थकान को हराने की अद्भुत क्षमता है। उनका ऐसा मानना था कि ठंडे और गरम पानी से नहाना शरीर को बहुत लाभदायक होता है। ज्यादातर रोग पेट की गंदगी में इकट्ठा होते है। उसकी सफाई के लिए पानी से बढ़कर और कोई चीज नहीं। दिन में काफी मात्रा में पानी पीते रहने और गरम पानी में थोड़ा नींबू या शहद मिलाकर पीने से पेट पूरी तरह साफ रहता है।

स्वच्छ मिट्टी

बापू के दूसरे चिकित्सक का नाम है स्वच्छ मिट्टी। मिट्टी में अंदर के पुराने विकार को उखाड़ने की क्षमता होती है। वह पेट पर रोज एक घंटे तक गीली मिट्टी रखते थे, इससे कब्ज दूर होता है। इतना ही नहीं आंखों में जब भी दर्द होता तो गिली मिट्टी लगाते थे।

उपवास

तीसरा चिकित्सक है उपवास। उनका ऐसा मानना है कि व्यर्थ की चीजें खाते रहने से बहुत सी बीमारियों को हम आमद देते हैं। उपवास से शरीर की पाचन प्रणाली को आराम मिलता है। अंदरूनी सफाई को सहायता मिलती है। अच्छा तो यह हो कि हम अपने खान-पान में ही सावधान रहें। खायें तभी जब भूखे हों और खाने के लिए मेहनत जरूरी है।

व्यायाम

बापू का चौथा चिकित्सक व्यायाम है। उनका ऐसा मानना था कि व्यायाम आप ऐसा करो जिससे आपके अन्य दूसरे काम भी हो सकें। वो जब भी आश्रम में होते तो चक्की पीसते, चरखा चलाते और कपड़ा बुनते। इससे एक ओर जहां उनके काम पूरे हो रहे थे। वहीं, शरीर पूरी तरह से व्यायाम करता।

रामनाम

यह बापू के जीवन का मुख्य चिकित्सक रहा है। उनका ऐसा मानना था कि वो जब भी किसी भी प्रकार की बीमारियों से परेशान होते या फिर किसी बात को लेकर परेशानी समझते तो रामबाण इलाज उनके लिए रामनाम ही था। वो मानते थे कि आदमी केवल शरीर नहीं, उसके तन के साथ उसका मन भी है। क्योंकि तन का मन से गहरा संबंध है। यदि इनसे छुटकारा पाना चाहते हो तो हमें अपने मन को ठीक करना होगा।

● प्रस्तुति : हेमलता हुरमाड़े

के लिए उतना ही मुसलमानों, सिक्ख, ईसाईयों व अन्य धर्मों के लिए होगा, हमारा स्वराज्य किसी के लिए अधिक या कम नहीं, किसी के लिए लाभकारी या हानिकारक या कम लाभकारी नहीं होगा। यह सत्य अहिंसा पर आधारित होगा। मेरे सपनों का स्वराज्य तो गरीबी का स्वराज होगा। गरीब व्यक्तियों को भी उन सभी वस्तुओं का लाभ मिलना चाहिये जितना अमीर आदमी पाता है। जब तक यह सभी सुविधाएं उन्हें देने की पूरी व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक स्वराज्य पूर्ण नहीं होगा। पूर्ण स्वराज्य की मेरी कल्पना में किसी दूसरे राष्ट्र के व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की भावना नहीं रहेगी। इसका अर्थ विदेशी नियंत्रण से पूर्ण मुक्त व पूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता है। मेरे स्वराज के धर्म का अर्थ है हिन्दू, मुस्लिम, सिख्र, ईसाई आदि सभी धर्मों का समावेश होना। इसे स्वराज्य का समचतुर्भुज कह सकते हैं। यदि इसका एक भी कोण विषम हुआ तो उसका रूप विकृत हो जाएगा। असत्य व हिंसक उपायों के प्रयोग से सच्ची लोकसत्ता प्राप्त नहीं हो सकती। यह वैयक्तिक स्वतंत्रता को खतरे में डाल देगी। वैयक्तिक स्वतंत्रता विशुद्ध अहिंसा पर आधारित शासन में पूर्ण रूप से प्रकट हो सकती है। ऐसे स्वराज्य में भले ही लोगों को अपने अधिकारों का ज्ञान न होता कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें अपने कर्तव्यों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। सच्चे अधिकार तो वह ही हैं जो अपने कर्तव्यों का पालन करके प्राप्त किये हों। ऐसे लोग अपने अधिकारों का प्रयोग समाज सेवा के लिए ही करते हैं। स्वराज्य की शासन व्यवस्था में बीमारी व रोग कम से कम हो जाएं, कोई कंगाल न हो, मजदूरी करने वाले लोगों को कार्य मिल जाये। जुआ, शराब, दुराचार, द्वेष का कोई स्थान न हो। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि चंद अमीर रत्नजड़ित महलों में रहे व लाखों करोड़ों प्रकाश व हवा से वंचित मनहूस झोपड़ियों में। मेरे स्वराज्य में किसी के भी न्यायपूर्ण अधिकारों का अतिक्रमण नहीं हो सकता है।

दो अक्टूबर से ग्रामसभाओं के चरणबद्ध आयोजन के निर्देश जारी

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक/ /अ.मु.स./पं.ग्रा.वि.वि./2019/12133 **भोपाल, दिनांक 20.09.2019**

प्रति,

1. कलेक्टर,
   जिला - समस्त, मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत - समस्त, मध्यप्रदेश।

विषय : 02 अक्टूबर, 2019 को ग्राम सभाओं के चरणबद्ध आयोजन के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष हेतु कार्यक्रमों का निर्धारण।

वर्तमान वर्ष 2019 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष है। महात्मा गांधी जी की ग्राम स्वरोजगार, महिला स्वावलंबन, ग्राम स्वराज से ग्राम्य विकास तथा सादा जीवन उच्च विचार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के वृहद उद्देश्य की पूर्ति हेतु आज भी प्रासंगिक है। उनकी 150वीं वर्षगांठ 02 अक्टूबर, 2019 से वर्ष भर की अवधि के लिए कार्यक्रमों का निर्धारण किया जाना है। उक्त कार्यक्रम के अतिरिक्त एजेण्डा निम्नानुसार है -

(1) महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की अवधारणा पर परिचर्चा पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने ''लोगों की सरकार'' ''लोग ही सरकार'' के सिद्धांत को लागू करने के संबंध में चर्चा।
(2) महिला सशक्तिकरण हेतु महिला स्व-सहायता समूहों के निर्माण तथा आर्थिक स्वावलंबन के लिये योजना बनाने के संबंध में चर्चा।
(3) स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत ओडीएफ ग्राम की निरंतरता पर चर्चा।
(4) ग्राम में कचरे से समुचित निपटान अर्थात ''कचरे से कंचन'' की जानकारी समुदाय को दी जाना एवं कचरे के समुचित निपटान में समुदाय की भागीदारी पर चर्चा।
(5) मनरेगा योजनांतर्गत जरूरतमंद परिवारों को नवीन जॉब कार्ड का वितरण करना एवं रोजगार उपलब्ध कराने हेतु रणनीति पर चर्चा।
(6) सभी ग्राम पंचायतों में आयोजित ग्राम सभा में ग्रामीणों को जल संरक्षण हेतु शपथ दिलाई जाना।
(7) प्रत्येक ग्राम में जल संरक्षण का एक-एक कार्य प्रारंभ कराया जाना।
(8) वित्तीय वर्ष 2019-20 लेबर बजट के लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियों पर चर्चा।
(9) अपूर्ण कार्यों को पूर्ण किये जाने पर चर्चा।
(10) गौशाला निर्माण की प्रगति पर चर्चा (जिन ग्राम पंचायतों में निर्मित होना है)।
(11) नदी पुनर्जीवन की प्रगति पर चर्चा (जिन ग्राम पंचायतों में इसके कार्य प्रगतिरत हैं)।
(12) चंदेलकालीन व बुंदेलकालीन तालाबों एवं प्राचीन तालाबों के जीर्णोद्धार की प्रगति पर चर्चा।
(13) जल शक्ति अभियान (जिन विकासखण्डों में है) की प्रगति पर चर्चा एवं आगामी वर्ष में किये जाने वाले कार्यों पर चर्चा।
(14) सिक्योर सॉफ्टवेयर पर चर्चा।
(15) महात्मा गाँधी नरेगा की हितग्राही मूलक एवं सामुदायिक उपयोजनाओं के संबंध में जारी नवीन निर्देशों से अवगत कराना।
(16) प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत अपूर्ण आवासों की पूर्णता पर चर्चा।
(17) मध्यान्ह भोजन का वितरण नियमित, साप्ताहिक मेनू, गुणवत्तापूर्ण एवं निर्धारित मात्रा में प्रदाय पर चर्चा।
(18) ग्राम सभा में गर्भधारण पूर्व प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम एवं नियम से संबंधित निम्नलिखित संदेशों का

वाचन भी किया जाए-

(1) बेटी तो है जग की जननी, हमें रक्षा अब इसकी करनी।
(2) असंभव को संभव बनाओ, अपनी बेटी को आगे बढ़ाओ।
(3) हर घर में अब आवाज उठेगी, बेटियाँ भी अब आगे बढ़ेंगी।
(4) बेटी को मत समझो भार, जीवन का है ये आधार।

(19) ग्राम सभा स्तर पर जैवविविधता प्रबंधन समितियों का गठन करने का संकल्प पारित करते हुए ग्राम सभा स्तर पर जैवविविधता प्रबंधन समितियों का गठन किया जाना।

(20) वर्ष में 1 बार राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर कृमि संक्रमण की रोकथाम हेतु 1 से 19 वर्षीय बच्चों को चबाने वाली मीठी एल्बेण्डाजोल गोली की प्रदायगी के संबंध में चर्चा।

(21) आयुष्मान भारत ''निरामयम'' योजना से संबंधित लाभ की जानकारी का प्रचार-प्रसार।

(22) म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत संबंधित ग्राम पंचायत में गठित समूहों की गतिविधियों एवं समूह सदस्यों की सफलता व प्रगति के संबंध में चर्चा कर ग्रामीणों को अवगत कराया जाए।

(23) यदि ग्राम पंचायत क्षेत्र समूह गठन से परिपूर्ण है अर्थात वहां कोई इच्छुक पात्र परिवार समूह से जुड़ने के लिए छूटा नहीं है व ग्राम में नये समूह बनने की कोई संभावना नहीं है, इस आशय का अनुमोदन ग्राम सभा से करवाया जाए।

(24) ''मुख्यमंत्री मदद योजना'' के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए योजना के नियम बिंदु क्रमांक 5(4) के तहत प्रत्येक ग्राम के आदिवासी मुखिया के नाम की प्रविष्टि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा विभागीय पोर्टल पर की जाना है। अतः 89 आदिवासी विकासखण्डों के 12,358 ग्रामों में मुखिया के चयन की कार्यवाही 02 अक्टूबर, 2019 को ग्राम सभा द्वारा की जाये।

(गौरी सिंह)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्रमांक/ /अ.मु.स./पं.ग्रा.वि.वि./2019/12134 **भोपाल, दिनांक 20.09.2019**

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. निज सचिव, समस्त माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
3. समस्त मान. अध्यक्ष, जिला पंचायत/जनपद पंचायत मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।

---

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन (समस्त विभाग) मंत्रालय, भोपाल।
2. सचिव, समन्वय, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र. शासन, मंत्रालय भोपाल।

---

1. आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय, भोपाल म.प्र.।
2. समस्त, संभागीय आयुक्त मध्यप्रदेश।
3. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, स्वच्छता भारत मिशन, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. संचालक, ग्रामीण रोजगार विकास आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
5. आयुक्त, मनरेगा परिषद, नर्मदा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल।
6. संयुक्त आयुक्त, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, विकास आयुक्त कार्यालय, म.प्र. भोपाल।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एस.आर.एल.एम. भोपाल, मध्यप्रदेश।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत - समस्त, मध्यप्रदेश।

---

1. आयुक्त, जनसंपर्क मध्यप्रदेश तथा प्रबंध निदेशक, माध्यम/पंचायिका की ओर प्रकाशनार्थ।

सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

सबकी योजना सबका विकास जन अभियान अंतर्गत ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने के निर्देश जारी

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/609/अ.मु.स./2019/22/पं.-1 **भोपाल, दिनांक 16.09.2019**

प्रति,

1. कलेक्टर,
   जिला - समस्त, मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत - समस्त, मध्यप्रदेश।

विषय - ''सबकी योजना सबका विकास'' (दिनांक 02 अक्टूबर से 31 दिसंबर, 2019 तक) जन अभियान अंतर्गत 22812 ग्राम पंचायतों का मिशन अंत्योदय एप पर सर्वे एवं ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP 2020-21) तैयार करने बावत निर्देश।

संदर्भ - कार्यालयीन पत्र क्र. अ.मु.स./2019/22/पं.-1/487 दिनांक 29.08.2019

विषयान्तर्गत संलग्न संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसमें दिनांक 02 अक्टूबर से 31 दिसंबर, 2019 तक ''सबकी योजना सबका विकास'' के विस्तृत निर्देश जारी किये गये थे, अभियान के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 12.09.2019 का अपर मुख्य सचिव म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विभागीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, बैठक में लिये गये निर्णयानुसार पूर्व में अभियान के क्रियान्वयन हेतु जारी पत्र में दिये गये निर्देशों के साथ-साथ निम्नानुसार नवीन निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :-

2. प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिये फेसीलिटेटर - (1) प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिये फेसीलिटेटर की नियुक्ति कलेक्टर द्वारा की जावेगी। फेसीलिटेटर का चयन प्रथमतः ग्राम पंचायत में कार्यरत स्वच्छ भारत मिशन के स्वच्छताग्राहियों जिन्हें ऑनलाइन एप पर कार्य करने का अनुभव हो, किया जावे, तदउपरांत म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के CRPs/ फेसीलिटेटर जिन्होंने वर्ष 2018-19 में मिशन अन्त्योदय के मोबाइल एप पर सफलतापूर्वक फेसीलिटेटर के रूप में कार्य किया है, को लिया जावे।

(ii) ऐसे जिले जहां पर एमपी एसआरएलएम के CRPs/स्वच्छता मिशन के स्वच्छताग्राही उपलब्ध नहीं हैं या सक्रिय नहीं हैं, ऐसी ग्राम पंचायत में उपलब्ध अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों/स्वयं सेवी संस्थाओं में कार्यरत CRPs/प्रेरक अथवा ग्राम रोजगार सहायक/अन्य योग्य कर्मचारी का चयन जिला परियोजना प्रबंधक एम.पी.एस.आर.एल.एम. के साथ समन्वयन कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा किया जावेगा, तदनुसार फेसीलिटेटर की नियुक्ति कलेक्टर द्वारा की जावेगी।

3. मिशन अन्त्योदय सर्वे/पीआरए क्रियान्वयन : मिशन अन्त्योदय पोर्टल के संचालन एवं पीआरए एसजी प्रशिक्षण/ जीपीडीपी निर्माण में समन्वयन हेतु श्री अजय शर्मा मुख्य कार्यपालन अधिकारी एस.आर.एल.एम. पूर्व आदेश अनुसार दायित्वों के निर्वहन हेतु नोडल अधिकारी रहेंगे। सर्वे एवं पोर्टल का संचालन हेतु राज्य स्तर पर प्रबंधक आईटी, जिला स्तर पर डीपीएम एवं जनपद स्तर पर बीपीएम नोडल अधिकारी रहेंगे, पोर्टल संचालन हेतु जिला एवं जनपद स्तर के नोडल अधिकारी तत्काल अपने मोबाइल रजिस्टर्ड कर लॉगिन पासवर्ड का निर्धारण कर फेसीलिटेटर के मोबाइल रजिस्टर्ड कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

4. मिशन अन्त्योदय एप पर सर्वे हेतु : स्वच्छ भारत मिशन के स्वच्छताग्राहियों की ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्धता सुनिश्चित कराने, फेसीलिटेटर के माध्यम से एम एप पर सर्वे का डाटा अपलोउ कराने हेतु श्री अनुराग वर्मा उप सचिव म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग नोडल अधिकारी रहेंगे, जिनके अधीनस्थ जिला जनपद स्तरीय कॉर्डिनेटर उक्त कार्य हेतु सहायक प्रभारी अधिकारी होंगे, संकुल/ग्राम पंचायत स्तर पर एसबीएम मिशन के कॉर्डिनेटर समन्वयन करेंगे एवं

स्वच्छताग्राही के मोबाइल नं. एमएप पर रजिस्टर्ड करवाना सुनिश्चित करेंगे।

5. पंजीयन एवं रिपोर्टिंग : जिला पंचायत, जनपद पंचायत के नोडल अधिकारियों तथा फेसीलिटेटर का पंजीयन gpdp.nic.in & mission Antyoday पोर्टल पर किया जावेगा एवं उनके वरिष्ठ कार्यालय से सत्यापित किया जावेगा। इसके बाद ही मोबाइल एप से मिशन अंत्योदय सर्वे एवं जीपीडीपी अंतर्गत ग्राम सभा की मॉनीटरिंग भी की जा सकेगी।

विशेष :- जिले के नोडल अधिकारी प्रतिदिन प्रगति की रिपोर्ट तैयार कर संबंधितों को शेयर करेंगे।

6. अभियान हेतु प्रशिक्षणों का संचालन : अभियान अंतर्गत कराये जाने वाले समस्त प्रशिक्षणों के संचालन हेतु संचालक एसआईआरडी जबलपुर नोडल अधिकारी रहेंगे जो कि पूर्व पत्र क्र. आरजीएसए 485 दिनांक 29.08.2019 में दिये गये आदेश अनुसार समस्त दायित्वों के निर्वहन करेंगे।

7. फेसीलिटेटर एवं मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण : बैठक में निर्णय लिया गया कि फेसीलिटेटर/ग्राम पंचायत प्लान फेसीलिटेटर टीम (जीपीपीएफटी)/टास्क फोर्स को मिशन अन्त्योदय सर्वे, पीआरए एवं जीपीडीपी निर्माण हेतु गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जावे, इस हेतु प्रत्येक जनपद में कम से कम 4 मास्टर ट्रेनर बनाये जायें, जो कि विभागीय न होकर एसआईआरडी अंतर्गत उपलब्ध एवं चिन्हित अन्य रिसोर्स पर्सन/अनुभवी रिटायर पर्सन/मास्टर ट्रेनर हो जो कि, न केवल ग्राम पंचायत अमले/फेसीलिटेटर एवं जीपीपीएफटी को प्रशिक्षण देंगे बल्कि प्रशिक्षण उपरांत आवंटित क्षेत्र की ग्राम पंचायत को हेन्ड होल्डिंग सपोर्ट देकर जीपीडीपी बनाने में पूर्ण सहयोग भी देंगे।

8. उपरोक्तानुसार प्रशिक्षणों, सर्वे एवं हेन्ड होल्डिंग सपोर्ट प्रदाय करने हेतु समस्त दायित्वों का निर्वहन संचालक एसआइआरडी जबलपुर करेंगे तथा प्रशिक्षण मॉड्यूल, मटेरियल एवं सर्वे/जीपीडीपी हेतु सर्वे पत्र प्रारूप ग्राम पंचायत स्तर तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

9. फेसीलिटेटर हेतु मानदेय भुगतान : भारत शासन द्वारा निर्धारित दर पर फेसीलिटेटर/स्वच्छताग्राही की राशि का भुगतान एमपी एसआरएलएम द्वारा किया जावेगा। विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय सीईओ जिला पंचायत का होगा।

10. प्रशिक्षणों हेतु राशि का भुगतान/समायोजन : आरजीएसए योजना की स्वीकृत कार्य योजना अनुसार विभागीय प्रशिक्षण संस्थाओं को जारी राशि एवं एसआईआरडी जबलपुर/इटीसी द्वारा पूर्व में प्रशिक्षण हेतु जिलों/जनपदों में जारी राशि के उपयोग से किया जा सकेगा।

11. लाईन डिपार्टमेन्ट्स के मैदानी अधिकारियों की सहभागिता हेतु नोडल अधिकारी की नियुक्ति - भारत शासन के दिशा-निर्देशानुसार लाईन डिपार्टमेन्ट्स के मैदानी अधिकारियों द्वारा ग्राम सभा में उनके विभाग से संबंधित गतिविधियों की संक्षिप्त प्रस्तुति दी जावेगी, इस हेतु राज्य/जिला/जनपद स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति एवं पोर्टल पर नोडल अधिकारियों/फ्रन्ट लाइन कर्मचारियों के पंजीयन एवं समन्वयन हेतु श्री विवेक दवे संयुक्त आयुक्त वाटर शेड एवं मिशन अन्त्योदय को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। नोडल अधिकारी द्वारा लाईन विभाग के समन्वयन से उनके फ्रन्ट लाईन वर्कर्स/अधिकारियों की उपलब्धता ग्राम पंचायत के कैलेण्डर अनुसार सुनिश्चित की जावेगी।

12. ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्माण एवं जीपीडीपी पोर्टल का संचालन - वर्ष 2020-21 हेतु GPDP निर्माण की समस्त कार्यवाहियां/गतिविधियां, का संचालन एवं अनुश्रवण आयुक्त पंचायत राज अंतर्गत किया जावेगा। जीपीडीपी जन अभियान हेतु जिला एवं जनपद स्तरीय नोडल अधिकारियों की नियुक्तियां संबंधित जिले द्वारा एवं पोर्टल का संचालन संबंधित नोडल अधिकारी द्वारा किया जावेगा, पंचायत राज स्तर से जीपीडीपी पोर्टल का संचालन श्री वी.के. त्रिपाठी उपायुक्त आईटी द्वारा किया जावेगा।

13. अभियान के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय कार्यशालाएं/हेन्ड होल्डिंग सपोर्ट तकनीकी प्रशिक्षण, अभियान हेतु प्रचार-प्रसार आईसी गतिविधियों क्रियान्वयन आरजीएसए की कार्य योजना अनुसार एवं अभियान का अनुश्रवण पंचायत राज संचालनायल द्वारा किया जावेगा।

(संदीप यादव)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग